

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

रि.या.(सि.) 7743/2019

रेकित बैंकिजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

..... याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री पी. चिदंबरम, वरिष्ठ अधिवक्ता
के साथ श्री आर. जवाहर लाल, श्री
सिद्धार्थ बावा श्री अनुज गर्ग, श्री
मोहित शर्मा और सुश्री हर्षिता
अधिवक्तागण।
श्री अमर दवे, न्यायमित्र के साथ श्री
विक्रमादित्य भास्कर, अधिवक्ता।

बनाम

भारतीय संघ अपने सचिव द्वारा और अन्य

..... प्रत्यर्थागण

द्वारा: श्री जोहेब हुसैन, संजीव मेनन, श्री
विवेक गुरनानी, श्री कविश गरच,
सुश्री अभिप्रिया, श्री विवेक गौरव,
सुश्री सेजल अनेजा और सुश्री मनीषा,
एन.ए.ए. और डी.जी.ए.पी. के लिए
अधिवक्तागण।
श्री अशीश जैन, के.स.स्था.अधि. के
साथ श्री गौरव कुमार प्र.-1 के लिए
अधिवक्ता
श्री फर्मान अली अधिवक्ता के साथ
सुश्री उषा और श्री क्रिशन कुमार, प्र.-
2 और 3 के लिए अधिवक्तागण

रि.या. (सि.) 10999/2018

मेसर्स पिरामिड इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड

.....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री अभिषेक ए रस्तोगी, सुश्री पूजा
एम. रस्तोगी, सुश्री मीनल सांगीरे
और श्री अजय सिंह, अधिवक्तागण।

बनाम

भारतीय संघ और अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री जोहेब हुसैन, संजीव मेनन, श्री
विवेक गुरनानी, श्री कविश गरच,
सुश्री अभिप्रिया राय, श्री विवेक
गौरव, श्री कार्तिक सभरवाल और
सुश्री मनीषा दुबे, एन.ए.ए. और
डी.जी.ए.पी. के अधिवक्तागण।

श्री आदित्य सिंगला, वि.स्था.अधि. के
साथ सुश्री चारु शर्मा, प्र.-4 के लिए
अधिवक्ता।

सुश्री प्रतिमा एन. लाकरा,
के.स.स्था.अधि. के साथ सुश्री वन्या
बजाज और श्री कशिश जी. बवेजा,
भारतीय संघ के लिए अधिवक्तागण।

श्री विनोद दिवाकर, के.स.स्था.अधि.
के साथ श्री ओल्सन नायर, भारतीय
संघ के लिए अधिवक्ता।

रि.या.(सि.)12444/2018

मैस्काँट बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड

..... याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री असीम मेहरोत्रा, अधिवक्ता

बनाम

राष्ट्रीय गैर-लाभकारी प्राधिकरण और अन्य प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री जोहेब हुसैन, संजीव मेनन, श्री विवेक गुरनानी, श्री कविश गरच, सुश्री अभिप्रिया, श्री विवेक गौरव, सुश्री सेजल अनेजा और सुश्री मनीषा, एन.ए.ए. और डी.जी.ए.पी. के लिए अधिवक्तागण।
श्री फर्मान अली, व.पै.अधि. के साथ श्री अथर रजा फारूकी, भारतीय संघ के लिए अधिवक्ता।

रि.या.(सि.)12647/2018

लाइफ़स्टाइल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री तरुण गुलाटी, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री स्पर्श भार्गव के साथ सुश्री इशिता फरसैया, अधिवक्ता।

बनाम

भारतीय संघ और अन्य प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री अनुराग अहलूवालिया, के.स.स्था.अधि. के साथ श्री मिलिंद नागपाल, भारतीय संघ के लिए अधिवक्ता।

श्री जोहेब हुसैन, संजीव मेनन, श्री विवेक गुरनानी, श्री कविश गरच, सुश्री अभिप्रिया, श्री विवेक गौरव, सुश्री सेजल अनेजा और श्री मनीषा, एन.ए.ए. और डी.जी.ए.पी. के लिए अधिवक्तागण।

रि.या. (सि.)13194/2018

शर्मा ट्रेडिंग कंपनी

..... याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री नरेश ठाकर, श्री कुमार विशालक्ष, श्री उदित जैन, श्री अरिहंत तातार, श्री सौरभ दुगर और श्री अजितेश दयाल सिंह, अधिवक्तागण।

बनाम

भारतीय संघ और अन्य

..... प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री अनुराग अहलूवालिया, के.स.स्था.अधि. के साथ श्री मिलिंद नागपाल, भारतीय संघ के लिए अधिवक्ता।

सुश्री आकांक्षा कौल, अधिवक्ता के साथ सुश्री वर्शा सिंह और श्री अमन साहनी और सुश्री रिया, भारतीय संघ के लिए अधिवक्तागण।

श्री जोहेब हुसैन, व.स्था.अधि. के साथ श्री विवेक गुरनानी,

श्री संजीव मेनन, सुश्री सेजल अनेजा,
एन.ए.ए./डी.जी.ए.पी. के लिए
अधिवक्तागण।

रि.या.(सि.) 378/2019

हिंदुस्तान यूनीलिवर लिमिटेड

..... याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री अजय भार्गव, सुश्री वनिता भार्गव
और श्री निकिथा शेनॉय,
अधिवक्तागण।

बनाम

भारतीय संघ और अन्य

..... प्रत्यर्थागण

द्वारा: श्री विक्रान्त एन. गोयल, अधिवक्ता
के साथ श्री नितिन चंद्र और श्री
जीत चक्रवर्ती, भारतीय संघ के
अधिवक्तागण।

श्री हरिश वैद्यनाथन शंकर,
के.स.स्था.अधि. के साथ श्री स्निश
कुमार मिश्रा, श्री सागर मेहलावत
और श्री एलेग्जेंडर मथाई पैकाडे,
अधिवक्तागण।

श्री जोहेब हुसैन, संजीव मेनन, श्री
विवेक गुरनानी, श्री कविश गरच,
सुश्री अभिप्रिया, श्री विवेक गौरव,
सुश्री सेजल अनेजा और सुश्री मनीषा,
एन.ए.ए. और डी.जी.ए.पी. के लिए
अधिवक्तागण।

रि.या.(सि.) 1418/2019 और सि.वि.आ. सं. 6501/2019

श्री अंकित खंडेलवाल, स्वत्वधारी द्वारा
मेसर्स जे.पी. एंड संस:

..... याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री अजय भार्गव, सुश्री वनिता
भार्गव, श्री असीम चतुर्वेदी और श्री
साहिल सिद्दीकी, अधिवक्तागण।

बनाम

राष्ट्रीय गैर-लाभकारी प्राधिकरण अपने सचिव
और अन्य द्वारा

..... प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री जोहेब हुसैन, संजीव मेनन, श्री
विवेक गुरनानी, श्री कविश गरच,
सुश्री अभिप्रिया, श्री विवेक गौरव,
सुश्री सेजल अनेजा और सुश्री मनीषा,
एन.ए.ए. और डी.जी.ए.पी. के लिए
अधिवक्तागण।

श्री कमल साहनी, श्री दीपक ठाकुर,
सुश्री आकांशा वाधवानी, प्र.-4 के
लिए अधिवक्तागण।

रि.या.(सि.)1655/2019

मेसर्स एक्सेल रसायन प्राइवेट लिमिटेड

..... याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री अभिषेक ए. रस्तोगी, सुश्री पूजा
एम. रस्तोगी, सुश्री मीनल सांगीरे
और श्री अजय सिंह, अधिवक्तागण।

बनाम

भारतीय संघ और अन्य

..... प्रत्यर्थागण

द्वारा: श्री रवि प्रकाश, के.स.स्था.अधि. के साथ सुश्री अस्तू खंडेलवाल, भारतीय संघ के लिए अधिवक्तागण।
सुश्री आकांक्षा कौल, अधिवक्ता के साथ सुश्री वर्षा सिंह, भारतीय संघ के लिए अधिवक्तागण।
श्री ग्यनेंद्रा सिंह, अधिवक्ता।
श्री जोहेब हुसैन, संजीव मेनन, श्री विवेक गुरनानी, श्री कविश गरच, सुश्री अभिप्रिया, श्री विवेक गौरव, सुश्री सेजल अनेजा और सुश्री मनीषा, एन.ए.ए. और डी.जी.ए.पी. के लिए अधिवक्तागण।

रि.या.(सि.) 2347/2019

जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड और अन्य

..... याचिकाकर्तागण

द्वारा: श्री वी. लक्ष्मीकुमारन, श्री करण सचदेव, श्री योगेंद्र अलदक के साथ श्री अग्रिम अरोड़ा, अधिवक्तागण।

बनाम

भारतीय संघ और अन्य

..... प्रत्यर्थागण

द्वारा: श्री रवि प्रकाश, के.स.स्था.अधि. के साथ सुश्री अस्तू खंडेलवाल, भारतीय संघ के लिए अधिवक्तागण।

श्री भागवान स्वरूप शुक्ला, के.स.स्था.अधि. के साथ श्री आर. आर. मिश्रा, भारतीय संघ के लिए अधिवक्ता।

श्री जोहेब हुसैन, संजीव मेनन, श्री विवेक गुरनानी, श्री कविश गरच, सुश्री अभिप्रिया, श्री विवेक गौरव, सुश्री सेजल अनेजा और सुश्री मनीषा, एन.ए.ए. और डी.जी.ए.पी. के लिए अधिवक्तागण।

रि.या.(सि.) 3759/2019

मैस्काँट बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड

..... याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री असीम मेहरोत्रा, अधिवक्ता

बनाम

भारतीय संघ और अन्य

..... प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री हरिश वैद्यनाथन शंकर के.स.स्था.अधि., श्री श्रीश कुमार मिश्रा, श्री सागर महलावत और श्री अलेक्जेंडर मथाई पैकाडे, भारतीय सरकार के लिए अधिवक्तागण।

श्री जोहेब हुसैन, संजीव मेनन, श्री विवेक गुरनानी, श्री कविश गरच,

सुश्री अभिप्रिया, श्री विवेक गौरव,
सुश्री सेजल अनेजा और सुश्री मनीषा,
एन.ए.ए. और डी.जी.ए.पी. के लिए
अधिवक्तागण।

रि.या.(सि.) 4213/2019

एबॉट हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड और अन्य ...याचिकाकर्तागण
द्वारा: श्री अजय भार्गव, सुश्री वनिता भार्गव
और सुश्री निखिता शेनॉय,
अधिवक्तागण।

बनाम

भारतीय संघ और अन्य प्रत्यर्थागण

द्वारा: श्री रिपु दमन भारद्वाज,
के.स.स्था.अधि. के साथ श्री कुशाग्र
कुमार, भारतीय सरकार के लिए
अधिवक्ता।

श्री जोहेब हुसैन, संजीव मेनन, श्री
विवेक गुरनानी, श्री कविश गरच,
सुश्री अभिप्रिया, श्री विवेक गौरव,
सुश्री सेजल अनेजा और सुश्री मनीषा,
एन.ए.ए. और डी.जी.ए.पी. के लिए
अधिवक्तागण।

रि.या.(सि.) 5558/2019 और सि.वि.आ. सं. 24368/2019

यूनिचार्म इंडिया प्राइवेट लिमिटेडयाचिकाकर्ता

द्वारा: श्री रुपेंदेर सिंहमार, श्री प्रह्लाद सिंह,
श्री के. गुरुमूर्ति, अधिवक्तागण।

बनाम

भारतीय संघ और अन्य

..... प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री रवि प्रकाश, के.स.स्था.अधि. के
साथ सुश्री अस्तू खंडेलवाल, भारतीय
संघ के लिए अधिवक्तागण।

श्री अनुराग अहलूवालिया,
के.स.स्था.अधि. के साथ श्री मिलिंद
नागपाल, भारतीय संघ के लिए
अधिवक्ता।

श्री फरमान अली माग्ने के साथ सुश्री
उषा जमनाल और श्री क्रिशन कुमार
प्र.-2 और 3 के लिए अधिवक्तागण।
श्री जोहेब हुसैन, संजीव मेनन, श्री
विवेक गुरनानी, श्री कविश गरच,
सुश्री अभिप्रिया, सुश्री विवेक गौरव,
सुश्री सेजल अनेजा और सुश्री मनीषा,
एन.ए.ए. और डी.जी.ए.पी. के लिए
अधिवक्तागण।

रि.या.(सि.)8162/2019

एफिनिटी एंटरप्राइजेज

.....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री आर. जवाहर लाल, श्री सिद्धार्थ
बावा, श्री अनुज गर्ग, श्री मोहित
शर्मा और सुश्री हर्षिता,
अधिवक्तागण।

बनाम

भारतीय संघ अपने सचिव और अन्य के द्वारा प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री अभय प्रकाश सहाय,
के.स.स्था.अधि., सुश्री मन्नु सिंह, श्री
कुनाल धवन, सुश्री स्वयम्प्रभा,
भारतीय संघ के लिए अधिवक्तागण।
श्री रवि चावला, एन.ए.ए. के स्था.
अधिवक्ता के साथ श्री अवनीश
कुमार उपाध्याय, अधिवक्ता।
श्री जोहेब हुसैन, संजीव मेनन, श्री
विवेक गुरनानी, श्री कविश गरच,
सुश्री अभिप्रिया, श्री विवेक गौरव,
सुश्री सेजल अनेजा और सुश्री मनीषा,
एन.ए.ए. और डी.जी.ए.पी. के लिए
अधिवक्तागण।

रि.या.(सि.) 7910/2019 और सि.वि.आ. सं.32779/2019

सालारपुरिया रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेडयाचिकाकर्ता

द्वारा: श्री अभिषेक ए. रस्तोगी, सुश्री पूजा
एम. रस्तोगी, सुश्री मीनल सांगीरे
और श्री अजय सिंह, अधिवक्तागण।

बनाम

भारतीय संघ और अन्य प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री भगवान स्वरूप शुक्ला,
के.स.स्था.अधि. के साथ श्री सक्षम

सेठी, स.पली., श्री सरवन कुमार,
भारतीय संघ के लिए अधिवक्ता।
श्री जोहेब हुसैन, संजीव मेनन, श्री
विवेक गुरनानी, श्री कविश गरच,
सुश्री अभिप्रिया, श्री विवेक गौरव, श्री
सेजल अनेजा और सुश्री मनीषा,
एन.ए.ए. और डी.जी.ए.पी. के लिए
अधिवक्तागण।

रि.या.(सि.)7911/2019

सत्वा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड

.....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री अभिषेक ए. रस्तोगी, सुश्री पूजा
एम. रस्तोगी, सुश्री मीनल सांगीरे
और श्री अजय सिंह, अधिवक्तागण।

बनाम

भारतीय संघ और अन्य

..... प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री मनीष मोहन, के.स.स्था.अधि. के
साथ श्री देवेन्द्र कुमार, भारतीय संघ
के लिए अधिवक्ता।

श्री अभय प्रकाश सहाय,
के.स.स्था.अधि., सुश्री मन्नु सिंह, श्री
कुनाल धवन, सुश्री स्वयम्प्रभा,
भारतीय संघ के लिए अधिवक्तागण।

श्री ग्यनेन्द्र सिंह, अधिवक्ता।

श्री जोहेब हुसैन, संजीव मेनन, श्री
विवेक गुरनानी, श्री कविश गरच,
सुश्री अभिप्रिया, श्री विवेक गौरव,

सुश्री सेजल अनेजा और सुश्री मनीषा,
एन.ए. ए. और डी.जी.ए.पी. के लिए
अधिवक्तागण।

रि.या.(सि.) 8078/2019

मेसर्स सत्य एंटरप्राइजेज

.....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री सुमित के. बत्रा और श्री मनीष
खुराना, अधिवक्तागण।

बनाम

भारतीय संघ और अन्य

..... प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री सुशील कुमार पांडे, व.पै.अधि. के
साथ श्री नेहा यादव, श्री कुलदीप
सिंह, भारतीय संघ के लिए
अधिवक्तागण।

श्री जोहेब हुसैन, संजीव मेनन, श्री
विवेक गुरनानी, श्री कविश गरच,
सुश्री अभिप्रिया, श्री विवेक गौरव,
सुश्री सेजल अनेजा और सुश्री मनीषा,
एन.ए.ए. और डी.जी.ए.पी. के लिए
अधिवक्तागण।

श्री सत्यकाम, अति.स्था.अधि. के
साथ श्री प्रद्युत कश्यप,
रा.रा.क्षे.दि.स. के लिए अधिवक्ता।
श्री आशीष वर्मा और श्री देबोप्रिया
मौलिक, अधिवक्तागण।

रि.या.(सि.) 9053/2019

यूनिचार्म इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

.....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री रुपेंदेर सिंहमार, श्री प्रहलाद सिंह,
अधिवक्तागण।

बनाम

भारतीय संघ और अन्य

..... प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री रवि प्रकाश, के.स.स्था.अधि. के
साथ सुश्री अस्तू खंडेलवाल, भारतीय
संघ के लिए अधिवक्तागण।
श्री फरमान अली के साथ सुश्री उषा
जमनाल और श्री क्रिशन कुमार, प्र.-2
और 3 के लिए अधिवक्तागण।

रि.या.(सि.) 11253/2019 और सि.वि.आ. सं.46337/2019

लाइफस्टाइल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड

.....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री तरुण गुलाटी, वरिष्ठ अधिवक्ता
के साथ श्री स्पर्श भार्गव के साथ
सुश्री इशिता फरसैया, अधिवक्ता।

बनाम

भारतीय संघ और अन्य

..... प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री विराज आर. दातार, वरिष्ठ
अधिवक्ता के साथ श्री नितीश
चौधरी, प्र.-1 के लिए अधिवक्ता प्र.-
1 के साथ व्यक्तिगत रूप से
उपस्थित।

श्री राजेश कुमार के साथ सुश्री

रमनीत कौर, भारतीय संघ के लिए अधिवक्तागण।

श्री अपूर्व कुरुप, के.स.स्था.अधि. के साथ श्री शिवांश द्विवेदी, भारतीय संघ के लिए अधिवक्ता। श्री जोहेब हुसैन, संजीव मेनन, श्री विवेक गुरनानी, श्री कविश गरच, सुश्री अभिप्रिया, श्री विवेक गौरव, सुश्री सेजल अनेजा और सुश्री मनीषा, एन.ए.ए. और डी.जी.ए.पी. के लिए अधिवक्तागण।

रि.या.(सि.)12355/2019

पैरामाउंट, प्रॉपबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड

.....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री अभिषेक चौधरी, अधिवक्ता।

बनाम

भारतीय संघ और अन्य

..... प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री रुचिर मिश्रा, श्री मुकेश कु. तिवारी, सुश्री रेबा जेना मिश्रा और सुश्री पूनम शुक्ला, भारतीय संघ के लिए अधिवक्तागण।

श्री भगवान स्वरूप शुक्ला, के.स.स्था.अधि. के साथ श्री सर्वन कुमार शुक्ला, अधिवक्ता।

श्री जोहेब हुसैन, संजीव मेनन, श्री विवेक गुरनानी, श्री कविश गरच, सुश्री अभिप्रिया, श्री विवेक गौरव,

सुश्री सेजल अनेजा और सुश्री मनीषा,
एन.ए.ए. और डी.जी.ए.पी. के लिए
अधिवक्तागण।

रि.या.(सि.)12717/2019

भारतीय सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेडयाचिकाकर्ता

द्वारा: श्री अभिषेक ए. रस्तोगी, सुश्री पूजा
एम. रस्तोगी, सुश्री मीनल सांगीरे
और श्री अजय सिंह, अधिवक्तागण।

बनाम

भारतीय संघ और अन्य प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री विक्रम जेटली के.स.स्था.अधि.
और सुश्री श्रेया जेटली, भारतीय संघ
के लिए अधिवक्ता
श्री जोहेब हुसैन, संजीव मेनन, श्री
विवेक गुरनानी, श्री कविश गरच,
सुश्री अभिप्रिया, श्री विवेक गौरव,
सुश्री सेजल अनेजा और सुश्री मनीषा,
एन.ए.ए. और डी.जी.ए.पी. के लिए
अधिवक्तागण।

रि.या.(सि.)12847/2019 और सि.वि.आ. सं.52474/2019

रामप्रस्थ प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेडयाचिकाकर्ता

द्वारा: श्री पुनीत अग्रवाल, अधिवक्ता के
साथ श्री प्रेम कांडपाल, श्री केतन जैन
और श्री चेतन कुमार शुक्ला
अधिवक्तागण।

बनाम

भारतीय संघ और अन्य

..... प्रत्यर्थीगण

द्वारा:

श्री विक्रम जेटली के.स.स्था.अधि.
और सुश्री श्रेया जेटली, भारतीय संघ
के लिए अधिवक्ता।

श्री फर्मान अली, अधिवक्ता के साथ
श्री क्रिशन कुमार और सुश्री उषा
जमनाल, भारतीय संघ के लिए
अधिवक्तागण।

श्री जोहेब हुसैन, संजीव मेनन, श्री
विवेक गुरनानी, श्री कविश गरच,
सुश्री अभिप्रिया, श्री विवेक गौरव,
सुश्री सेजल अनेजा और सुश्री मनीषा,
एन.ए.ए. और डी.जी.ए.पी. के लिए
अधिवक्तागण।

सुश्री सोनू भटनागर, वरिष्ठ स्थायी
अधिवक्ता, के साथ सुश्री वीनस
मेहरोत्रा, अधिवक्ता और सुश्री कनक
ग्रोवर, प्र.-2 और प्र.-5 के लिए
अधिवक्ता।

श्री जतिन पुनियानी, भारतीय संघ के
लिए स.प्ली.।

रि.या.(सि.)969/2020 और सि.वि.आ.5342/2020

नेस्ले इंडिया लिमिटेड और अन्य

.....याचिकाकर्तागण

द्वारा: श्री वी. लक्ष्मीकुमारन, श्री करण सचदेव, श्री योगेंद्र अलदक श्री के साथ अग्रिम अरोड़ा, अधिवक्तागण।

बनाम

भारतीय संघ और अन्य

..... प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री कीर्तिमान सिंह, के.स.स्था.अधि., श्री वैज अली नूर, श्री वरुण राजावत, सुश्री श्रेया वी. मेहरा और सुश्री विधि जैन, भारतीय संघ के लिए अधिवक्तागण।

श्री जोहेब हुसैन, संजीव मेनन, श्री विवेक गुरनानी, श्री कविश गरच, सुश्री अभिप्रिया, श्री विवेक गौरव, सुश्री सेजल अनेजा और सुश्री मनीषा, एन.ए.ए. और डी.जी.ए.पी. के लिए अधिवक्तागण।

रि.या.(सि.) 1171/2020

आई.एफ.बी. इंडस्ट्रीज लिमिटेड,

.....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री एस. गणेश, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री यू. ए. राणा और श्री हिमांशु मेहता, अधिवक्तागण

बनाम

राष्ट्रीय गैर-लाभकारी प्राधिकरण और अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री जोहेब हुसैन, संजीव मेनन, श्री विवेक गुरनानी, श्री कविश गरच,

सुश्री अभिप्रिया, श्री विवेक गौरव,
सुश्री सेजल अनेजा और सुश्री मनीषा,
एन.ए.ए. और डी.जी.ए.पी. के लिए
अधिवक्तागण।

श्री देव पी. भारद्वाज और श्री सार्थक
आनंद, भारतीय संघ के लिए
अधिवक्तागण।

रि.या.(सि.) 1406/2020 और सि.वि.आ. सं.4879/2020

मेसर्स फ्रेंड्स लैंड डेवलपर्स

.....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री प्रकाश कुमार, अधिवक्ता।

बनाम

भारतीय संघ और अन्य

..... प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री राजेश कुमार के साथ सुश्री
रामनीत कौर, भारतीय संघ के लिए
अधिवक्तागण।

सुश्री सोनिया शर्मा, अधिवक्ता के
साथ सुश्री पूर्वा चुघ, प्र.-2 और 3 के
लिए अधिवक्ता।

सुश्री सोनू भटनागर, वरिष्ठ स्थायी
अधिवक्ता के साथ सुश्री वीनस
मेहरोत्रा, अधिवक्ता और सुश्री कनक
ग्रोवर, प्र.-4 और 5 के लिए
अधिवक्तागण।

श्री जतिन पुनियानी, भारतीय संघ के
लिए स.प्ली.।

श्री जोहेब हुसैन, संजीव मेनन, श्री
विवेक गुरनानी, श्री कविश गरच,
सुश्री अभिप्रिया, श्री विवेक गौरव,
सुश्री सेजल अनेजा और सुश्री मनीषा,
एन.ए.ए. और डी.जी.ए.पी. के लिए
अधिवक्तागण।

रि.या.(सि.)1780/2020

जॉनसन और जॉनसन प्राइवेट लिमिटेड

.....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री वी. लक्ष्मीकुमारन, श्री करण
सचदेव, श्री योगेंद्र अलदक के साथ
श्री अग्रिम अरोड़ा, अधिवक्तागण।

बनाम

भारतीय संघ और अन्य

..... प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री विक्रम जेटली के.स.स्था.अधि.
और सुश्री श्रेया जेटली, भारतीय
संघ/प्र.-1 के लिए अधिवक्ता
श्री जोहेब हुसैन, संजीव मेनन, श्री
विवेक गुरनानी, श्री कविश गरच,
सुश्री अभिप्रिया, श्री विवेक गौरव,
सुश्री सेजल अनेजा और सुश्री मनीषा,
एन.ए.ए. और डी.जी.ए.पी. के लिए
अधिवक्तागण।
सुश्री सोनू भटनागर के साथ सुश्री
वीनस मेहरोत्रा, अधिवक्ता और सुश्री
कनक ग्रोवर, प्र.-4 के लिए
अधिवक्ता।

रि.या.(सि.)2083/2020 और सि.वि.आ. सं.7369/2020

फ्यूजन बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड

.....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री अभिषेक ए. रस्तोगी, सुश्री पूजा
एम. रस्तोगी, सुश्री मीनल सांगीरे
और श्री अजय सिंह, अधिवक्तागण

बनाम

भारतीय संघ और अन्य

..... प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री राजेश कुमार के साथ सुश्री
रमनीत कौर, भारतीय संघ के लिए
अधिवक्तागण।

श्री जोहेब हुसैन, संजीव मेनन, श्री
विवेक गुरनानी, श्री कविश गरच,
सुश्री अभिप्रिया, श्री विवेक गौरव,
सुश्री सेजल अनेजा और सुश्री मनीषा,
एन.ए.ए. और डी.जी.ए.पी. के लिए
अधिवक्तागण।

श्री अमन मलिक, प्र.-2 और
3/एन.ए.ए. के लिए अधिवक्ता।

सुश्री सोनू भटनागर, वरिष्ठ स्थायी
अधिवक्ता के साथ सुश्री वीनस
मेहरोत्रा, अधिवक्ता और सुश्री कनक
ग्रोवर, प्र.-4 के लिए अधिवक्ता।

रि.या.(सि.) 2084/2020 और सि.वि.आ. सं. 7371/2020

एस्टर इन्फ्राहोम प्राइवेट लिमिटेड

.....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री अभिषेक ए. रस्तोगी, सुश्री पूजा
एम. रस्तोगी, सुश्री मीनल साँगीरे
और श्री अजय सिंह, अधिवक्ता

बनाम

भारतीय संघ और अन्य

..... प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री राजेश कुमार के साथ सुश्री
रमनीत कौर, भारतीय संघ के लिए
अधिवक्तागण।

श्री समिर मलिक, एन.ए.ए. के लिए
अधिवक्ता।

सुश्री सोनू भटनागर, वरिष्ठ स्थायी
अधिवक्ता, के साथ सुश्री वीनस
मेहरोत्रा, अधिवक्ता और सुश्री कनक
ग्रोवर, प्र.-4 के लिए अधिवक्ता।

रि.या.(सि.)2445/2020

मिस सर्वप्रिय सिक्युरिटीज प्राइवेट लिमिटेड

.....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री पुनीत अग्रवाल, अधिवक्ता के
साथ श्री प्रेम कांडपाल, श्री केतन जैन
और श्री चेतन कुमार शुक्ला
अधिवक्तागण।

बनाम

भारतीय संघ और अन्य

..... प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री अमन मलिक, प्र.-2 और
3/एन.ए.ए. के लिए अधिवक्ता।

श्री जोहेब हुसैन, संजीव मेनन, श्री
विवेक गुरनानी, श्री कविश गरच,
सुश्री अभिप्रिया, श्री विवेक गौरव,
सुश्री सेजल अनेजा और सुश्री मनीषा,
एन.ए.ए. और डी.जी.ए.पी. के लिए
अधिवक्तागण।

रि.या.(सि.)2490/2020

जॉनसन एंड जॉनसन प्राइवेट लिमिटेड

.....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री वी. लक्ष्मीकुमारन, श्री करण
सचदेव, श्री योगेंद्र अलदक के साथ
श्री अग्रिम अरोड़ा, अधिवक्तागण।

बनाम

भारतीय संघ और अन्य

..... प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री जोहेब हुसैन, संजीव मेनन, श्री
विवेक गुरनानी, श्री कविश गरच,
सुश्री अभिप्रिया, श्री विवेक गौरव,
सुश्री सेजल अनेजा और सुश्री मनीषा,
एन.ए.ए. और डी.जी.ए.पी. के लिए
अधिवक्तागण।

रि.या.(सि.) 2742/2020 और सि.वि.आ. सं.9552/2020

एकमे हाउसिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

.....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री प्रतीक बंसल, अधिवक्ता।

बनाम

भारतीय संघ और अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री समिर मलिक, प्र.-2 और 3 के लिए अधिवक्ता।

श्री जोहेब हुसैन, संजीव मेनन, श्री विवेक गुरनानी, श्री कविश गरच, सुश्री अभिप्रिया, श्री विवेक गौरव, सुश्री सेजल अनेजा और सुश्री मनीषा, एन.ए.ए. और डी.जी.ए.पी. के लिए अधिवक्तागण।

रि.या.(सि.)3737/2020

फिलिप्स इंडिया लिमिटेड

.....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री शशांक शेखर के साथ श्री सिद्धार्थ राजकोंवर, अधिवक्तागण।

बनाम

भारतीय संघ और अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री विपुल अग्रवाल के साथ श्री गिब्रान नौशाद, क. स्थाई अधिवक्ता और सुश्री साक्षी शेरवाल, राजस्व के लिए अधिवक्तागण।

श्री जोहेब हुसैन, संजीव मेनन, श्री विवेक गुरनानी, श्री कविश गरच, सुश्री अभिप्रिया, श्री विवेक गौरव, सुश्री सेजल अनेजा और सुश्री मनीषा, एन.ए.ए. और डी.जी.ए.पी. के लिए अधिवक्तागण।

सुश्री सोनू भटनागर, वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता, के साथ सुश्री वीनस

मेहरोत्रा, अधिवक्ता और सुश्री कनक
ग्रोवर, प्र.-5 से प्र.-7 के लिए
अधिवक्ता।

सुश्री मानसी जैन, प्र.-8 के लिए
अधिवक्ता।

श्री जतिन पुनियानी, भारतीय संघ के
लिए स.प्ली.।

रि.या.(सि.)3910/2020

मैक्रोटेक डेवलपर्स लिमिटेड (पूर्व में मेसर्स लोधा डेवलपर्स लिमिटेड के
रूप में संदर्भित) और अन्ययाचिकाकर्ता

द्वारा: श्री कमल साहनी, श्री दीपक ठाकुर
और सुश्री आकंशा वाधवानी,
अधिवक्तागण

बनाम

भारतीय संघ और अन्यप्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री जोहेब हुसैन, संजीव मेनन, श्री
विवेक गुरनानी, श्री कविश गरच,
सुश्री अभिप्रिया, श्री विवेक गौरव,
सुश्री सेजल अनेजा और सुश्री मनीषा,
एन.ए.ए. और डी.जी.ए.पी. के लिए
अधिवक्तागण।

श्री विक्रमदित्या भास्कर, अधिवक्ता
श्री अमर दवे, न्यायमित्र के साथ श्री
विक्रमादित्य भास्कर, अधिवक्ता।

रि.या.(सि.)3911/2020

मेसर्स नानी रिसॉर्ट्स एंड फ्लोरीकल्चर प्राइवेट लिमिटेडयाचिकाकर्ता

द्वारा: श्री पुनीत अग्रवाल, अधिवक्ता के साथ श्री प्रेम कांडपाल, श्री केतन जैन और श्री चेतन कुमार शुक्ला अधिवक्तागण।

बनाम

भारतीय संघ और अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री जोहेब हुसैन, संजीव मेनन, श्री विवेक गुरनानी, श्री कविश गरच, सुश्री अभिप्रिया, श्री विवेकल गौरव, सुश्री सेजल अनेजा और सुश्री मनीषा, एन.ए.ए. और डी.जी.ए.पी. के लिए अधिवक्तागण।

श्री रजीव के. पांडे, अति.अधि.जन. श्री रजीव एम. राँय, श्री पी. श्रीनिवासन, प्र.-5 के लिए अधिवक्तागण।

सुश्री सोनू भटनागर, वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता, के साथ सुश्री वीनस मेहरोत्रा, अधिवक्ता और सुश्री कनक गोवर, प्र.-6 और 7 के लिए अधिवक्ता।

श्री अभिषेक साकेत, अधिवक्ता।

रि.या.(सि.)4131/2020

मैसर्स सैमसोनाइट साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेडयाचिकाकर्ता

द्वारा: श्री रोहन शाह, अधिवक्ता।

बनाम

भारतीय संघ और अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

द्वारा:

श्री आशीष जैन, के.स.स्था.अधि. के साथ श्री गौरव कुमार प्र.-1 के लिए अधिवक्ता

श्री जोहेब हुसैन, संजीव मेनन, श्री विवेक गुरनानी, श्री कविश गरच, सुश्री अभिप्रिया, श्री विवेक गौरव, सुश्री सेजल अनेजा और सुश्री मनीषा, एन.ए.ए. और डी.जी.ए.पी. के लिए अधिवक्तागण।

सुश्री सोनू भटनागर, वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता के साथ सुश्री वीनस मेहरोत्रा, अधिवक्ता और सुश्री कनक ग्रोवर, अधिवक्ता।

रि.या.(सि.)4345/2020

रेकित बैंकिजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

.....याचिकाकर्ता

द्वारा:

श्री पी. चिदम्बरम, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री आर. जवाहर लाल, श्री सिद्धार्थ बावा, श्री अनुज गर्ग, श्री मोहित शर्मा और सुश्री हर्षिता अधिवक्तागण

बनाम

भारतीय संघ और अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री अशीश जैन, के.स.स्था.अधि. के साथ श्री गौरव कुमार, सुश्री अंकिता केडिया और सुश्री रिया खन्ना, प्र.-1 के लिए अधिवक्तागण।

श्री जोहेब हुसैन, संजीव मेनन, श्री विवेक गुरनानी, श्री कविश गरच, सुश्री अभिप्रिया, श्री विवेक गौरव, सुश्री सेजल अनेजा और सुश्री मनीषा, एन.ए.ए. और डी.जी.ए.पी. के लिए अधिवक्तागण।

रि.या.(सि.)4348/2020

एपेक्स मेडोस प्राइवेट लिमिटेड

.....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री वी. लक्ष्मीकुमारन, श्री करण सचदेव, श्री योगेंद्र अलदक के साथ श्री अग्रिम अरोड़ा, अधिवक्तागण।

बनाम

भारतीय संघ और अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: सुश्री नेहा मलिक, एन.ए.ए. और डी.जी.ए.पी. के लिए अधिवक्ता।

श्री एम. रामबाबू, सुश्री प्रीति कुमारी और श्री एन एस्वारा राव, प्र-4 के लिए अधिवक्तागण।

श्री जोहेब हुसैन, संजीव मेनन, श्री विवेक गुरनानी, श्री कविश गरच, सुश्री अभिप्रिया, श्री विवेक गौरव, सुश्री सेजल अनेजा और सुश्री मनीषा,

एन.ए.ए. और डी.जी.ए.पी. के लिए
अधिवक्तागण।

रि.या.(सि.)4375/2020

मेसर्स पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड

.....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री प्रियदर्शी मनीष, श्रीमती अंजलि
झा मनीष, श्री सक्शम गर्ग और
सुश्री अंकिता, अधिवक्तागण।

बनाम

भारतीय संघ और अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री जोहेब हुसैन, संजीव मेनन, श्री
विवेक गुरनानी, श्री कविश गरच,
सुश्री अभिप्रिया, श्री विवेक गौरव,
सुश्री सेजल अनेजा और सुश्री मनीषा,
एन.ए.ए. और डी.जी.ए.पी. के लिए
अधिवक्तागण।

रि.या.(सि.)4516/2020

एम.सी.एन.आर.ओ.ई उपभोक्ता उत्पाद प्राइवेट लिमिटेड

.....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री तरुन गुलाटी, वरि. अधिवक्ता के
साथ श्री कुमार विशालक्ष, श्री उदित
जैन, श्री अरिहंत तातर, श्री सौरभ
दुगर और श्री अजितेश दयाल सिंह,
अधिवक्तागण।

बनाम

भारतीय संघ और अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री जोहेब हुसैन, संजीव मेनन, श्री विवेक गुरनानी, श्री कविश गरच, सुश्री अभिप्रिया, श्री विवेक गौरव, सुश्री सेजल अनेजा और सुश्री मनीषा, एन.ए.ए. और डी.जी.ए.पी. के लिए अधिवक्तागण।

श्री फर्मान अली के साथ सुश्री उषा जमनाल और श्री क्रिशन कुमार, भारतीय संघ के लिए अधिवक्तागण।

रि.या.(सि.)4607/2020

एफिनिटी एंटरप्राइजेज

.....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री आर. जवाहर लाल, श्री सिद्धार्थ बावा, श्री अनुज गर्ग, श्री मोहित शर्मा और सुश्री हर्षिता, अधिवक्तागण।

बनाम

भारतीय संघ और अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री फरमान अली के साथ सुश्री उषा जमनाल और श्री क्रिशन कुमार, भारतीय संघ के लिए अधिवक्तागण। श्री जोहेब हुसैन, संजीव मेनन, श्री विवेक गुरनानी, श्री कविश गरच, सुश्री अभिप्रिया, श्री विवेक गौरव, सुश्री सेजल अनेजा और सुश्री मनीषा, एन.ए.ए. और डी.जी.ए.पी. के लिए अधिवक्तागण।

श्री रवि चावला, एन.ए.ए. के लिए
स्थायी अधिवक्ता के साथ श्री
अवनीश कुमार उपाध्याय,
अधिवक्ता।

रि.या.(सि.)4824/2020 और सि.वि.आ. सं.2183/2021

मेसर्स सिलेंट्रो डाइनेर्स प्राइवेट लिमिटेड

.....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री निखिल गुप्ता, श्री विपिन
उपाध्याय, श्री प्रिंस नागपाल और श्री
रोचित अभिषेक, अधिवक्तागण

बनाम

भारतीय संघ और अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री फरमान अली के साथ सुश्री उषा
जमनाल और श्री क्रिशन कुमार,
भारतीय संघ के लिए अधिवक्तागण।
श्री जोहेब हुसैन, संजीव मेनन, श्री
विवेक गुरनानी, श्री कविश गरच,
सुश्री अभिप्रिया, श्री विवेक गौरव,
सुश्री सेजल अनेजा और सुश्री मनीषा,
एन.ए.ए. और डी.जी.ए.पी. के लिए
अधिवक्तागण।

श्री रोनी जॉन, श्री पियुष स्वामी और
श्री अर्शदीप सिंह और श्री अनुज दुबे,
प्र.-2 और 3 के लिए अधिवक्तागण।

रि.या.(सि.)4957/2020

व्हर्लपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड

.....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री वी. लक्ष्मीकुमारन, श्री करण सचदेव, श्री योगेंद्र अलदक के साथ श्री अग्रिम अरोड़ा, अधिवक्तागण।

बनाम

भारतीय संघ और अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री फरमान अली के साथ सुश्री उषा जमनाल और श्री क्रिशन कुमार, भारतीय संघ के लिए अधिवक्तागण। श्री जोहेब हुसैन, संजीव मेनन, श्री विवेक गुरनानी, श्री कविश गरच, सुश्री अभिप्रिया, श्री विवेक गौरव, सुश्री सेजल अनेजा और सुश्री मनीषा, एन.ए.ए. और डी.जी.ए.पी. के लिए अधिवक्तागण।

सुश्री सोनू भटनागर, वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता के साथ सुश्री वीनस मेहरोत्रा, अधिवक्ता और सुश्री कनक ग्रोवर, प्र.-5 के लिए अधिवक्ता।

रि.या.(सि.) 5347/2020 और सि.वि.आ. सं.23558/2020

गौरसंस रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड

.....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री मोनिश पांडा, अधिवक्ता के साथ श्री मृणाल भरत राम और श्री गौरव डबास, अधिवक्तागण।

बनाम

भारतीय संघ और अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री भगवान स्वरूप शुक्ला,
के.स.स्था.अधि. के साथ श्री सरवन
कुमार और श्री सक्षम सेठी, भारतीय
संघ के लिए अधिवक्तागण।
श्री फरमान अली के साथ सुश्री उषा
जमनाल और श्री क्रिशन कुमार,
भारतीय संघ के लिए अधिवक्तागण।
श्री जोहेब हुसैन, संजीव मेनन, श्री
विवेक गुरनानी, श्री कविश गरच,
सुश्री अभिप्रिया, श्री विवेक गौरव,
सुश्री सेजल अनेजा और सुश्री मनीषा,
एन.ए.ए. और डी.जी.ए.पी. के लिए
अधिवक्तागण।

रि.या.(सि.)5798/2020

रामप्रस्थ प्रमोटर्स एंड डेवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड

.....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री पुनीत अग्रवाल, अधिवक्ता के
साथ श्री प्रेम कांडपाल, श्री केतन जैन
और श्री चेतन कुमार शुक्ला
अधिवक्तागण।

बनाम

भारतीय संघ और अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री अनिल सोनी, भारतीय संघ के
लिए के.स.स्था.अधि. के साथ श्री
देवव्रत यादव, अधिवक्ता।

सुश्री सोनू भटनागर के साथ सुश्री निष्ठा मित्तल और सुश्री मोनिका बेंजामिन, प्र.-2 से 6, 8 और 8 के लिए अधिवक्तागण।

श्री जोहेब हुसैन, संजीव मेनन, श्री विवेक गुरनानी, श्री कविश गरच, सुश्री अभिप्रिया, श्री विवेक गौरव, सुश्री सेजल अनेजा और सुश्री मनीषा, एन.ए.ए. और डी.जी.ए.पी. के लिए अधिवक्तागण।

सुश्री आकांक्षा कौल, अधिवक्ता के साथ सुश्री वर्षा सिंह, भारतीय संघ के लिए अधिवक्तागण।

सुश्री अल्पना सिंह और श्री पी. पांडे, प्र.-3 के लिए अधिवक्तागण

रि.या.(सि.) 5979/2020 और सि.वि.आ. सं.21655/2020

एमार एमजीएफ लैंड लिमिटेड

.....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री वी. लक्ष्मीकुमारन, श्री करण सचदेव, श्री योगेंद्र अलदक के साथ श्री अग्रिम अरोड़ा, अधिवक्तागण।

बनाम

भारतीय संघ और अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री रवि प्रकाश, के.स.स्था.अधि. के साथ सुश्री अस्तू खंडेलवाल, भारतीय संघ के लिए अधिवक्ता।

श्री जोहेब हुसैन, संजीव मेनन, श्री विवेक गुरनानी, श्री कविश गरच, सुश्री अभिप्रिया, श्री विवेक गौरव, सुश्री सेजल अनेजा और सुश्री मनीषा, एन.ए.ए. और डी.जी.ए.पी. के लिए अधिवक्तागण।

श्री परंगत पांडे और सुश्री अल्पना सिंह, प्र.-3 के लिए अधिवक्तागण।

श्री सतीश कुमार, वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता।

रि.या.(सि.) 6671/2020

गौरव शर्मा फूड इंडस्ट्रीज

.....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री निखिल गुप्ता, श्री विपिन उपाध्याय, श्री प्रिंस नागपाल और श्री रोचित, अधिवक्तागण

बनाम

भारतीय संघ और अन्य

.....प्रत्यर्थागण

द्वारा: श्री विवेक गोयल, अधिवक्ता के साथ श्री गोकुल शर्मा, अधिवक्ता और श्री शिवम सिंह, प्र.-1 के लिए अधिवक्तागण।

श्री जोहेब हुसैन, संजीव मेनन, श्री विवेक गुरनानी, श्री कविश गरच, सुश्री अभिप्रिया, श्री विवेक गौरव, सुश्री सेजल अनेजा और सुश्री मनीषा,

एन.ए.ए. और डी.जी.ए.पी. के लिए
अधिवक्तागण।

रि.या.(सि.) 7412/2020 और सि.वि.आ. सं.24800/2020

सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेडयाचिकाकर्ता
द्वारा: श्री तुषार जसवाल, श्री राहुल सतीजा
के साथ श्री प्रनव बंसल और श्री
संयम अग्रवाल, अधिवक्तागण।

बनाम

भारतीय संघ और अन्यप्रत्यर्थीगण
द्वारा: श्री फर्मान अली, अधिवक्ता के साथ
श्री क्रिशन कुमार और सुश्री उषा
जमनाल, भारतीय संघ के लिए
अधिवक्तागण।
श्री जोहेब हुसैन, संजीव मेनन, श्री
विवेक गुरनानी, श्री कविश गरच,
सुश्री अभिप्रिया, श्री विवेक गौरव,
सुश्री सेजल अनेजा और सुश्री मनीषा,
एन.ए.ए. और डी.जी.ए.पी. के लिए
अधिवक्तागण।

रि.या.(सि.)7736/2020

मेसर्स प्रसाद मीडिया कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेडयाचिकाकर्ता
द्वारा: श्री वी. लक्ष्मीकुमारन, श्री करण
सचदेव, श्री योगेंद्र अलदक के साथ
श्री अग्रिम अरोड़ा, अधिवक्तागण।

बनाम

भारतीय संघ और अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

द्वारा:

सुश्री आकांक्षा कौल, अधिवक्ता के साथ सुश्री वर्षा सिंह और श्री अमन साहनी और सुश्री रिया, भारतीय संघ के लिए अधिवक्तागण।

सुश्री सोनू भटनागर, वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता के साथ सुश्री वीनस मेहरोत्रा, अधिवक्ता और सुश्री कनक गोवर, प्र.-4 के लिए अधिवक्ता।

श्री जोहेब हुसैन, संजीव मेनन, श्री विवेक गुरनानी, श्री कविश गरच, सुश्री अभिप्रिया, श्री विवेक गौरव, सुश्री सेजल अनेजा और सुश्री मनीषा, एन.ए.ए. और डी.जी.ए.पी. के लिए अधिवक्तागण।

रि.या.(सि.)8229/2020

लाइटकॉन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड

.....याचिकाकर्ता

द्वारा:

श्री कुमार विशालक्ष के साथ श्री उदित जैन, श्री अरिहंत तातर, श्री सौरभ दुगर और श्री अजितेश दयाल सिंह, अधिवक्तागण।

बनाम

भारतीय संघ और अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री फरमान अली, अधिवक्ता के साथ
श्री क्रिशन कुमार और सुश्री उषा
जमनाल, भारतीय संघ के लिए
अधिवक्तागण।

श्री विपुल अग्रवाल के साथ श्री गिब्रन
नौशाद, क.स्था.अधि. सुश्री साक्षी
शैरवाल और श्री वैभव, राजस्व के
लिए अधिवक्तागण।

श्री जोहेब हुसैन, संजीव मेनन, श्री
विवेक गुरनानी, श्री कविश गरच,
सुश्री अभिप्रिया, श्री विवेक गौरव,
सुश्री सेजल अनेजा और सुश्री मनीषा,
एन.ए.ए. और डी.जी.ए.पी. के लिए
अधिवक्तागण।

रि.या.(सि.)8751/2020 और सि.वि.आ. सं.28192/2020

मेसर्स सिगनेचर बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड

.....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री पुनीत अग्रवाल, के साथ श्री प्रेम
कांडपाल, श्री केतन जैन और श्री
चेतन कुमार शुक्ला अधिवक्तागण।

बनाम

भारतीय संघ और अन्य

.....प्रत्यर्थागण

द्वारा: श्री हरिश वैद्यनाथन शंकर,
के.स.स्था.अधि. के साथ श्री सिश
कुमार मिश्रा, श्री सागर मेहलावत,
सुश्री मनप्रीत कौर भासिन और श्री

एलेग्जेंडर मथाई पैकाडे, भारतीय संघ
के लिए अधिवक्तागण।

सुश्री सोनू भटनागर, सुश्री वीनस
मेहरोत्रा, अधिवक्ता और सुश्री कनक
ग्रोवर, प्र.-2 के लिए अधिवक्ता।

श्री जोहेब हुसैन, संजीव मेनन, श्री
विवेक गुरनानी, श्री कविश गरच,
सुश्री अभिप्रिया, श्री विवेक गौरव,
सुश्री सेजल अनेजा और सुश्री मनीषा,
एन.ए.ए. और डी.जी.ए.पी. के लिए
अधिवक्तागण।

रि.या.(सि.) 9146/2020 और सि.वि.आ. सं.29630/2020

लाइट बाइट ट्रैवल फूड्स प्राइवेट लिमिटेड

.....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री वी. लक्ष्मीकुमारन, श्री करण
सचदेव, श्री योगेंद्र अलदक के साथ
श्री अग्रिम अरोड़ा, अधिवक्तागण।

बनाम

भारतीय संघ और अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री सतिश कुमार, वरि. स्थायी
अधिवक्ता के साथ सुश्री वैशाली
गोयल और श्री ध्रुव, प्र.-1 के लिए
अधिवक्तागण।

श्री अश्विनी चावला, प्र.-2 और प्र.-3
के लिए अधिवक्तागण।

श्री जोहेब हुसैन, संजीव मेनन, श्री
विवेक गुरनानी, श्री कविश गरच,
सुश्री अभिप्रिया, श्री विवेक गौरव,
सुश्री सेजल अनेजा और सुश्री मनीषा,
एन.ए.ए. और डी.जी.ए.पी. के लिए
अधिवक्तागण।

रि.या.(सि.)9931/2020

मेसर्स निराला प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड

.....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री पुनीत अग्रवाल, अधिवक्ता के
साथ श्री प्रेम कांडपाल, श्री केतन जैन
और श्री चेतन कुमार शुक्ला
अधिवक्तागण।

बनाम

भारतीय संघ और अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री फरमान अली, अधिवक्ता के साथ
श्री क्रिशन कुमार और सुश्री उषा
जमनाल, भारतीय संघ के लिए
अधिवक्तागण।

सुश्री आकांक्षा कौल, अधिवक्ता।
सुश्री नेहा मलिक, प्र.-3 और 4 के
लिए अधिवक्ता

रि.या.(सि.) 9934/2020 और सि.वि.आ. सं.31623-24/2020

मेसर्स एस3 बिल्डवेल एलएलपी

.....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री पुनीत अग्रवाल, अधिवक्ता के साथ श्री प्रेम कांडपाल, श्री केतन जैन और श्री चेतन कुमार शुक्ला अधिवक्तागण।

बनाम

भारतीय संघ और अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: सुश्री आकांक्षा कौल, श्री मानेक सिंह, श्री आमन साहनी, भारतीय संघ के लिए अधिवक्तागण।

श्री जोहेब हुसैन, संजीव मेनन, श्री विवेक गुरनानी, श्री कविश गरच, सुश्री अभिप्रिया, श्री विवेक गौरव, सुश्री सेजल अनेजा और सुश्री मनीषा, एन.ए.ए. और डी.जी.ए.पी. के लिए अधिवक्तागण।

रि.या.(सि.) 9935/2020 और सि.वि.आ. सं.31625-26/2020

मेसर्स जे.एम.के. होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड

.....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री प्रेम कांडपाल, अधिवक्ता के साथ श्री केतन जैन और श्री चेतन कुमार शुक्ला अधिवक्तागण।

बनाम

भारतीय संघ और अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: सुश्री आकांक्षा कौल, अधिवक्ता के साथ सुश्री वर्शा सिंह और श्री अमन

साहनी और सुश्री रिया, भारतीय संघ के लिए अधिवक्तागण।

श्री जोहेब हुसैन, संजीव मेनन, श्री विवेक गुरनानी, श्री कविश गरच, सुश्री अभिप्रिया, श्री विवेक गौरव, सुश्री सेजल अनेजा और सुश्री मनीषा, एन.ए.ए. और डी.जी.ए.पी. के अधिवक्तागण।

रि.या.(सि.) 10901/2020 और सि.वि.आ. 34162-34163/2020

एस. सी. जॉनसन प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेडयाचिकाकर्ता

द्वारा: श्री रजत बोस के साथ श्री अंकित सचदेवा और सुश्री सोहिनी भट्टाचार्य, अधिवक्तागण।

बनाम

भारतीय संघ और अन्यप्रत्यर्थीगण

द्वारा: सुश्री निधि रमन, के.स.स्था.अधि. के साथ श्री जुबिन सिंह और श्री देबर चान डे, भारतीय संघ के लिए अधिवक्तागण।

श्री जोहेब हुसैन, संजीव मेनन, श्री विवेक गुरनानी, श्री कविश गरच, सुश्री अभिप्रिया, श्री विवेक गौरव, सुश्री सेजल अनेजा और सुश्री मनीषा, एन.ए.ए. और डी.जी.ए.पी. के लिए अधिवक्तागण।

रि.या.(सि.) 10932/2020 और सि.वि.आ. 34237-34238/2020 और
8172/2022

मेसर्स ईमार एमजीएफ लैंड लिमिटेड

.....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री वी. लक्ष्मीकुमारन, श्री करण
सचदेव, श्री योगेंद्र अलदक के साथ
श्री अग्रिम अरोड़ा, अधिवक्तागण।

बनाम

भारतीय संघ और अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री रवि प्रकाश, के.स.स्था.अधि. के
साथ श्री फारमान अली, श्री मनस
त्रिपाठी और सुश्री श्रुति शिवकुमार,
भारतीय संघ के लिए अधिवक्ता।
श्री जोहेब हुसैन, संजीव मेनन, श्री
विवेक गुरनानी, श्री कविश गरच,
सुश्री अभिप्रिया, श्री विवेक गौरव,
सुश्री सेजल अनेजा और सुश्री मनीषा,
एन.ए.ए. और डी.जी.ए.पी. के लिए
अधिवक्तागण।
श्री नेहा मलिक, प्र.-4 के लिए
अधिवक्ता।
श्री सतीश कुमार, प्रत्यर्थी सं.3 के
वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता।
सुश्री नेहा मलिक, एन.ए.ए. और
डी.जी.ए.पी. के लिए अधिवक्ता।

रि.या.(सि.)990/2021

मेसर्स बी.पी.टी.पी. लिमिटेड

..... याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री किशोर कुणाल और सुश्री अंकिता
प्रकाश और श्री अनुज कुमार,
अधिवक्तागण।

बनाम

भारतीय संघ और अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री अशीश जैन, के.स.स्था.अधि. के
साथ श्री गौरव कुमार, प्र.-1 के लिए
अधिवक्ता

श्री जोहेब हुसैन, संजीव मेनन, श्री
विवेक गुरनानी, श्री कविश गरच,
सुश्री अभिप्रिया, श्री विवेक गौरव,
सुश्री सेजल अनेजा और सुश्री मनीषा,
एन.ए.ए. और डी.जी.ए.पी. के लिए
अधिवक्तागण।

सुश्री सोनू भटनागर, वरिष्ठ स्थायी
अधिवक्ता, के साथ सुश्री वीनस
मेहरोत्रा, अधिवक्ता और सुश्री कनक
ग्रोवर, प्र.-4 के लिए अधिवक्ता

रि.या.(सि.)997/2021 और सि.वि. सं.2721/2021

मेसर्स मैन रियल्टी लिमिटेड और अन्य

..... याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री वी. लक्ष्मीकुमारन, श्री करण
सचदेव, श्री योगेंद्र अलदक के साथ
श्री अग्रिम अरोड़ा, अधिवक्तागण।

बनाम

भारतीय संघ और अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री फरमान अली, अधिवक्ता के साथ
श्री क्रिशन कुमार और सुश्री उषा
जमनाल, भारतीय संघ के लिए
अधिवक्तागण।

श्री जोहेब हुसैन, संजीव मेनन, श्री
विवेक गुरनानी, श्री कविश गरच,
सुश्री अभिप्रिया, श्री विवेक गौरव,
सुश्री सेजल अनेजा और सुश्री मनीषा,
एन.ए.ए. और डी.जी.ए.पी. के लिए
अधिवक्तागण।

रि.या.(सि.)1357/2021

मेसर्स इन्फिनिटी रिटेल लिमिटेड

..... याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री रोहन शाह, श्री मिहिर देशमुख,
श्री रजत मित्तल, श्री जय गांधी और
सुश्री मेघा, अधिवक्ता।

बनाम

भारतीय संघ और अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री देव पी. भारद्वाज, भारतीय संघ
के लिए के.स.स्था.अधि. के साथ श्री
सचिन सिंह और सुश्री चाहत खन्ना,
अधिवक्तागण।

श्री जोहेब हुसैन, संजीव मेनन, श्री
विवेक गुरनानी, श्री कविश गरच,
सुश्री अभिप्रिया, श्री विवेक गौरव,
सुश्री सेजल अनेजा और सुश्री मनीषा,

एन.ए.ए. और डी.जी.ए.पी. के लिए
अधिवक्तागण।

रि.या.(सि.)1366/2021

मेसर्स टाटा स्टारबक्स प्राइवेट लिमिटेड याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री रोहन शाह, अधिवक्ता

बनाम

भारतीय संघ और अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री रोहन शाह, श्री एस. महेश
सहस्रनामन और श्री एस. राजन,
भारतीय संघ के लिए अधिवक्तागण
श्री जोहेब हुसैन, संजीव मेनन, श्री
विवेक गुरनानी, श्री कविश गरच,
सुश्री अभिप्रिया, श्री विवेक गौरव,
सुश्री सेजल अनेजा और सुश्री मनीषा,
एन.ए.ए. और डी.जी.ए.पी. के लिए
अधिवक्तागण।

रि.या.(सि.) 1593/2021 और सि.वि.आ. सं.4529/2021

रेमंड कंज्यूमर केयर लिमिटेड याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री वी. लक्ष्मीकुमारन, श्री करण
सचदेव, श्री योगेंद्र अलदक के साथ
श्री अग्रिम अरोड़ा, अधिवक्तागण।

बनाम

भारतीय संघ और अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: सुश्री अमृता प्रकाश, के.स.स्था.अधि.
के साथ श्री विशाल अश्विनी मेहता,
भारतीय संघ के लिए अधिवक्ता
श्री जोहेब हुसैन, संजीव मेनन, श्री
विवेक गुरनानी, श्री कविश गरच,
सुश्री अभिप्रिया, श्री विवेक गौरव,
सुश्री सेजल अनेजा और सुश्री मनीषा,
एन.ए.ए. और डी.जी.ए.पी. के लिए
अधिवक्तागण।

रि.या.(सि.) 1765/2021

मेसर्स ले रेव

..... याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री निखिल गुप्ता, श्री विपिन
उपाध्याय, श्री प्रिंस नागपाल और श्री
रोचित अभिषेक, अधिवक्तागण।

बनाम

भारतीय संघ और अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री ऋषभ साहू के साथ श्री समीर
शर्मा भारतीय संघ के लिए
अधिवक्तागण।
श्री अश्विनि चावला, प्र.-2 और 3 के
लिए अधिवक्ता।
श्री जोहेब हुसैन, संजीव मेनन, श्री
विवेक गुरनानी, श्री कविश गरच,
सुश्री अभिप्रिया, श्री विवेक गौरव,
सुश्री सेजल अनेजा और सुश्री मनीषा,

एन.ए.ए. और डी.जी.ए.पी. के लिए
अधिवक्तागण।

रि.या.(सि.)1766/2021

नीवा फूड्स प्राइवेट लिमिटेड

..... याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री निखिल गुप्ता, श्री विपिन
उपाध्याय, श्री प्रिंस नागपाल और श्री
रोचित अभिषेक, अधिवक्तागण।

बनाम

भारतीय संघ और अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री आदित्य देवान, अधिवक्ता
श्री जोहेब हुसैन, वरिष्ठ स्थायी
अधिवक्ता के साथ श्री विवेक
गुरनानी, श्री संजीव मेनन, सुश्री
सेजल अनेजा, एन.ए.ए./डी.जी.ए.पी.
के लिए अधिवक्तागण।

रि.या.(सि.)1852/2021 & सि.वि.सं.5359/2021, 29026-29027/2021

मेसर्स सबवे सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

.....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री अभिषेक ए. रस्तोगी और श्री
प्रत्यूष प्रव साहा, अधिवक्तागण।

बनाम

भारतीय संघ और अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री सत्या रंजन स्वैन, वरि.पै.अधि.,
श्री कौटिल्य बिराट, प्र.-1/भारतीय
संघ के लिए अधिवक्ता
श्री जोहेब हुसैन, वरि. स्थायी
अधिवक्ता के साथ श्री विवेक
गुरनानी, श्री संजीव मेनन, सुश्री
सेजल अनेजा, एन.ए.ए./डी.जी.ए.पी.
के लिए अधिवक्तागण।

रि.या.(सि.) 1951/2021 और सि.वि.आ. सं.5705-06/2021

मेसर्स सब वेस्ट रेस्टोरेण्ट्स एल.एल.पी.याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री अभिषेक ए. रस्तोगी, अधिवक्ता

बनाम

भारतीय संघ और अन्यप्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री अंशुमन, वरि. पैनल अधिवक्ता
के साथ श्री पीयूष अहलूवालिया, प्र.-
1 के लिए अधिवक्ता।

श्री आदित्य देवान, प्र.-3/एन.ए.पी.ए.
के लिए अधिवक्तागण।

सुश्री सोनू भटनागर के साथ सुश्री
वीनस मेहरोत्रा, अधिवक्ता और सुश्री
कनक गोवर, प्र.-4 के लिए
अधिवक्ता।

सुश्री तालीश रे, अधिवक्ता

श्री जोहेब हुसैन, संजीव मेनन, श्री
विवेक गुरनानी, श्री कविश गरच,

सुश्री अभिप्रिया, श्री विवेक गौरव,
सुश्री सेजल अनेजा और सुश्री मनीषा,
एन.ए.ए. और डी.जी.ए.पी. के लिए
अधिवक्तागण।

रि.या.(सि.)2440/2021

बोन सेंट

.....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री निखिल गुप्ता, श्री विपिन
उपाध्याय, श्री प्रिंस नागपाल और श्री
रोचित अभिषेक, अधिवक्तागण।

बनाम

भारतीय संघ और अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: सुश्री प्रतिमा एन. लाकरा,
के.स.स्था.अधि. के साथ सुश्री वान्या
बजाज और श्री कशिश जी. बवेजा,
भारतीय संघ के लिए अधिवक्ता।
श्री रॉनी जॉन, श्री पियूष स्वामी, श्री
अर्शदीप सिंह और श्री अनुज दुबे, प्र.-
2 और 3 के लिए अधिवक्तागण।

रि.या.(सि.)2676/2021 और सि.वि.आ.7906-07/2021

होराइजन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

.....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री कुमार विशालक्ष के साथ श्री
उदित जैन, श्री अरिहंत तातर, श्री
सौरभ दुगर और श्री अजितेश दयाल
सिंह, अधिवक्तागण।

बनाम

भारतीय संघ और अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री राजेश कुमार के साथ सुश्री रमनीत कौर, भारतीय संघ के लिए अधिवक्तागण।

श्री परंगत पांडे और सुश्री अल्पना सिंह, प्र.-3 के लिए अधिवक्तागण।

रि.या.(सि.)2785/2021 और सि.वि.आ.8368/2021

सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड

.....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री सुजीत घोष, श्री मन्नत वडैच, श्री आश्रय बेहरा और सुश्री अनन्या गोस्वामी, अधिवक्तागण।

बनाम

भारतीय संघ और अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री जोहेब हुसैन, संजीव मेनन, श्री विवेक गुरनानी, श्री कविश गरच, सुश्री अभिप्रिया, श्री विवेक गौरव, सुश्री सेजल अनेजा और सुश्री मनीषा, एन.ए.ए. और डी.जी.ए.पी. के लिए अधिवक्तागण।

रि.या.(सि.)2897/2021

आई.टी.सी. लिमिटेड और अन्य

.....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री के. एस. सुरेश, अधिवक्ता के साथ श्री अजय अग्रवाल, अधिवक्ता।

बनाम

भारतीय संघ और अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री रवि प्रकाश, के.स.स्था.अधि. के साथ सुश्री अस्तू खंडेलवाल, भारतीय संघ के लिए अधिवक्ता।

श्री जोहेब हुसैन, संजीव मेनन, श्री विवेक गुरनानी, श्री कविश गरच, सुश्री अभिप्रिया, श्री विवेक गौरव, सुश्री सेजल अनेजा और सुश्री मनीषा, एन.ए.ए. और डी.जी.ए.पी. के लिए अधिवक्तागण।

रि.या.(सि.)2970/2021

मेसर्स डी.आर.ए. आदित्य प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेडयाचिकाकर्ता

द्वारा: श्री मोनिश पांडा के साथ श्री मृणाल भरत राम और श्री गौरव डबास, अधिवक्तागण।

बनाम

भारतीय संघ और अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री मनीष मोहन, के.स.स्था.अधि. के साथ श्री देवेन्द्र कुमार, भारतीय संघ के लिए अधिवक्ता

श्री समीर वशिष्ठ, अति.स्था.अधि. सिविल रा.रा.क्षे.दि.स. के साथ सुश्री संजना नांगिया, अधिवक्तागण।

श्री यूनस मलिक, एन.ए.ए. के लिए
अधिवक्ता

श्री जोहेब हुसैन, संजीव मेनन, श्री
विवेक गुरनानी, श्री कविश गरच,
सुश्री अभिप्रिया, श्री विवेक गौरव,
सुश्री सेजल अनेजा और सुश्री मनीषा,
एन.ए.ए. और डी.जी.ए.पी. के लिए
अधिवक्तागण।

रि.या.(सि.)3254/2021

जिलेट इंडिया लिमिटेड

.....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री वी. लक्ष्मीकुमारन, श्री करण
सचदेव, श्री योगेंद्र अलदक के साथ
श्री अग्रिम अरोड़ा, अधिवक्तागण।

बनाम

भारतीय संघ और अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री आशीष जैन, के.स.स्था.अधि. के
साथ श्री गौरव कुमार प्र.-1 के लिए
अधिवक्ता

रि.या.(सि.)3306/2021

प्रॉक्टर एंड गेंबल होम प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

.....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री वी. लक्ष्मीकुमारन, श्री करण
सचदेव, श्री योगेंद्र अलदक के साथ
श्री अग्रिम अरोड़ा, अधिवक्तागण।

बनाम

भारतीय संघ और अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री रिपू दमन भारद्वाज,
के.स.स्था.अधि. के साथ श्री कुशाग्र
कुमार, प्र.-1 के लिए अधिवक्ता।
श्री विवेक गोयल, के.स.स्था.अधि.
के साथ श्री गोकुल शर्मा, भारतीय
संघ के लिए अधिवक्ता।
श्री जोहेब हुसैन, वरि. स्थायी
अधिवक्ता के साथ श्री विवेक
गुरनानी,
श्री संजीव मेनन, सुश्री सेजल अनेजा,
एन.ए.ए./डी.जी.ए.पी. के लिए
अधिवक्तागण।

रि.या.(सि.)3327/2021

प्रॉक्टर एंड गेंबल हाइजीन एंड हेल्थ केयर लिमिटेडयाचिकाकर्ता

द्वारा: श्री वी. लक्ष्मीकुमारन, श्री करण
सचदेव, श्री योगेंद्र अलदक के साथ
श्री अग्रिम अरोड़ा, अधिवक्तागण।

बनाम

भारतीय संघ और अन्यप्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री विवेक गोयल, अधिवक्ता के साथ
श्री गोकुल शर्मा, अधिवक्ता और श्री
शिवम सिंह, प्र.-1 के लिए
अधिवक्तागण।
श्री जोहेब हुसैन, संजीव मेनन, श्री
विवेक गुरनानी, श्री कविश गरच,
सुश्री अभिप्रिया, श्री विवेक गौरव,

सुश्री सेजल अनेजा और सुश्री मनीषा,
एन.ए.ए. और डी.जी.ए.पी. के लिए
अधिवक्तागण।

रि.या.(सि.) 3508/2021 और सि.वि.आ. सं.25152-53/2021

मेसर्स एल्टन बिल्डटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेडयाचिकाकर्ता

द्वारा: सुश्री रूबी सिंह आहूजा, सुश्री कृतिका
सचदेवा, श्री विशाल गेहराना और श्री
जप्पनप्रीत होरा, अधिवक्तागण

बनाम

भारतीय संघ और अन्यप्रत्यर्थीगण

द्वारा: सुश्री प्रतिमा एन. लाकरा,
के.स.स्था.अधि. के साथ सुश्री वान्या
बजाज और श्री कशिश जी. बवेजा,
भारतीय संघ के लिए अधिवक्तागण।
श्री विनोद दिवाकर, के.स.स्था.अधि.
के साथ श्री विशाल कुमार सिंह और
श्री ओल्सन नायर, भारतीय संघ के
लिए अधिवक्तागण।

श्री जोहेब हुसैन, संजीव मेनन, श्री
विवेक गुरनानी, श्री कविश गरच,
सुश्री अभिप्रिया, श्री विवेक गौरव,
सुश्री सेजल अनेजा और सुश्री मनीषा,
एन.ए.ए. और डी.जी.ए.पी. के लिए
अधिवक्तागण।

रि.या.(सि.)3867/2021

मेसर्स इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट इंडिया लिमिटेड

.....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री निखिल गुप्ता, श्री विपिन उपाध्याय, श्री प्रिंस नागपाल और श्री रोचित अभिषेक, अधिवक्तागण।

बनाम

भारतीय संघ और अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री फरमान अली, अधिवक्ता के साथ श्री क्रिशन कुमार और सुश्री उषा जमनाल, भारतीय संघ के लिए अधिवक्तागण।

श्री रिपू दमन भारद्वाज, भारतीय संघ के लिए के.स.स्था.अधि।

श्री यूनस मलिक, अधिवक्ता एन.ए.ए. और डी.जी.ए.पी.

श्री जोहेब हुसैन, संजीव मेनन, श्री विवेक गुरनानी, श्री कविश गरच, सुश्री अभिप्रिया, श्री विवेक गौरव, सुश्री सेजल अनेजा और सुश्री मनीषा, एन.ए.ए. और डी.जी.ए.पी. के लिए अधिवक्तागण।

रि.या.(सि.)4600/2021

आईनॉक्स लेजर लिमिटेड

.....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री कुमार विशालक्ष के साथ श्री उदित जैन, श्री अरिहंत तातर, श्री सौरभ दुगर और श्री अजितेश दयाल सिंह, अधिवक्तागण।

बनाम

भारतीय संघ और अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री रिपू दमन भारद्वाज,
के.स.स्था.अधि. के साथ श्री कुशाग्र
कुमार, प्र.-1 के लिए अधिवक्ता।
श्री भगवान स्वरूप शुक्ला,
के.स.स्था.अधि. के साथ श्री सरवन
कुमार और श्री सक्षम सेठी, भारतीय
संघ के लिए अधिवक्तागण।
श्री जोहेब हुसैन, संजीव मेनन, श्री
विवेक गुरनानी, श्री कविश गरच,
सुश्री अभिप्रिया, श्री विवेक गौरव,
सुश्री सेजल अनेजा और सुश्री मनीषा,
एन.ए.ए. और डी.जी.ए.पी. के लिए
अधिवक्तागण।

रि.या.(सि.)4789/2021

मेसर्स मानस विहार सहकारी आवास समिति लिमिटेडयाचिकाकर्ता

द्वारा: श्री अभिषेक ए. रस्तोगी, सुश्री पूजा
एम. रस्तोगी, सुश्री मीनल सोंगीरे
और श्री अजय सिंह, अधिवक्ता

बनाम

भारतीय संघ और अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री रिपू दमन भारद्वाज,
के.स.स्था.अधि. के साथ श्री कुशाग्र
कुमार, प्र.-1 के अधिवक्ता।

श्री भगवान स्वरूप शुक्ला,
के.स.स्था.अधि. के साथ श्री सरवन
कुमार और श्री सक्षम सेठी, भारतीय
संघ के लिए अधिवक्तागण।

श्री जोहेब हुसैन, संजीव मेनन, श्री
विवेक गुरनानी, श्री कविश गरच,
सुश्री अभिप्रिया, श्री विवेक गौरव,
सुश्री सेजल अनेजा और सुश्री मनीषा,
एन.ए.ए. और डी.जी.ए.पी. के लिए
अधिवक्तागण।

श्री मानस भटनागर, प्र.-4 के लिए
अधिवक्तागण।

रि.या.(सि.) 4794/2021 और सि.वि.आ. 14802/2021

येलो सन रेस्टॉरेंट प्राइवेट लिमिटेड

.....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री निखिल गुप्ता, श्री विपिन
उपाध्याय, श्री प्रिंस नागपाल और श्री
रोचित, अधिवक्तागण।

बनाम

भारतीय संघ और अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री अजय कुमार पांडे, भारतीय संघ
के लिए वरि.पै.अधि. के साथ श्री
पीयूष मिश्रा, अधिवक्ता।

श्री जोहेब हुसैन, संजीव मेनन, श्री
विवेक गुरनानी, श्री कविश गरच,
सुश्री अभिप्रिया, श्री विवेक गौरव,
सुश्री सेजल अनेजा और सुश्री मनीषा,

एन.ए.ए. और डी.जी.ए.पी. के लिए
अधिवक्ता।

रि.या.(सि.) 6337/2021 और सि.वि.आ.19960/2021

मेसर्स पुरी निर्माण प्राइवेट लिमिटेड

.....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री पुनीत अग्रवाल, अधिवक्ता के
साथ श्री प्रेम कांडपाल, श्री केतन जैन
और श्री चेतन कुमार शुक्ला
अधिवक्तागण।

बनाम

भारतीय संघ और अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री कुणाल शर्मा, वरि. स्थायी
अधिवक्ता के साथ श्री शुभेंदु
भट्टाचार्य, अधिवक्ता
श्री अपूर्व कुरुप, के.स.स्था.अधि. के
साथ श्री शिवांसु द्विवेदी और श्री
अखिल मासिया, प्र.-1 के लिए
अधिवक्तागण
श्री जोहेब हुसैन, संजीव मेनन, श्री
विवेक गुरनानी, श्री कविश गरच,
सुश्री अभिप्रिया, श्री विवेक गौरव,
सुश्री सेजल अनेजा और सुश्री मनीषा,
एन.ए.ए. और डी.जी.ए.पी. के लिए
अधिवक्तागण।

रि.या.(सि.) 12471/2021 और सि.वि.आ. सं. 39234/2021

साउथविंड्स प्रोजेक्ट्स एल.एल.पी.

.....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री कुनाल वजनी के साथ श्री कुनाल मिमानी, श्री कार्तिकेय भट्ट और श्री गौरव कतरी, अधिवक्तागण।

बनाम

भारतीय संघ और अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री आशीष जैन, के.स.स्था.अधि. के साथ श्री गौरव कुमार प्र.-1 के लिए अधिवक्ता
श्री अमन मलिक, प्र.-2 और प्र.-3 के लिए अधिवक्ता।
श्री आदित्य सिंगला, प्र.-4 के लिए वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता।
श्री जोहेब हुसैन, संजीव मेनन, श्री विवेक गुरनानी, श्री कविश गरच, सुश्री अभिप्रिया, श्री विवेक गौरव, सुश्री सेजल अनेजा और सुश्री मनीषा, एन.ए.ए. और डी.जी.ए.पी. के लिए अधिवक्तागण।

रि.या.(सि.) 14666/2021 और सि.वि.आ.46201-46203/2021

आनंद राठी

.....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री अभिषेक ए. रस्तोगी, सुश्री पूजा एम. रस्तोगी, सुश्री मीनल सांगीरे और श्री अजय सिंह, अधिवक्तागण

बनाम

भारतीय संघ और अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री रवि प्रकाश, के.स.स्था.अधि. के साथ सुश्री अस्तू खंडेलवाल, भारतीय संघ के लिए अधिवक्ता।

श्री अमन मलिक, श्री विजय कुमार मौर्य और सुश्री शुभी भारद्वाज, एन.ए.ए. और डी.जी.ए.पी. के लिए अधिवक्ता

श्री युनस मलिक, एन.ए.ए. और डी.जी.ए.पी. के लिए अधिवक्तागण।

रि.या.(सि.)6983/2022 और सि.वि. आ.21405/2022

डब्ल्यू.टी.सी. नोएडा डेवेलपमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड

.....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री प्रीतेश कपूर, वरि. अधिवक्ता के साथ शौनक कश्यप, श्री बालासुब्रमण्यम आर. अय्यर और श्री कानव अग्रवाल और सुश्री मुस्कान यादव, अधिवक्तागण।

बनाम

भारतीय संघ और अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: सुश्री अर्चना सुर्वे, प्र.-1 से 4 के लिए अधिवक्ता

श्री रवि प्रकाश, के.स.स्था.अधि. के साथ श्री अर्चना सुर्वे, श्री विनोद कुमार अहलावत, भारतीय संघ के लिए अधिवक्तागण।

श्री जोहेब हुसैन, संजीव मेनन, श्री
विवेक गुरनानी, श्री कविश गरच,
सुश्री अभिप्रिया, श्री विवेक गौरव,
सुश्री सेजल अनेजा और सुश्री मनीषा,
एन.ए.ए. और डी.जी.ए.पी. के लिए
अधिवक्तागण।

रि.या.(सि.)7781/2022 और सि.वि.आ.23831/2022

सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेडयाचिकाकर्ता

द्वारा: श्री सुजीत घोष के साथ सुश्री मन्नत
वारैच, श्री आश्रय बेहरूआ और सुश्री
अनन्या गोस्वामी, अधिवक्तागण।

बनाम

भारतीय संघ और अन्यप्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री राकेश कुमार, के.स.स्था.अधि. के
साथ श्री सुनील, भारतीय संघ के
लिए अधिवक्ता।

श्री जोहेब हुसैन, संजीव मेनन, श्री
विवेक गुरनानी, श्री कविश गरच,
सुश्री अभिप्रिया, श्री विवेक गौरव,
सुश्री सेजल अनेजा और सुश्री मनीषा,
एन.ए.ए. और डी.जी.ए.पी. के लिए
अधिवक्तागण।

रि.या.(सि.)8705/2022 और सि.वि.आ.26239-26240/2022

मेसर्स टाटा प्ले लिमिटेडयाचिकाकर्ता

द्वारा: श्री रोहन शाह के साथ श्री भरत रायचंदानी, श्री दीपक कुमार खोखर, अधिवक्तागण।

बनाम

भारतीय संघ और अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री अभिषेक साकेत, भारतीय संघ के लिए अधिवक्ता श्री जोहेब हुसैन, संजीव मेनन, श्री विवेक गुरनानी, श्री कविश गरच, सुश्री अभिप्रिया, श्री विवेक गौरव, सुश्री सेजल अनेजा और सुश्री मनीषा, एन.ए.ए. और डी.जी.ए.पी. के लिए अधिवक्तागण।

रि.या.(सि.) 12533/2022 और सि.वि.आ. सं.37949-37950/2022

लिचफ्ल केयर होम्स लिमिटेड

.....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री प्रत्यूष प्रवा सहा, अधिवक्ता।

बनाम

भारतीय संघ और अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री कमल कांत झा, वरि.पै.अधि. के साथ श्री अविनाश सिंह, प्र.-1/भारतीय संघ के लिए अधिवक्ता। श्री अभिषेक साकेत, भारतीय संघ के लिए अधिवक्ता। श्री के. के. झा, प्र.-1 के लिए वरि.पै.अधि.।

श्री जोहेब हुसैन, संजीव मेनन, श्री विवेक गुरनानी, श्री कविश गरच, सुश्री अभिप्रिया, श्री विवेक गौरव, सुश्री सेजल अनेजा और सुश्री मनीषा, एन.ए.ए. और डी.जी.ए.पी. के लिए अधिवक्तागण।

सुश्री सोनू भटनागर के साथ सुश्री निष्ठा मित्तल और सुश्री मोनिका बेंजामिन, प्र.-5 और 6 के लिए अधिवक्तागण।

श्री वरुण शर्मा, शिकायतकर्ता के लिए अधिवक्ता।

सुश्री शर्मिला उपाध्याय, सुश्री सुप्रिया आर. पांडे और श्री पवन उपाध्याय, प्र.-4 के लिए अधिवक्तागण।

रि.या.(सि.)12557/2022 और सि.वि.आ. सं.38027-38028/2022

लॉरियल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

.....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री वी. लक्ष्मीकुमारन, श्री करण सचदेव, श्री योगेंद्र अलदक के साथ श्री अग्रिम अरोड़ा, अधिवक्तागण।

बनाम

भारतीय संघ और अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: सुश्री उमा प्रसुना बाचू, वरि.पै.अधि. के साथ सुश्री पूनम, प्र.-1 के लिए स.प्ली.।

श्री जोहेब हुसैन, संजीव मेनन, श्री विवेक गुमानी, श्री कविश गरच, सुश्री अभिप्रिया, श्री विवेक गौरव, सुश्री सेजल अनेजा और सुश्री मनीषा, एन.ए.ए. और डी.जी.ए.पी. के लिए अधिवक्तागण।

रि.या.(सि.)12573/2022 और सि.वि.आ.38062-38063/2022

मेसर्स स्वाति रियल्टी

.....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री अभिषेक ए. रस्तोगी, सुश्री पूजा एम. रस्तोगी, सुश्री मीनल सांगीरे और श्री अजय सिंह, अधिवक्ता

बनाम

भारतीय संघ और अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री संदीप विष्णु, भारतीय संघ के लिए अधिवक्ता।

सुश्री सुरुची सूरी, अधिवक्ता के साथ श्री मयूर, प्र.-4 के लिए अधिवक्ता।

सुश्री सोनू भटनागर के साथ सुश्री निष्ठा मित्तल और सुश्री मोनिका बेंजामिन, प्र.-5 और 6 के लिए अधिवक्तागण।

श्री जोहेब हुसैन, संजीव मेनन, श्री विवेक गुरनानी, श्री कविश गरच, सुश्री अभिप्रिया, श्री विवेक गौरव, सुश्री सेजल अनेजा और सुश्री मनीषा,

एन.ए.ए. और डी.जी.ए.पी. के लिए
अधिवक्तागण।

**रि.या.(सि.) 12639/2022 और सि.वि.आ.38309-38310/2022 &
39263/2022**

मेसर्स परफेक्ट बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेडयाचिकाकर्ता
द्वारा: श्री कृष्ण मोहन के. मेनन और सुश्री
पारुल सचदेवा, अधिवक्ता।
बनाम

भारतीय संघ और अन्यप्रत्यर्थीगण
द्वारा: श्री रवि प्रकाश, के.स.स्था.अधि. के
साथ श्री अभिषेक खन्ना, प्र.-1 के
लिए अधिवक्ता।
श्री जोहेब हुसैन, संजीव मेनन, श्री
विवेक गुरनानी, श्री कविश गरच,
सुश्री अभिप्रिया, श्री विवेक गौरव,
सुश्री सेजा अनेजा और सुश्री मनीषा,
एन.ए.ए. और डी.जी.ए.पी. के लिए
अधिवक्तागण।

रि.या.(सि.)12797/2022 और सि.वि.आ.38922-38924/2022

वासवी और जी.पी. इंफ्रा एल.एल.पी.याचिकाकर्ता
द्वारा: श्री कृष्णा देव जगरलामुदी,
अधिवक्ता के साथ श्री एन. साई
विनोद, अधिवक्ता।
बनाम

भारतीय संघ और अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री जतिन, वरि. पैनल अधिवक्ता के साथ सुश्री चेतन्या पुरी, भारतीय संघ के लिए अधिवक्ता।
श्री जोहेब हुसैन, संजीव मेनन, श्री विवेक गुरनानी, श्री कविश गरच, सुश्री अभिप्रिया, सुश्री विवेक गौरव, सुश्री सेजल अनेजा और सुश्री मनीषा, एन.ए.ए. और डी.जी.ए.पी. के लिए अधिवक्तागण।
सुश्री सोनू भटनागर के साथ सुश्री निष्ठा मित्तल और सुश्री मोनिका बेंजामिन, प्र.-4 के लिए अधिवक्ता

रि.या.(सि.) 13657/2022 और सि.वि.आ.41646-41647/2022

मेसर्स डी.एल.एफ. लिमिटेड

.....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री वी. लक्ष्मीकुमारन, श्री अग्रिम अरोड़ा, श्री योगेंद्र, श्री करण सचदेव और श्री सुमित खदारिया, अधिवक्तागण।

बनाम

भारतीय संघ और अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री आशीष जैन, के.स.स्था.अधि. के साथ श्री गौरव कुमार, प्र.-1 के लिए अधिवक्ता।

श्री विपुल अग्रवाल,
एन.ए.ए./डी.जी.ए.पी. के लिए
अधिवक्ता

श्री जोहेब हुसैन, संजीव मेनन, श्री
विवेक गुरनानी, श्री कविश गरच,
सुश्री अभिप्रिया, श्री विवेक गौरव,
सुश्री सेजल अनेजा और सुश्री मनीषा,
एन.ए.ए. और डी.जी.ए.पी. के लिए
अधिवक्तागण।

श्री सतीश कुमार, वरि. स्थायी
अधिवक्ता के साथ सुश्री वैशाली
गोयल, प्र.-5 के लिए अधिवक्तागण।

**रि.या.(सि.)13715/2022 और सि.वि.आ.41879/2022, 45056/2022
और 45505/2022**

एन.वाई. सिनेमास एल.एल.पी.

.....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री राज शेखर राव, वरि. अधिवक्ता
के साथ श्री ऋतुराज एच. गुर्जर के
साथ श्री प्रतीक के. चड्ढा, श्री स्त्रीकर
एचूरी, सुश्री प्रज्ञा गंजू,
अधिवक्तागण।

बनाम

भारतीय संघ और अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री सुशील कुमार पांडे, श्री नेहा
यादव, श्री कुलदीप सिंह, भारतीय
संघ के लिए अधिवक्ता।

श्री जोहेब हुसैन, संजीव मेनन, श्री विवेक गुरनानी, श्री कविश गरच, सुश्री अभिप्रिया, श्री विवेक गौरव, सुश्री सेजल अनेजा और सुश्री मनीषा, एन.ए.ए. और डी.जी.ए.पी. के लिए अधिवक्ता।

श्री अनुराग ओझा, वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता के साथ श्री विपुल कुमार, प्रत्यर्थी सं. 3 और 4 के लिए अधिवक्ता।

सुश्री सोनू भटनागर के साथ सुश्री अनुश्री नारायण, सुश्री वीनस मेहरोत्रा और सुश्री निष्ठा मित्तल, प्र.-5 और 6 के लिए अधिवक्तागण

रि.या.(सि.)14835/2022

मेसर्स एयरमिड रियल एस्टेट लिमिटेड

.....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री किशोर कुणाल और सुश्री अंकिता प्रकाश और श्री अनुज कुमार, अधिवक्तागण।

बनाम

भारतीय संघ और अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री सुशिल कुमार पांडे भारतीय संघ के लिए अधिवक्ता।

श्री राजेश कुमार, अधिवक्ता के साथ सुश्री रमनीत कौर, भारतीय संघ के लिए अधिवक्तागण।

श्री जोहेब हुसैन, संजीव मेनन, श्री
विवेक गुरनानी, श्री कविश गरच,
सुश्री अभिप्रिया, श्री विवेक गौरव,
सुश्री सेजल अनेजा और सुश्री मनीषा,
एन.ए.ए. और डी.जी.ए.पी. के लिए
अधिवक्तागण।

रि.या.(सि.)15169/2022

जेलेनमार्क फार्मास्युटिकल लिमिटेड और अन्ययाचिकाकर्ता

द्वारा: श्री रोहन शाह, अधिवक्ता।

बनाम

भारतीय संघ और अन्यप्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री सुशिल कुमार पांडे के साथ श्री
कुलदीप सिंह, भारतीय संघ के लिए
अधिवक्ता।

श्री जोहेब हुसैन, संजीव मेनन, श्री
विवेक गुरनानी, श्री कविश गरच,
सुश्री अभिप्रिया, श्री विवेक गौरव,
सुश्री सेजल अनेजा और सुश्री मनीषा,
एन.ए.ए. और डी.जी.ए.पी. के लिए
अधिवक्तागण।

रि.या.(सि.)15172/2022

बार्बेक्यू नेशन हॉस्पिटैलिटी लिमिटेडयाचिकाकर्ता

द्वारा: श्री श्रीनिवास कोटनी, श्री अक्षय
कुमार, श्री अनिरुद्ध रामनाथन, श्री

सफल सेठी, श्री ऋषभ देव दीक्षित,
अधिवक्तागण।

बनाम

भारतीय संघ और अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री सुशिल कुमार पांडे के साथ श्री
कुलदीप सिंह, भारतीय संघ के लिए
अधिवक्तागण।

श्री राकेश कुमार, के.स.स्था.अधि. के
साथ श्री सुनील, भारतीय संघ के
लिए अधिवक्ता।

श्री जोहेब हुसैन, संजीव मेनन, श्री
विवेक गुरनानी, श्री कविश गरच,
सुश्री अभिप्रिया, श्री विवेक गौरव,
सुश्री सेजल अनेजा और सुश्री मनीषा,
एन.ए.ए. और डी.जी.ए.पी. के लिए
अधिवक्तागण।

रि.या.(सि.)
42515/2023

15240/2022,

सि.वि.आ.47193-47195/2022,

प्रेसकोन रियलटर्स और इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेडयाचिकाकर्ता

द्वारा: श्री तुषार जसवाल, श्री राहुल सतीजा
के साथ श्री प्रणव बंसल और श्री
संयम अग्रवाल, अधिवक्तागण।

बनाम

भारतीय संघ और अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री विजय जोशी, प्र.-1 के लिए अधिवक्ता।

श्री जोहेब हुसैन, संजीव मेनन, श्री विवेक गुरनानी, श्री कविश गरच, सुश्री अभिप्रिया, श्री विवेक गौरव, सुश्री सेजल अनेजा और सुश्री मनीषा, एन.ए.ए. और डी.जी.ए.पी. के लिए अधिवक्तागण।

श्री अनुराग ओझा, वरि. स्थायी अधिवक्ता के साथ श्री विपुल कुमार, प्र.-5 के लिए अधिवक्ता।

सुश्री अनुश्री नारायण, स्थायी अधिवक्ता के साथ सुश्री सिमरन कुमारी, जी.एस.टी. के लिए अधिवक्ता।

रि.या.(सि.) 16890/2022 और सि.वि.आ. 53510-53512/2022

भागवती इन्फ्रा

.....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री भरत राय चंदानी, अधिवक्ता के साथ श्री दीपक कुमार खोखर, अधिवक्ता।

बनाम

भारतीय संघ और अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री चिरंजीव कुमार, श्री मुकेश सचदेवा, प्र.-1 के लिए अधिवक्तागण।

श्री जोहेब हुसैन, संजीव मेनन, श्री
विवेक गुरनानी, श्री कविश गरच,
सुश्री अभिप्रिया, श्री विवेक गौरव,
सुश्री सेजल अनेजा और सुश्री मनीषा,
एन.ए.ए. और डी.जी.ए.पी. के लिए
अधिवक्तागण।

रि.या.(सि.) 17073/2022 और सि.वि.आ. 54098/2022

एलर्गेन हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेडयाचिकाकर्ता
द्वारा: श्री स्पर्श भार्गव, सुश्री इशिता फरसौजा,
श्री अपूर्व शुक्ला, सुश्री प्रभलीन कौर,
सुश्री वौशिका तंजेजा और श्री परसथ
कानन, अधिवक्ता।

बनाम

भारतीय संघ और अन्यप्रत्यर्थीगण
द्वारा: श्री जतिन सिंह, प्र.-1 के लिए
वरि.पै.अधि.
श्री जोहेब हुसैन, संजीव मेनन, श्री
विवेक गुरनानी, श्री कविश गरच,
सुश्री अभिप्रिया, श्री विवेक गौरव,
सुश्री सेजल अनेजा और सुश्री मनीषा,
एन.ए.ए. और डी.जी.ए.पी. के लिए
अधिवक्तागण।

रि.या.(सि.) 15289/2022 और सि.वि.आ. सं.47442-47443/2022

अनुटोन एकाॅस्टिक्स लिमिटेडयाचिकाकर्ता

द्वारा: श्री राजशेखर राव, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री प्रतीक के. चड्ढा, श्री रुतुराज गुर्जर, सुश्री प्रज्ञा गंजू, सुश्री कामिनी और श्रीकर एचूरी, अधिवक्तागण

बनाम

भारतीय संघ और अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री वी. लक्ष्मीकुमारन, श्री जतिन सिंह, भारतीय संघ के लिए अधिवक्ता।

श्री जोहेब हुसैन, संजीव मेनन, श्री विवेक गुरनानी, श्री कविश गरच, सुश्री अभिप्रिया, श्री विवेक गौरव, सुश्री सेजल अनेजा और सुश्री मनीषा, एन.ए.ए. और डी.जी.ए.पी. के लिए अधिवक्तागण।

रि.या.(सि.) 16178/2022 और सि.वि.आ.38836/2023

अरिहंत सुपरस्ट्रक्चर लिमिटेड

.....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री पुनीत अग्रवाल, अधिवक्ता के साथ श्री प्रेम कांडपाल, श्री केतन जैन और श्री चेतन कुमार शुक्ला अधिवक्तागण।

बनाम

भारतीय संघ और अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री जतिन सिंह, भारतीय संघ के लिए वरि.पै.अधि।
श्री मनीष कुमार, वरि.के.स.अधि।
सुश्री अनुश्री नारायण और सुश्री सिमरन कुमारी, जी.एस.टी. के लिए अधिवक्ता
श्री जोहेब हुसैन, संजीव मेनन, श्री विवेक गुरनानी, श्री कविश गरच, सुश्री अभिप्रिया, श्री विवेक गौरव, सुश्री सेजल अनेजा और सुश्री मनीषा, एन.ए.ए. और डी.जी.ए.पी. के लिए अधिवक्तागण।

रि.या.(सि.) 16266/2022 और सि.वि. सं.50925-50926/2022

प्रसू इंफ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड

.....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री तरुण जैन, अधिवक्ता के साथ
श्री दिव्येश सिंह, अधिवक्ता।

बनाम

भारतीय संघ और अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री संजय कुमार, प्र.-1 के लिए वरि.स्था.अधि।
श्री जोहेब हुसैन, संजीव मेनन, श्री विवेक गुरनानी, श्री कविश गरच, सुश्री अभिप्रिया, श्री विवेक गौरव, सुश्री सेजल अनेजा और सुश्री मनीषा, एन.ए.ए. और डी.जी.ए.पी. के लिए अधिवक्तागण।

श्री सुमित गौर, प्र.-6, 7, 9, 11,
12, 13, 14 और 15 के लिए
अधिवक्ता।

रि.या.(सि.)16734/2022 और सि.वि.आ.52794-52795/2022

मेसर्स नंदी इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड

.....अपीलकर्ता

द्वारा: श्री संदीप चिलाना, अधिवक्ता के
साथ श्री रस्तोगी, सुश्री अंजलि जैन,
श्री अब्दुल्ला तनवीर, सुश्री कन्नोप्रिय
गुप्ता, सुश्री जागृति, श्री प्रियोजीत
चटर्जी और सुश्री स्नेहिल शर्मा,
अधिवक्तागण

बनाम

भारतीय संघ और अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: सुश्री अनुश्री नारायण और सुश्री
सिमरन कुमारी, जी.एस.टी. के लिए
अधिवक्तागण।

श्री जोहेब हुसैन, संजीव मेनन, श्री
विवेक गुरनानी, श्री कविश गरच,
सुश्री अभिप्रिया, श्री विवेक गौरव,
सुश्री सेजल अनेजा और सुश्री मनीषा,
एन.ए.ए. और डी.जी.ए.पी. के लिए
अधिवक्तागण।

रि.या.(सि.)16935/2022 और सि.वि.आ.53667/2022

न्यू वर्ल्ड रियल्टी एल.एल.पी.

.....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री कुमार विशालक्ष, श्री उदित जैन
श्री अरिहंत तातर और श्री अजितेश
दयाल सिंह, अधिवक्तागण।

बनाम

भारतीय संघ और अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री सुशील राजा, भारतीय संघ के
लिए वरि.पै.अधि.
श्री जोहेब हुसैन, संजीव मेनन, श्री
विवेक गुरनानी, श्री कविश गरच,
सुश्री अभिप्रिया, श्री विवेक गौरव,
सुश्री सेजल अनेजा और सुश्री मनीषा,
एन.ए.ए. और डी.जी.ए.पी. के लिए
अधिवक्तागण।

रि.या.(सि.)17010/2022 और सि.वि.आ.53925/2022

वाधवा रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड

.....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री कुमार विशालक्ष, श्री उदित जैन
और श्री अजितेश दयाल सिंह,
अधिवक्तागण।

बनाम

भारतीय संघ और अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री नीरज, वरि.पै.अधि. के साथ श्री
वेदांश आनंद, सुश्री सहज गर्ग और
श्री रुद्र पालीवाल, भारतीय संघ के
लिए अधिवक्तागण।
श्री जोहेब हुसैन, संजीव मेनन, श्री
विवेक गुरनानी, श्री कविश गरच,

सुश्री अभिप्रिया, श्री विवेक गौरव,
सुश्री सेजल अनेजा और सुश्री मनीषा,
एन.ए.ए. और डी.जी.ए.पी. के लिए
अधिवक्तागण।

रि.या.(सि.)246/2023 और सि.वि.आ.सं.939-940/2023

मेसर्स भारतीय अर्बन प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में, भारतीय सिटी डेवलपर्स
प्राइवेट लिमिटेड)याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री अभिषेक ए. रस्तोगी, सुश्री पूजा
एम. रस्तोगी, सुश्री मीनल सांगीरे
और श्री अजय सिंह, अधिवक्तागण।

बनाम

भारतीय संघ और अन्यप्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री गिगि सी. जॉर्ज के साथ श्री धीरज
सिंह, प्र.-1/भारतीय संघ के लिए
अधिवक्तागण।

श्री जोहेब हुसैन, संजीव मेनन, श्री
विवेक गुरनानी, श्री कविश गरच,
सुश्री अभिप्रिया, श्री विवेक गौरव,
सुश्री सेजल अनेजा और सुश्री मनीषा,
एन.ए.ए. और डी.जी.ए.पी. के लिए
अधिवक्तागण।

रि.या.(सि.)3866/2023 और सि.वि.आ. 15035/2023

ए.टी.एस. होम्स प्राइवेट लिमिटेडयाचिकाकर्ता

द्वारा: श्री पुनीत अग्रवाल, अधिवक्ता के
साथ श्री प्रेम कांडपाल, श्री केतन

जैन और श्री चेतन कुमार शुक्ला
अधिवक्तागण।

बनाम

भारतीय संघ और अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री अंशुमन और श्री पीयूष
अहलवालिया, प्र.-1/भारतीय संघ के
लिए अधिवक्तागण
सुश्री अनुश्री नारायण, जी.एस.टी./प्र.-
2 के लिए स्थायी अधिवक्ता के साथ
सुश्री सिमरन कुमारी।
श्री जोहेब हुसैन, संजीव मेनन, श्री
विवेक गुरनानी, श्री कविश गरच,
सुश्री अभिप्रिया, श्री विवेक गौरव,
सुश्री सेजल अनेजा और सुश्री मनीषा,
एन.ए.ए. और डी.जी.ए.पी. के लिए
अधिवक्तागण।

रि.या.(सि.) 11180/2023 और सि.वि.आ. 43445-43446/2023

मेसर्स ए.टी.एस. टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड

.....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री पुनीत अग्रवाल, अधिवक्ता के साथ
श्री प्रेम कांडपाल, श्री केतन जैन और
श्री चेतन कुमार शुक्ला
अधिवक्तागण।

बनाम

भारतीय संघ और अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री रवि प्रकाश, के.स.स्था.अधि. के साथ सुश्री अस्तु खंडेलवाल, प्र.-1 (भारतीय संघ) के लिए अधिवक्ता।
श्री नागिंदर बेनीपाल, वरि.पै.अधि. के साथ श्री अंकित सिवाच और सुश्री हरिथी काम्बरी, भारतीय संघ के लिए अधिवक्तागण।
सुश्री अनुश्री नारायण, स्थायी अधिवक्ता के साथ सुश्री सिमरन कुमारी, प्र.-2, (सी.बी.आई.सी.) के लिए अधिवक्ता।
श्री एस. वी. त्यागी और श्री शिवम त्यागी, प्र.-2 के लिए अधिवक्तागण।
श्री जोहेब हुसैन, संजीव मेनन, श्री विवेक गुरनानी, श्री कविश गरच, सुश्री अभिप्रिया, श्री विवेक गौरव, सुश्री सेजल अनेजा और सुश्री मनीषा, एन.ए.ए. और डी.जी.ए.पी. के लिए अधिवक्तागण।

रि.या.(सि.)11910/2023

परीना इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड

.....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री विनीत भाटिया, अधिवक्ता के साथ श्री आमनाया जगन्नाथ मिश्रा, सुश्री निधि अग्रवाल, सुश्री ज्योति वर्मा और श्री बिपिन पुनिया, अधिवक्ता।

बनाम

भारतीय संघ और अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री रवि प्रकाश, के.स.स्था.अधि. के साथ सुश्री अस्तू खंडेलवाल, भारतीय संघ के लिए अधिवक्ता।

श्री विरेन्द्र प्रताप सिंह चरक, सुश्री शुभा पाराशर, श्री यश हरि दीक्षित और सुश्री विद्या मिश्रा, भारतीय संघ के लिए अधिवक्ता।

सुश्री अनुश्री नारायण, स्थायी अधिवक्ता के साथ सुश्री सिमरन कुमारी, प्र.-2 (सी.बी.आई.सी.) के लिए अधिवक्ता।

श्री एस. वी. त्यागी और श्री शिवम त्यागी, प्र.-2 के लिए अधिवक्तागण।

श्री जोहेब हुसैन, संजीव मेनन, श्री विवेक गुरनानी, श्री कविश गरच, सुश्री अभिप्रिया, श्री विवेक गौरव, सुश्री सेजल अनेजा और सुश्री मनीषा, एन.ए.ए. और डी.जी.ए.पी. के लिए अधिवक्तागण।

सुश्री गिगि सी. जॉर्ज और श्री धीरज सिंह, भारतीय संघ के लिए अधिवक्तागण।

रि.या.(सि.)14681/2023 और सि.वि.सं.58468/2023

मेसर्स अधिराज कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड

.....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री भरत रायचंदानी के साथ श्री दीपक कुमार खोखर, अधिवक्तागण।

बनाम

भारतीय संघ और अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री रवि प्रकाश, के.स.स्था.अधि. के साथ सुश्री अस्तू खंडेलवाल, भारतीय संघ के लिए अधिवक्ता।

श्री सुशील राजा, भारतीय संघ के लिए अधिवक्ता

श्री जोहेब हुसैन, संजीव मेनन, श्री विवेक गुरनानी, श्री कविश गरच, सुश्री अभिप्रिया, श्री विवेक गौरव, सुश्री सेजल अनेजा और सुश्री मनीषा, एन.ए.ए. और डी.जी.ए.पी. के लिए अधिवक्तागण।

सुरक्षित : 21 नवंबर, 2023

निर्णय की तिथि : 29 जनवरी, 2024

कोरम:

माननीय कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश

माननीय न्यायमूर्ति श्री दिनेश कुमार शर्मा

अनुक्रमणिका

पैरा नं.

चुनौती..... 1-3

याचीगण की ओर से तर्क..... 4-34

प्रत्यर्थागण की ओर से तर्क.....	35-72
विद्वान न्याय-मित्र की ओर से तर्क.....	73-85
न्यायालय का तर्क.....	86-164
किसी भी निर्माण की संवैधानिकता को समायोजित करने के लिए सिद्धांत.....	86- 88
कर या आर्थिक कानूनों से व्यवहार करते हुए न्यायालय का दृष्टिकोण.....	89
अधिनियम, 2017 अप्रत्यक्ष कर के क्षेत्र में एक विशिष्ट बदलाव को चिन्हित करता है.....	90-94
धारा 171 में प्रावधान है कि त्यागे गए कर को आनुपातिक कटौती के मूल्य के रूप में पारित किया जाना चाहिए.....	95-102
अनुच्छेद 246क के अंतर्गत धारा 171 संसद के कानून बनाने की शक्ति के तहत आती है.....	103-107
धारा 171 एक स्पष्ट विधायी नीति निर्धारित करती है और किसी भी आवश्यक विधायी कार्य का प्रतिनिधित्व नहीं करती है.....	108-115
आक्षेपित प्रावधान मूल्य निर्धारण तंत्र नहीं हैं वे संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (छ) या	

अनुच्छेद 300क का उल्लंघन नहीं करते हैं.....	116-121
ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया के मुनाफाखोरी-रोधी प्रावधानों का संदर्भ गलत है.....	122-123
मुनाफाखोरी का निर्धारण करने के लिए कोई निश्चित/एकरूप विधि या गणितीय सूत्र निर्धारित नहीं किया जा सकता है.....	124-129
यह तय करना विधायिका का विशेषाधिकार है कि लाभ उपभोक्ताओं तक कैसे पहुंचाया जाए।.....	130-134
अधिनियम 2017 में उचित रूप से कोई समय अवधि सुनिश्चि नहीं की गई है जिसके दौरान मूल्य में कटौती की पेशकश की जानी है.....	135
माल विक्रय अधिनियम की धारा 64क धारा 171 के अंतर्गत बाध्य नहीं है.....	136-137
किसी वैधानिक प्रावधान को दुरुपयोग की संभावना के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता.....	138
अधिनियम, 2017 के लागू होने के बाद लगाए गए करों को अधिनियम के लागू होने से पहले लागू अलग-अलग अप्रत्यक्ष करों के समूह के साथ तुलना न करना	

अधिनियम, 2017 के इरादे और उद्देश्य के विरुद्ध होगा।.....	139-140
अपील करने का कोई निहित अधिकार नहीं है और अपील अधिनियम का एक हिस्सा है.....	141-145
राष्ट्रीय मुनाफाखोरी-रोधी प्राधिकरण में न्यायिक सदस्य की कोई आवश्यकता नहीं है	146-151
नियम 124 अनुच्छेद 50 के अनुरूप है। राष्ट्रीय मुनाफाखोरी-रोधी प्राधिकरण द्वारा किए गए कार्यों में सरकारी हस्तक्षेपकी कोई गुंजाइश नहीं है.....	152
नियम 133 में ब्याज और जुर्माना लगाने का प्रावधान है, जो केंद्र सरकार के नियम बनाने के अधिकार के अंतर्गत आता है.....	153-156
अतिरिक्त वसूली पर एकत्र किए गए वस्तु और सेवा कर को मुनाफाखोरी राशि में उचित रूप से शामिल किया गया है.....	157
डी.जी.ए.पी. द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा निर्देशात्मक है न कि अनिवार्य।.....	158
शिकायत क्षेत्र की सीमा से बाहर जांच का विस्तार करना संविदात्मक दायरे से बाहर नहीं है	159-161
अभिस्वीकृति.....	162

निष्कर्ष..... 163-164

निर्णय

मनमोहन, कार्य.मु.न्या.

चुनौती

1. वर्तमान रिट याचिकाएं केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 171 (संक्षेप में 'अधिनियम, 2017') और केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर नियम, 2017 के नियम 122,124,126,127,129,133 और 134 (संक्षेप में 'नियम, 2017') की संवैधानिक वैधता के साथ-साथ नियमावली, 2017 के नियम 133(3) (घ) सहपठित अधिनियम, 2017 की धारा 122 के तहत राष्ट्रीय मुनाफाखोरी-रोधी प्राधिकरण ('एन.ए.ए.') द्वारा जारी दंड लगाने या आदेश देने का प्रस्ताव करने वाले नोटिसों की वैधता और एन.ए.ए. द्वारा पारित अंतिम आदेशों को चुनौती देते हुए दायर की गई हैं, जिसके तहत याचिकाकर्ता, जो आतिथ्य, तेज़ी से बिकने वाली उपभोक्ता वस्तुएँ ('एफ.एम.सी.जी.') से लेकर भू-संपदा तक के विविध व्यवसाय चलाने वाली कंपनियां हैं, उन्हें अधिनियम, 2017 की धारा 171 के अनुसार कर की दर में कमी या इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ ब्याज के साथ अपने उपभोक्ताओं/प्राप्तकर्ताओं को देने का निर्देश दिया गया है।

2. पक्षकारगण के अधिवक्ता ने अनुरोध किया कि यह न्यायालय पहले अधिनियम, 2017 की धारा 171 के साथ-साथ नियम, 2017 के नियम 122, 124, 126, 127, 129, 133 और 134 की संवैधानिक वैधता के अभिवाक पर निर्णय ले सकता है। उन्होंने कहा कि यदि यह न्यायालय उपरोक्त धारा और नियमों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखता है, तो गुणागुण के आधार पर मामलों की जांच करने की आवश्यकता होगी।

3. पक्षकारगण के विद्वान अधिवक्ता के सुझाव को स्वीकार करते हुए, यह न्यायालय अधिनियम, 2017 की धारा 171 के साथ-साथ नियम, 2017 के नियम 122, 124, 126, 127, 129, 133 और 134 की संवैधानिक वैधता के मुद्दे पर सुनवाई की। उक्त प्रावधानों को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

धारा 171

“171. मुनाफाखोरी-रोधी उपाय

(1) वस्तुओं या सेवाओं की किसी भी आपूर्ति पर कर की दर में कोई कमी या इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ प्राप्तकर्ता को कीमतों में हुई आनुपातिक कमी के रूप में दिया जाएगा।

(2) केंद्र सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, एक प्राधिकरण का गठन कर सकती है, या उस समय लागू किसी भी कानून के तहत गठित किसी मौजूदा प्राधिकरण को यह जांचने का अधिकार दे सकती है कि क्या किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया गया है या कर की दर में कमी के परिणामस्वरूप वास्तव में उसके द्वारा आपूर्ति की गई वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की कीमत में आनुपातिक कमी आई है।

(3) उप-धारा (2) में निर्दिष्ट प्राधिकरण ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कार्यों का निर्वहन करेगा जो निर्धारित किए जाएं।

[(3क) जहां उप-धारा (2) में निर्दिष्ट प्राधिकरण, उक्त उप-धारा के तहत अपेक्षित जांच करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि किसी भी पंजीकृत व्यक्ति ने उप-धारा (1) के तहत मुनाफाखोरी की है, तो ऐसा व्यक्ति मुनाफाखोरी की गई राशि के दस प्रतिशत के बराबर जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी होगा:

बशर्ते कि यदि प्राधिकरण द्वारा आदेश पारित होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर मुनाफाखोरी की राशि जमा की जाती है तो कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

स्पष्टीकरण -- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "मुनाफाखोर" शब्द का अर्थ वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति या दोनों पर कर की दर में कमी का लाभ या वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की कीमत में आनुपातिक कमी के रूप में प्राप्तकर्ता को इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं देने के कारण निर्धारित राशि होगी।]

नियम 122

122. प्राधिकरण का संविधान. - प्राधिकरण में निम्नलिखित शामिल होंगे-

(क) अध्यक्ष जो भारत सरकार के सचिव के पद पर या समकक्ष पद पर; और (ख) चार तकनीकी सदस्य जो राज्य कर या केंद्रीय कर आयुक्त (कम से कम एक वर्ष के लिए) हैं या रहे हैं या मौजूदा कानून के तहत समकक्ष पद पर हैं, जिन्हें परिषद द्वारा नामित किया जाएगा।

नियम 124

124. प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें:-

(1) प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा परिषद द्वारा इस उद्देश्य के लिए गठित की जाने वाली चयन समिति की सिफारिशों पर की जाएगी।

(2) अध्यक्ष को 2,25,000 (निर्धारित) रुपये का मासिक वेतन दिया जाएगा और और समान वेतन वाले पदों पर आसीन केन्द्र सरकार के अधिकारी को देय अन्य भत्ते और लाभ दिए जाएंगे: बशर्ते कि जहां किसी सेवानिवृत्त अधिकारी को अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है, उसे 2,25,000 रुपये का मासिक वेतन दिया जाएगा, जिसमें से पेंशन की राशि घटा दी जाएगी।

[(3) तकनीकी सदस्य को मासिक वेतन और अन्य भत्तों और लाभों का भुगतान किया जाएगा जो भारत सरकार में समतुल्य समूह 'ए' पद धारण करते समय उसे प्राप्त हुए हैं: बशर्ते कि जहां कोई सेवानिवृत्त अधिकारी को तकनीकी सदस्य के रूप में चुना जाता है, तो उसे सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार पेंशन की राशि को घटाकर अपने अंतिम वेतन के बराबर मासिक वेतन दिया जाएगा, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है।]

(4) अध्यक्ष अपने पद ग्रहण करने की तारीख से दो साल की अवधि के लिए या जब तक वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता, जो भी पहले हो, तब तक पद पर रहेगा और पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा:

बशर्ते कि [क] व्यक्ति का अध्यक्ष के रूप में चयन नहीं किया जाएगा, यदि वह बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है। [बशर्ते कि केंद्र सरकार परिषद के अध्यक्ष के अनुमोदन से किसी भी समय अध्यक्ष की नियुक्ति को समाप्त कर सकती है।]

(5) प्राधिकरण का तकनीकी सदस्य अपने अपने पदभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि तक या जब तक वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता, जो भी पहले हो, तब तक पद पर रहेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा:

बशर्ते कि [क] व्यक्ति को तकनीकी सदस्य के रूप में नहीं चुना जाएगा यदि वह बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है। [बशर्ते कि केंद्र सरकार परिषद के अध्यक्ष के अनुमोदन से किसी भी समय तकनीकी सदस्य की नियुक्ति को समाप्त कर सकती है।]

नियम 126**126. कार्यप्रणाली और प्रक्रिया निर्धारित करने की शक्ति**

प्राधिकरण यह निर्धारित करने के लिए कार्यप्रणाली और प्रक्रिया निर्धारित कर सकती है कि क्या वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति पर कर की दर में कमी या इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्तकर्ता को कीमतों में आनुपातिक कमी के रूप में दिया गया है।

नियम 127**127. प्राधिकरण के कर्तव्य।**

प्राधिकरण का यह कर्तव्य होगा कि वह, -

- (i) यह निर्धारित करे कि क्या वस्तुओं या सेवाओं की किसी भी आपूर्ति पर कर की दर में कोई कमी या इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ प्राप्तकर्ता को कीमतों में आनुपातिक कमी के रूप में दिया गया है;
- (ii) उस पंजीकृत व्यक्ति की पहचान करे जिसने वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति पर कर की दर में कमी या इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ प्राप्तकर्ता को कीमतों में आनुपातिक कमी के रूप में नहीं दिया है।
- (iii) आदेश दे कि, --
 - (क) कीमतों में कमी;
 - (ख) प्राप्तकर्ता को, कीमत में अनुपातिक कमी के तौर पर, अधिक राशि के संग्रह करने की तिथि से अठारह प्रतिशत की दर से ब्याज सहित, ऐसी राशि की वापसी या वापस न की गई राशि की वसूली की तिथि तक, जैसा भी मामला हो, वापस नहीं की गई राशि के बराबर राशि लौटाना, यदि पात्र व्यक्ति राशि की वापसी का दावा नहीं करता है या उसकी पहचान नहीं हो पाती है, और उसे धारा 57 में निर्दिष्ट निधि में जमा करना है;
 - (ग) अधिनियम में निर्दिष्ट के अनुसार दंड लगाना; और
 - (घ) अधिनियम के तहत पंजीकरण रद्द करना।

[(iv) प्रत्येक तिमाही के अंत के दसवें दिन तक परिषद को कार्य निष्पादन रिपोर्ट प्रस्तुत करना।]

नियम 129

129. कार्यवाहियों की शुरुआत और संचालन- (1) जहां स्थायी समिति को संतुष्ट हो जाता है कि यह दिखाने के लिए प्रथम दृष्टया सबूत है कि आपूर्तिकर्ता ने वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति पर कर की दर में कमी या इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ प्राप्तकर्ता को कीमतों में आनुपातिक कमी के रूप में प्राप्त नहीं किया है, तो वह मामले को विस्तृत जांच के लिए [मुनाफाखोरी-रोधी] के महानिदेशक को भेजेगा।

(2) [मुनाफाखोरी-रोधी] का महानिदेशक जाँच करेगा और यह निर्धारित करने के लिए आवश्यक साक्ष्य एकत्र करेगा कि क्या वस्तुओं या सेवाओं की किसी आपूर्ति पर कर की दर में कमी का लाभ या इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ प्राप्तकर्ता को कीमतों में आनुपातिक कमी के रूप में दिया गया है।

(3) [मुनाफाखोरी-रोधी] का महानिदेशक, जाँच शुरू करने से पहले, हितबद्ध पक्षकारगण को नोटिस जारी करेगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित के बारे में जानकारी होगी, अर्थात्:-

(क) उन वस्तुओं या सेवाओं का विवरण जिसके संबंध में कार्यवाही शुरू की गई है;

(ख) उन तथ्यों के विवरण का सारांश, जिस पर आरोप आधारित हैं।
और

(ग) हितबद्ध पक्षकारगण और अन्य व्यक्तियों को दी गई समय-सीमा जिसके पास अपना जवाब देने के लिए कार्यवाही से संबंधित जानकारी हो सकती है।

(4) [मुनाफाखोरी-रोधी] का महानिदेशक ऐसे अन्य व्यक्तियों को भी नोटिस जारी कर सकता है जिसे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए उचित समझा जाए।

(5) [मुनाफाखोरी-रोधी] का महानिदेशक कार्यवाही में भाग लेने वाले अन्य हितबद्ध पक्षकारगण को एक हितबद्ध पक्षकारगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य उपलब्ध कराएगा।

(6) [मुनाफाखोरी-रोधी] का महानिदेशक स्थायी समिति से निर्देश प्राप्त होने के [छह] महीने की अवधि के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जांच पूरी करेगा जो लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए [जो प्राधिकरण द्वारा अनुमत किया जाए] तीन महीने से अधिक की अवधि नहीं होगी और जांच पूरी होने पर संबंधित अभिलेख के साथ अपने निष्कर्षों की एक रिपोर्ट प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

नियम 133

133. प्राधिकरण का आदेश।

(1) प्राधिकरण, [मुनाफाखोरी-रोधी] के महानिदेशक से रिपोर्ट प्राप्त होने की तारीख से [छह] महीने की अवधि के भीतर यह निर्धारित करेगा कि क्या किसी पंजीकृत व्यक्ति ने वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति पर कर की दर में कमी या इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ प्राप्तकर्ता को कीमतों में आनुपातिक कमी के रूप में दिया है।

(2) प्राधिकरण द्वारा हितबद्ध पक्षकारगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा जहां ऐसे हितबद्ध पक्षकारगण से लिखित रूप में कोई अनुरोध प्राप्त होता है। [(2क) प्राधिकरण उप-नियम (1) के तहत निर्धारण की प्रक्रिया के दौरान नियम 129 के उप-नियम (6) के तहत प्रस्तुत रिपोर्ट पर मुनाफाखोरी-रोधी महानिदेशक से स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, मांग सकता है।]

[(3) जहां प्राधिकरण यह निर्धारित करता है कि किसी पंजीकृत व्यक्ति ने वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति पर कर की दर में कमी या इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ प्राप्तकर्ता को कीमतों में आनुपातिक कमी के रूप में प्राप्त नहीं किया है, वहां प्राधिकरण आदेश दे सकता है।

(क) कीमतों में कमी;

(ख) प्राप्तकर्ता को, कीमतों में आनुपातिक कमी के रूप में हस्तांतरित न की गई राशि के बराबर राशि, अधिक राशि के संग्रह करने की तिथि से ऐसी राशि की वापसी की तिथि तक अथवा ब्याज सहित वापस न की गई राशि की वसूली की तिथि तक, जैसा भी मामला हो, अठारह प्रतिशत की दर से ब्याज सहित लौटाई जाए;

(ग) उपरोक्त खंड के तहत निर्धारित राशि के पचास प्रतिशत के बराबर राशि (अधिक राशि के संग्रह करने की तारीख से ऐसी राशि जमा करने की तारीख तक अठारह प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ) संबंधित राज्य के वस्तु और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 57 के तहत गठित निधि में जमा की जाती है, जहां पात्र व्यक्ति राशि की वापसी का दावा नहीं करता है या पहचान नहीं हो पाती;

(घ) अधिनियम में निर्दिष्ट के अनुसार दंड लगाना; और

(ङ) अधिनियम के तहत पंजीकरण रद्द करना।

स्पष्टीकरण: इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए, "संबंधित राज्य" पद का अर्थ है वह राज्य [या केंद्र शासित प्रदेश] जिसके संबंध में प्राधिकरण आदेश पारित करता है।]

[(4) यदि नियम 129 के उप-नियम (6) में निर्दिष्ट [मुनाफाखोरी-रोधी] के महानिदेशक की रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि धारा 171 या इन नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ या उल्लंघन नहीं हुआ है, लेकिन प्राधिकरण की राय है कि मामले में आगे जांच या पूछताछ की आवश्यकता है, तो वह लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, अधिनियम और इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार आगे जांच या पूछताछ करने के लिए मामले को [मुनाफाखोरी-रोधी] के महानिदेशक को भेज सकता है।]

[(5) (क) उपनियम (4) में किसी बात के होते हुए भी, जहां नियम 129 के उप-नियम (6) में निर्दिष्ट मुनाफाखोरी-रोधी महानिदेशक की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, प्राधिकरण के पास यह मानने का कारण है कि उक्त रिपोर्ट में शामिल वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के अलावा अन्य वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के संबंध में धारा 171 के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है, तो वह, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, उपनियम (1) में निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर, मुनाफाखोरी-रोधी महानिदेशक को अधिनियम और इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार ऐसी अन्य वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के संबंध में जांच या पूछताछ करने का निर्देश दे सकता है।

(ख) खंड (क) के तहत जांच या पूछताछ को एक नया जांच या पूछताछ माना जाएगा और नियम 129 के सभी प्रावधान ऐसे जांच या जांच पर यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

नियम 134

134. निर्णय बहुमत द्वारा लिया जाना है।- (1) प्राधिकरण की बैठकों में कम से कम तीन सदस्यों की उपस्थिति से गणपूर्ति होगी।

(2) यदि प्राधिकरण के सदस्य की किसी भी मुद्दे पर राय अलग-अलग हों, तो इस मुद्दे का निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत की राय के अनुसार किया जाएगा, और मतों की समानता की स्थिति में, अध्यक्ष के पास दूसरा या निर्णायक वोट होगा।”

याचीगण की ओर से तर्क

4. श्री पी. चिदंबरम, श्री एस. गणेश, श्री तरुण गुलाटी, श्री चिन्मय प्रदीप शर्मा और श्री कपूर वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ-साथ श्री वी. लक्ष्मीकुमारन, श्री मोनीश पांडा, श्री रोहन शाह, श्री अभिषेक ए. रस्तोगी, श्री तुषार जरवाल, श्री स्पर्श भार्गव, श्री पुनीत अग्रवाल, श्री सुजीत घोष, श्री के. एस. सुरेश, श्री निखिल गुप्ता, श्री शशांक शेखर और श्री प्रियदर्शी मनीष विद्वान अधिवक्ता ने याचीगण की ओर से दलीलें रखीं।

5. याचीगण के अधिवक्ता ने कहा कि अधिनियम, 2017 की धारा 171 (1) और उसके तहत बनाए गए नियमावली, 2017 के नियम 126, 127 और 133 असंवैधानिक हैं क्योंकि वे संसद की विधायी क्षमता से परे हैं। उन्होंने कहा कि आक्षेपित प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 246क के तहत संसद की कानून बनाने की शक्ति के भीतर नहीं आते हैं।

6. याचीगण के कुछ विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अधिनियम, 2017 की धारा 171 के तहत प्रदान किया गया मुनाफाखोरी-रोधी प्रावधान कर

या वित्तीय अधिभार की प्रकृति का है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि किसी वस्तु पर कर केवल तभी लगाया जा सकता है जब मूल कानून में इस तरह के वसूली को अधिकृत करने वाला कोई विशिष्ट और स्पष्ट प्रावधान हो। उनके अनुसार, इस तरह की वित्तीय कार्रवाई को अधीनस्थ विधायन द्वारा विधिपूर्वक रूप नहीं दी जा सकती है, जबकि मूल कानून में कोई सशक्त प्रावधान नहीं है। अपनी दलीलों के समर्थन में, उन्होंने **अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण बनाम साराकुमार जयंतिकुमार पासावाला, (1992) 3 एस.सी.सी. 285** और **वी.वी.एस. शुगर बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (1999) 4 एस.सी.सी. 192** में उच्चतम न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया है।

7. याचीगण के अधिवक्ता ने आगे कहा कि आक्षेपित धारा और नियम अत्यधिक प्रत्यायोजन के दुष्प्रभाव से ग्रस्त हैं क्योंकि वे सरकार को आवश्यक विधायी कार्य सौंपते हैं। इसके अलावा, उन्होंने प्रस्तुत किया कि आक्षेपित प्रावधान अस्पष्ट, मनमाना, अनुच्छेद 14 का उल्लंघनकारी है और एन.ए.ए. को मुनाफाखोरी निर्धारित करने के लिए अत्यधिक शक्तियां प्रदान करते हैं क्योंकि इस प्रकार गठित प्राधिकरण द्वारा ऐसी शक्तियों के प्रयोग के लिए कोई दिशानिर्देश और/या विधायी नीति कानून में निर्धारित नहीं की गई है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि इस तरह की कार्यप्रणाली के निर्माण में एन.ए.ए. द्वारा शक्तियों के प्रयोग के लिए स्पष्ट कानूनी मार्गदर्शन प्रदान करने में विफलता "आवश्यक विधायी कार्य के प्रत्यायोजन" के बराबर है क्योंकि ये विनिर्मिति

आवश्यक थे और इसलिए, इसे विधायिका द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि यह सुस्थापित विधि है कि उचित दिशानिर्देशों या सुरक्षा उपायों के बिना विधायी प्राधिकरण को कानून के तहत प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता है। अपनी प्रस्तुतियों के समर्थन में, उन्होंने **रमेश बिर्च बनाम भारत संघ, 1989 पु. एस.सी.सी. 430** में उच्चतम न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया।

8. उन्होंने प्रस्तुत किया कि यह सुस्थापित विधि है कि गैर-सक्षम प्रत्यायोजित शक्ति का और आगे प्रत्यायोजन नहीं हो सकता जिसका अनिवार्य रूप से अर्थ है कि एक प्रतिनिधि तब तक आगे किसी को प्रतिनिधि नहीं बना सकता जब तक कि उसे स्पष्ट रूप से या निहित रूप से अधिकृत न किया जाए। उन्होंने तर्क दिया कि विधायिका अधिनियम, 2017 की धारा 171 के द्वारा एन.ए.ए. की शक्तियों और कार्यों को निर्धारित करने/निर्धारित करने का अधिकार कार्यपालिका यानी भारत सरकार को सौंप दिया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि भारत सरकार ने नियम, 2017 के नियम 126 के द्वारा, अधिनियम, 2017 की धारा 171 में निहित विधायी आदेश के विपरीत, एन.ए.ए. को यह निर्धारित करने के लिए कार्यप्रणाली और प्रक्रिया निर्धारित करने की शक्ति सौंप दी कि क्या करों में कमी या इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ प्राप्तकर्ताओं को दिया गया था। उन्होंने कहा कि एन.ए.ए. ने भी मुनाफाखोरी का निर्धारण करने के लिए कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किए। अपनी प्रस्तुति के

समर्थन में, उन्होंने *बेरियम केमिकल्स लिमिटेड और अन्य बनाम कंपनी लॉ बोर्ड और अन्य [ए.आई.आर. 1967 एस.सी. 295]*, में उच्चतम न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है।


9. उन्होंने प्रस्तुत किया कि अधिनियम, 2017 में 'आनुपातिक' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है और धारा 171 में 'मुनाफाखोरी' वाक्यांश 'मूल्य में आनुपातिक कमी' के दायरे और अर्थ पर निर्भर है। उनके अनुसार, इस प्रत्यय तर्क के परिणामस्वरूप, एन.ए.ए. के पास मुनाफाखोरी की सीमा निर्धारित करने के लिए पूर्ण और निरंकुश विवेकाधिकार था। उन्होंने बताया कि संशोधन के द्वारा जोड़ी गई मुनाफाखोरी की परिभाषा (जो 1 जनवरी, 2020 को लागू हुई) अस्पष्ट और अनिश्चित है कि मुनाफाखोरी की राशि या कीमत में आनुपातिक कमी का निर्धारण कैसे किया जाना है और इसलिए, यह स्पष्टतः मनमाना है भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 19(1)(छ) का और उल्लंघन करता है। उन्होंने बताया कि एन.ए.ए. भी, अपने द्वारा पारित आदेशों में, "आनुपातिक कमी" शब्द की व्याख्या में समनुरूप नहीं था।

10. उन्होंने कहा कि मुनाफाखोरी निर्धारित करने के लिए अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली की विशिष्टताओं को निर्धारित किए बिना, याचीगण को कीमतों को कम करने के लिए नहीं कहा जा सकता था। उन्होंने अधिनियम, 2017 की धारा 171 में दिशा-निर्देशों की कमी की तुलना सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क से की, जो व्यापक दिशा-निर्देशों को निर्धारित

करता है जिसके आधार पर पाटन और प्रति-पाटन शुल्क की सीमा की मात्रा निर्धारित की जानी है और प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 19 (3), जो यह निर्धारित करते समय ध्यान में रखे जाने वाले कारकों को निर्धारित करती है कि क्या किसी समझौते का बहुत अधिक प्रतिकूल प्रभाव है। उन्होंने कहा कि किसी भी दिशा-निर्देश के आभाव में, एन.ए.ए. ने मनमाने ढंग से काम किया था, जैसा कि एक ही उद्योग से संबंधित संस्थाओं और एकसमान उत्पादों से संबंधित मामलों में न्यायनिर्णयन करते समय उसके द्वारा अपनाए गए विभिन्न दृष्टिकोणों से स्पष्ट है।

11. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने इस बात पर जोर दिया कि उदाहरणार्थ, जांच/न्यायनिर्णयन के दौरान भूसंपदा कंपनियों के लिए प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रयोग किए गए फामूर्ला को अधिसूचित नहीं किया गया था। भूसंपदा उद्योग की मुनाफाखोरी राशि पर पहुंचने के लिए एन.ए.ए. और मुनाफाखोरी-रोधी महानिदेशक ('डी.जी.ए.पी.') द्वारा अपनाई गई पद्धति आम तौर पर वस्तु एवं सेवा कर से पूर्व और वस्तु एवं सेवा कर के बाद की अवधि के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट का टर्नओवर से अनुपात के बीच के अंतर पर आधारित थी। इस बात को स्पष्ट करने के लिए कि प्रत्यर्थीगण द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली त्रुटिपूर्ण थी, याचीगण के अधिवक्ता ने डेवलपर्स ए एंड बी द्वारा विकसित की जा रही दो एकसमान भूसंपदा परियोजनाओं के मामले में मुनाफाखोरी/प्रदान की जाने वाली राशि की गणना करने के बाद मिलने वाले विपरीत परिणामों का

एक उदहारण दिया, जिसमें एकमात्र अंतर यह था कि उन्हें वस्तु और सेवा कर व्यवस्था से पहले अग्रिम भुगतान प्राप्त हुआ था। उन्होंने कहा कि यह मानते हुए कि दो डेवलपर्स (ए एंड बी) ने 2017 में दो एकसमान परियोजनाओं (प्रत्येक में एक करोड़ रुपये के सौ फ्लैट) का निर्माण शुरू किया था और परियोजनाओं को समान निवेश के साथ एकसमान गति से निष्पादित किया गया था और डेवलपर ए को वस्तु और सेवा कर से पूर्व की अवधि के दौरान अग्रिम के रूप में राशि (परियोजना की कुल बिक्री मूल्य) का साठ प्रतिशत प्राप्त हुआ था, डेवलपर बी को उस अवधि के दौरान केवल बीस प्रतिशत अग्रिम प्राप्त हुआ, अन्य सभी कारक समान थे (जैसे कि वस्तु और सेवा कर की पूर्व की अवधि के दौरान प्राप्त/उपलब्ध ऋण), दोनों परियोजनाओं के लिए क्रेडिट-टर्नओवर अनुपात ग्राहकों से भुगतान प्राप्त होने के समय के आधार पर काफी भिन्न होगा। याचीगण के अनुसार, यदि एन.ए.ए./डी.जी.ए.पी. द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली को स्वीकार किया जाना है, तो डेवलपर ए को फ्लैट खरीदारों को 15 प्रतिशत लाभ देना होगा और डेवलपर बी को, जिसे वस्तु एवं सेवा कर प्राप्त होने के बाद भुगतान/राशि का 80 प्रतिशत प्राप्त हुआ है, फ्लैट खरीदारों को कोई लाभ नहीं देना होगा। उसी का आलेखी निरूपण, जैसा कि याचीगण द्वारा प्रकाशित किया गया है, इस प्रकार है:



12. उन्होंने कहा कि इसी कारण से, एन.ए.ए. द्वारा पारित आदेशों में टर्नओवर का क्रेडिट से प्रतिशत अनुपात (वस्तु और सेवा कर व्यवस्था में) (*वाटिका लिमिटेड, वा.सं. 64/2019*) में 0.20% से (*एम्मार एम.जी.एफ. लैंड लिमिटेड, वा.सं. 26/2020*) से 20.98% भिन्न था।

13. रिट याचिका संख्या 13657/2022 में याचीगण के लिए विद्वान अधिवक्ता ने इंगित किया कि डी.एल.एफ. ने प्रत्येक परियोजना के लिए वस्तु और सेवा कर की शुरुआत के कारण कुल बचत की गणना की। उन्होंने कहा कि कुल बचत/लाभ को कुल क्षेत्रफल से विभाजित किया गया ताकि प्रत्येक फ्लैट के खरीदार को दिए जाने वाले प्रति वर्ग फीट लाभ की गणना की जा सके। उन्होंने कहा कि इसके परिणामस्वरूप एकसमान क्षेत्रफल वाले फ्लैट-खरीदार ने एकसमान लाभ प्राप्त किया। इसके विपरीत उन्होंने बताया कि एन.ए.ए./डी.जी.ए.पी. ऊपर बताए गए अनुपातों की तुलना करके लाभ की गणना की और और फिर वस्तु और सेवा कर व्यवस्था में प्रत्येक फ्लैट खरीदार से

प्राप्त प्रतिफल के प्रतिशत के रूप में मुनाफाखोरी राशि की गणना की। अतः एन.ए.ए./डी.जी.ए.पी. के अनुसार एकसमान स्थिति वाले फ्लैट खरीदारों को भिन्न-भिन्न लाभ मिला। परियोजना कैमेलियास के लिए, एन.ए.ए./डी.जी.ए.पी. और डी.एल.एफ. दोनों द्वारा संगणित लाभ हैं नीचे सारणीबद्ध हैं:

डी.एल.फ.-परियोजना (कैमेलियास)						
क्र. सं.	ग्राहक	इकाई संख्या	इकाई का क्षेत्रफल	डी.जी.ए.पी. द्वारा प्रतिशत लाभ की गणना	डी.जी.ए.पी. द्वारा गणना की गई राशि	याचिकाकर्ता को दिया गया लाभ
1.	गोपाल चोपड़ा	सी.एम.40 5ए	7361 वर्ग फीट	1.18%	83,274	4,88,500
2.	रचना साहनी	सी.एम.50 4 ए	7361 वर्ग फीट	1.18%	83,450	4,88,500
3.	रचना साहनी	सी.एम.50 5 ए	7361 वर्ग फीट	1.18%	83,450	4,88,500
4.	अनिल सरीन	सी.एम.510 ए.	7361 वर्ग फीट	1.18%	99,874	4,88,500
5.	एस.जे. रबर उद्योग लि.	सी.एम.50 4बी	7361 वर्ग फीट	1.18%	83,265	4,88,500
6.	स्प्लेंडिड रेजीडेंस	सी.एम.41	7361 वर्ग	1.18%	11,328	4,88,500

	प्राइवेट लिमिटेड	9ए.	फीट			
7.	रचना साहनी	सी.एम.50 3बी.	7361 वर्ग फीट	1.18%	83,450	4,88,500
8.	विनीत कंवर	सी.एम.41 8बी.	7361 वर्ग फीट	1.18%	2,30,148	4,88,500
9.	विशाल स्वरा	सी.एम.51 6बी	7361 वर्ग फीट	1.18%	1,47,047	4,88,500
10.	संजीव अग्रवाल	सी.एम.81 9बी.	9419 वर्ग फीट	1.18%	10,01,928	6,25,139
11.	मोहन अग्रवाल	सी.एम.80 4बी.	9419 वर्ग फीट	1.18%	20,66,050	6,25,139
12.	दीप कालरा	सी.एम.81 8बी.	9419 वर्ग फीट	1.18%	33,72,998	6,25,139
13.	एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड	सी.एम.60 2ए.	9419 वर्ग फीट	1.18%	34,356	6,25,139

14. उन्होंने यह भी कहा कि मुनाफाखोरी का निर्धारण विभिन्न स्तर पर किया जा सकता है जैसे इकाई स्तर, स्टॉक कीपिंग यूनिट (इसके बाद 'एस.के.यू.' कहा जाएगा) स्तर, उत्पाद स्तर, ग्राहक स्तर आदि। इसलिए, कानून का अनुपालन करने का आशय रखने वाले कर-निर्धारिती के पास यह सुनिश्चित करने का कोई तरीका नहीं है कि उसकी कार्यप्रणाली अधिनियम, 2017 की धारा 171(1) के अनुपालन में है या नहीं।

15. याचीगण के अधिवक्ता ने यह भी कहा कि अधिनियम, 2017 की धारा 171 का कार्यान्वयन मूल्य निर्धारण के बराबर है और इसलिए यह संविधान के अनुच्छेद 19(1)(छ) और 300क का उल्लंघन है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अधिनियम, 2017 की धारा 171 की एन.ए.ए. की व्याख्या के अनुसार, एक बार जब अधिनियम, 2017 की धारा 171 में अनुध्यात कोई भी घटना होने पर, यानी या तो कर दर में कमी होती है या इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया जाता है, तो उत्पाद की कीमत को (क) कर की सीमा में कमी और/या (ख) ऋण उपलब्धता में वृद्धि की सीमा में समायोजित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इनपुट लागत में वृद्धि या इनपुट के आयात पर सीमा शुल्क, आपूर्ति और मांग की स्थिति और मूल्य निर्धारण को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों के कारण समायोजित करने की अनुमति पर कोई स्पष्टता नहीं है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अधिनियम, 2017 की धारा 171, जिस सीमा तक यह कर की दर और ऋण उपलब्धता के अलावा मूल्य निर्धारण में प्रतिफल से सभी कारकों को समाप्त करती है, स्पष्ट रूप से अत्यधिक, असमान और अनुचित थी।

16. उन्होंने बताया कि इसी तरह के मुनाफाखोरी-रोधी प्रावधान ऑस्ट्रेलिया में (2000 में) और मलेशिया में (2015 में) शुरू किए गए थे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कर दर में कमी का लाभ प्राप्तकर्ताओं को दिया जाए।

उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रावधानों ने प्रतिबंधात्मक शर्तों को लागू करने से पहले स्पष्ट नीतिगत दिशा-निर्देश निर्धारित किए।

17. उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया ने जब पूर्ववर्ती थोक बिक्री कर की जगह वस्तु और सेवा कर लागू किया, तो ऑस्ट्रेलियाई प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता आयोग ('ए.सी.सी.सी.') को 1999 और 2002 के बीच तीन साल की अवधि के लिए वस्तु और सेवा कर की शुरुआत में मूल्य निर्धारण प्रतिक्रियाओं की देखरेख करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उन्होंने कहा कि व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1974, की धारा 75कप जो नई कर प्रणाली के संबंध में मूल्य शोषण को प्रतिबंधित करता है, यह प्रावधान करती है कि मूल्य शोषण का निर्धारण करते समय आपूर्तिकर्ता की इनपुट लागत में वृद्धि, आपूर्ति और मांग की स्थिति जैसे कारकों और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि उपरोक्त अधिनियम की धारा 75कफ(1) में प्रावधान किया गया है कि ए.सी.सी.सी. को यह स्पष्ट करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार करने चाहिए कि मूल्यों को मूल्य शोषण प्रावधान का उल्लंघन कब माना जा सकता है। उन्होंने कहा कि ए.सी.सी.सी. ने जुलाई, 1999 में विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार किए थे जिन्हें बाद में सभी हितधारकों से इनपुट लेने के बाद मार्च, 2000 में संशोधित किया गया था। यह बताया गया कि उपरोक्त दिशानिर्देशों में निर्धारित मौलिक सिद्धांत 'शुद्ध डॉलर मार्जिन नियम' पर आधारित था। उनके अनुसार, उक्त दिशानिर्देशों में मूल्य समायोजन के लिए

ध्यान में रखे जाने वाले सभी प्रासंगिक कारकों को सूचीबद्ध किया गया है और खरीद लागत में वृद्धि और कर परिवर्तन के कारण अतिरिक्त लागत पर विचार करने के लिए प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि यह विशिष्ट परिस्थितियों में वस्तुओं या सेवाओं पर करों और लागतों के प्रभाव का औसत निकालने की भी अनुमति देती है।

18. मलेशिया में शुरू की गई वस्तु और सेवा कर प्रणाली का उल्लेख करते हुए, उन्होंने कहा कि वस्तुओं की कीमतों, सेवाओं के शुल्क को नियंत्रित करने और आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अनुचित रूप से उच्च मुनाफाखोरी को प्रतिबंधित करने के लिए मूल्य नियंत्रण और मुनाफाखोरी-रोधी अधिनियम, 2011 के तहत मुनाफाखोरी-रोधी उपायों को शामिल किया गया था। उन्होंने कहा कि अनुचित रूप से अधिक लाभ कमाना उक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत एक अपराध था। उन्होंने आगे कहा कि उक्त अधिनियम की धारा 15 में प्रावधान किया गया है कि मंत्री विभिन्न स्थितियों पर विचार करते हुए और कर लगाने, आपूर्तिकर्ताओं की लागत, आपूर्ति एवं मांग की स्थितियों और वस्तुओं एवं सेवाओं के संबंध में या मूल्य आदि के संबंध में अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए यह निर्धारित करने के लिए तंत्र निर्धारित करेगा कि क्या लाभ अनुचित रूप से अधिक है। यह बताया गया कि 2014 और 2016 में जारी किए गए विनियमों के तहत विस्तृत दिशानिर्देश निर्धारित किए गए थे।

19. याचीगण के अधिवक्ता ने आगे कहा कि अधिनियम, 2017 की धारा 171 स्पष्टतः मनमाना और अनुचित है, क्योंकि यह उस अवधि को निर्धारित नहीं करता है जिसके दौरान वस्तुओं और सेवाओं की कम कीमतों को बनाए रखा जाना था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जिस समय-सीमा के लिए कर-निर्धारिती अधिनियम, 2017 की धारा 171 के विनियम के अधीन हो सकता है, उसे अपरिभाषित और अनिर्णीत छोड़ दिया गया है। उसके अनुसार, यह अनिश्चितकालीन दायित्व याचीगण के व्यापार और वाणिज्य के अधिकार में बाधा डालता है और इसलिए, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 19(1)(छ) का उल्लंघन है।

20. उन्होंने आगे कहा कि मूल्य में कमी एकमात्र तरीका नहीं है जिसके द्वारा प्राप्तकर्ता को उचित लाभ दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि समान मूल्य पर बेचे जाने वाले उत्पाद की मात्रा या वजन में वृद्धि उत्पाद की कीमत को कम करने का एकसमान रूप से प्रभावी और कानूनी तरीका है। उन्होंने कहा कि प्राप्तकर्ता को उचित लाभ देने के एकमात्र तरीके के रूप में मूल्य में कमी को अनिवार्य करना स्पष्ट रूप से मनमाना और अनुचित है।

21. **रि.या.(सि.) 12557/2022 मैसर्स लोरियल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड,** में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि एफ.एम.सी.जी. उद्योग में, कम कीमत वाले उत्पादों के लिए, चूंकि कीमत में परिणामी कमी अक्सर बहुत ही कम होती है, इसलिए विधिक माप अधिनियम, 2009 और विधिक माप (डिब्बाबंद वस्तुएं)

नियम, 2011 में प्रतिबंध के कारण लाभ देना संभव नहीं था, जिसमें वस्तुओं की कीमतों को निकटतम पचास पैसे तक पूर्णांकित किया जाना आवश्यक होती है। अपने तर्क के समर्थन में, उन्होंने निम्नलिखित तालिका का उल्लेख किया:

मूल एम.आर.पी.	28 प्रतिशत जी.एस.टी. से अलग मूल्य	18% जी.एस.टी.	आदर्श संशोधित एम.आर.पी.	प्रत्यर्थी द्वारा सुझाए गए एम.आर.पी.
5	3.90625/-	0.703125/-	4.609375/-	4.5/-
4	3.125/-	0.5625/-	3.6874/-	3.5/-
3	2.34375/-	0.421875/-	2.765625/-	3/-
2	1.5625/-	0.28125/-	1.84375/-	2/-

22. इसलिए, उनके अनुसार, अधिकतम खुदरा मूल्य ('एम.आर.पी.') को कम करना विधिक रूप से असंभव है। परिणामस्वरूप उन्होंने कहा कि कुछ कंपनियों ने ग्रामेज को बढ़ाकर एकसमान लाभ दिया है। उन्होंने बताया कि एन.ए.ए. ने 24 दिसंबर, 2018 को **अंकित कुमार बाजोरिया बनाम मेसर्स हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, वा.सं. 20/2018** में पारित आदेश के द्वारा ग्रामेज बढ़ाने की पद्धति को स्वीकार किया था। हालाँकि, इस पद्धति को बाद के आदेशों में एन.ए.ए. द्वारा एकसमान लाभ देने के तरीके के रूप में स्वीकार नहीं किया गया था।

23. याचीगण के अधिवक्ता ने बताया कि एन.ए.ए. द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपील करने कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अपील करने के प्रावधान के न होने का अर्थ है कि एन.ए.ए. के निर्णयों पर कोई न्यायिक अन्वेक्षा नहीं है और यह इंगित करता है कि यह धारणा है कि एन.ए.ए. के निष्कर्ष हैं अचूक हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अधिकरण और प्राधिकरण जो एन.ए.ए. के समान कार्य करते हैं, उनके पास एक मजबूत अपील तंत्र है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि एन.ए.ए. के निष्कर्षों के खिलाफ अपील के प्रावधान की कमी अधिनियम, 2017 को असंवैधानिक बनाता है।

24. उन्होंने प्रस्तुत किया कि नियमावली, 2017 का नियम 124 जहाँ तक एन.ए.ए. के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और सेवा के निबंधन और शर्तों से संबंधित है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 50 के अनुरूप नहीं है क्योंकि एन.ए.ए. के कामकाज में सरकारी हस्तक्षेप की गुंजाइश है।

25. याचीगण के अधिवक्ता ने कहा कि एन.ए.ए. अनिवार्य रूप से उन शिकायतकर्ताओं के अधिकारों को निर्धारित करता है जिन्होंने शिकायत दर्ज की है और उन कर निर्धारकों की देनदारियों को निर्धारित करता है जिनके खिलाफ ऐसा आवेदन/शिकायत की गई है/प्राप्त हुई है। इसलिए, उनके अनुसार, चूंकि एन.ए.ए. द्वारा शक्ति का प्रयोग एक न्यायिककल्प कार्य है, इसलिए एन.ए.ए. के गठन में न्यायिक सदस्य की अनुपस्थिति अधिनियम, 2017 की धारा 171 और नियमावली, 2017 के नियम 122 को अवैध और अमान्य बना देती है।

अपनी प्रस्तुतियों के समर्थन में, उन्होंने *मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ, (2015) 8 एस.सी.सी. 583, मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ, (2010) 11 एस.सी.सी. 1 और एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ, (1997) 3 एस.सी.सी. 261* में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है।

26. उन्होंने आगे कहा कि एन.ए.ए. के सदस्यों के बीच मतों की समानता की स्थिति में, अध्यक्ष के पास दूसरा या निर्णायक मत होता है, जो नियम 134(2) को अवैध और असंवैधानिक बनाता है।

27. *रि.या.(सि.) 12647/2018* में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि डी.जी.ए.पी. द्वारा जारी रिपोर्ट और एन.ए.ए. द्वारा अपने मामले में पारित आदेश को नियमावली, 2017 के नियम 133 के तहत प्रदान की गई सीमा द्वारा वर्जित किया गया था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि नियम 133 "होगा" शब्द का प्रयोग किया गया है और इस प्रकार यह अनिवार्य करता है कि एन.ए.ए. को डी.जी.ए.पी. से रिपोर्ट प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने की अवधि (28 जून, 2019 के संशोधन से पहले) के भीतर आदेश निर्धारित करना और पारित करना होगा। उन्होंने आगे कहा कि नियम 129(6) के तहत निर्धारित प्रक्रिया का डी.जी.ए.पी. द्वारा अन्य उत्पादों की जांच करते समय सख्ती से पालन किया जाना चाहिए था। उन्होंने बताया कि *रि.या.(सि.) 12647/2018* में याचिकाकर्ता के मामले में 25 सितंबर, 2018 को नियम, 2017 के नियम 129(6) (जिस तिथि को एन.ए.ए. ने डी.जी.ए.पी. को याचिकाकर्ता द्वारा कथित रूप से

मुनाफाखोरी की गई राशि की जांच करने का निर्देश देते हुए अपना आदेश पारित किया था) या 30 अक्टूबर, 2018 (वह तिथि जब डी.जी.ए.पी. द्वारा नोटिस जारी किया गया था) अनिवार्य रूप से प्रावधान किया गया था कि डी.जी.ए.पी. को तीन महीने के भीतर अपनी जांच पूरी करने होगी। हालाँकि, रिपोर्ट 30 सितंबर, 2019 को प्रस्तुत की गई थी जो निर्धारित सीमा अवधि से परे है और इस प्रकार, यह अधिकार क्षेत्र के बिना थी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि जिस समय एन.ए.ए. द्वारा कार्यवाही शुरू की गई थी, उस समय नियमावली, 2017 के नियम 129(6) ने अनिवार्य किया था कि डी.जी.ए.पी. तीन महीने के भीतर एन.ए.ए. को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसे आगे छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है। इस तरह की समय अवधि को बाद में 28 जून, 2019 की अधिसूचना संख्या 31/2019 द्वारा छह महीने तक बढ़ा दिया गया था, जिसे आगे नौ महीने तक बढ़ाया जा सकता था। हालाँकि, 28 जून, 2019 से लागू होने वाली अवधि को छह महीने के रूप में लिए जाने पर भी, आक्षेपित आदेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

28. याचीगण के अधिवक्ता ने कहा कि नियमावली, 2017 के नियम 133(3) के तहत, एन.ए.ए. के पास उस उत्पाद के अलावा किसी भी उत्पाद के संबंध में आदेश पारित करने की कोई शक्ति या अधिकार नहीं है, जिसके खिलाफ अधिकारियों को शिकायत प्राप्त हुई है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि 28 जून, 2019 तक (जब नियम 133(5) लागू किया गया था), एन.ए.ए. के पास

शिकायत किए गए उत्पाद के अलावा किसी भी उत्पाद के संबंध में जांच का निर्देश देने का कोई अधिकार नहीं था। हालांकि, 28 जून, 2019 से नियम 133(5) लागू किया गया था, जिसके तहत पहली बार एन.ए.ए. को कानूनी रूप से अपने समक्ष कार्यवाही के दौरान डी.जी.ए.पी. को शिकायत किए गए उत्पाद के अलावा अन्य उत्पादों के संबंध में जांच करने का निर्देश देने का अधिकार दिया गया था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि संशोधन के परिणामस्वरूप, जांच के दायरे का विस्तार करने की शक्ति केवल एन.ए.ए. के पास है न कि डी.जी.ए.पी. के पास। उन्होंने बताया कि कई मामलों में, डी.जी.ए.पी. ने अपने आप ही जांच का दायरा अन्य उत्पादों तक बढ़ा लिया था, जो उनके अनुसार, बिना अधिकार क्षेत्र के और अधिकारातीत है और अधिनियम, 2017 और नियम, 2017 के प्रावधानों से परे है।

29. याचीगण के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अधिनियम, 2017 के तहत तदनु रूप विशिष्ट मूल प्रावधानों के आभाव में जुर्माना और ब्याज लगाने का आदेश नहीं दिया जा सकता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अधिनियम, 2017 की धारा 171 के उल्लंघन के परिणामों का प्रावधान अधिनियम, 2017 में ही किया जाना चाहिए था और नियमावली, 2017 के नियम 127 और 133 के तहत एन.ए.ए. को इतनी व्यापक और अनियंत्रित शक्तियां प्रदान नहीं की जा सकती थीं। अपने प्रस्तुति के समर्थन में, उन्होंने *इंडियन कार्बन लिमिटेड बनाम असम राज्य (1997) 6 एस.सी.सी. 479* और *श्री भगवती स्टील रोलिंग मिल्स बनाम*

सी.सी.ई. 2015 (326) ई.एल.टी. 209 (एस.सी.) मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया है।

30. उन्होंने कहा कि याचीगण को कारण बताएँ नोटिस जारी किए गए हैं जिसमें उन्हें यह बताने का निर्देश दिया गया है कि नियमावली, 2017 के नियम 133(3)(घ) सहपठित अधिनियम, 2017 की धारा 171 (3क) के तहत निर्धारित जुर्माना उन पर क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए। हालाँकि, उन्होंने प्रस्तुत किया कि वित्त अधिनियम, 2019 की धारा 112 के तहत अधिनियम, 2017 में धारा 171 (3क) सन्निविष्ट की गई है, जो 1 जनवरी, 2020 से लागू हुई है और इसलिए उपरोक्त धारा के तहत जुर्माना याचीगण पर पूर्वव्यापी रूप से नहीं लगाया जा सकता था।

31. **रि.या.(सि.) 1171/2020** में याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अधिनियम, 2017 की धारा 2(108) के साथ धारा 171(1) के पठन से, यह स्पष्ट है कि यह किसी विशेष वस्तु पर लगाए गए वस्तु और सेवा कर की दर में कमी या अधिनियम, 2017 के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट के स्वीकृत करने पर लागू होता है। उन्होंने कहा कि 'वस्तुओं या सेवाओं की किसी भी आपूर्ति पर कर' शब्द और धारा 171 में इनपुट टैक्स क्रेडिट 1 जुलाई, 2017 से पहले लगाए गए किसी भी कर या ऐसे किसी भी पूर्व अधिनियम के तहत दिए गए किसी भी इनपुट टैक्स क्रेडिट को संदर्भित नहीं करता है। इसलिए, उनके अनुसार, अधिनियम, 2017 की धारा 171(1) अधिनियम, 2017 के लागू

होने के बाद लगाए गए करों की तुलना अधिनियम के लागू होने से पहले वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होने वाले अलग-अलग अप्रत्यक्ष करों के साथ करने पर विचार नहीं करती है। उन्होंने कहा कि राज्यों द्वारा जुलाई, 2017 से पहले वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए गए अप्रत्यक्ष कर जैसे कि मूल्य वर्धित कर/बिक्री-कर, चुंगी शुल्क और प्रवेश कर राज्य-दर-राज्य और अक्सर राज्य के भीतर क्षेत्र-दर-क्षेत्र व्यापक रूप से भिन्न-भिन्न होते थे। उन्होंने कहा कि इसके परिणामस्वरूप, पूर्व-वस्तु एवं सेवा कर की दरों और वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था के तहत लगाए गए कर की दरों के बीच कोई सार्थक तुलना करना असंभव है।

32. उनके अनुसार, अधिनियम, 2017 की धारा 171 केवल दो एकल दरों के बीच तुलना की अनुमति देती है, न कि एकल कर दर (वस्तु और सेवा कर) और कई अन्य कर दरों (वस्तु और सेवा कर से पूर्व के अप्रत्यक्ष कर) के संयोजन या समूह के बीच तुलना की अनुमति देती है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अधिनियम, 2017 की धारा 2(62) और 2(63) यह स्पष्ट करती है कि धारा 171(1) में निर्दिष्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ अधिनियम, 2017 के तहत दिया गया इनपुट टैक्स क्रेडिट है न कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, सेवा-कर अधिनियम या बिक्री-कर अधिनियमों के तहत दिया गया इनपुट टैक्स क्रेडिट। उन्होंने आगे कहा कि अधिनियम, 2017 की धारा 9 जो 'वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की सभी अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर

नामक कर...' लगाने का प्रावधान करती है, धारा 171 के समान भाषा का प्रयोग करती है और इसलिए धारा 171 केवल अधिनियम की धारा 9 के तहत लगाए गए/निर्दिष्ट कर की दर में कमी को संदर्भित करती है।

33. रि.या.(सि.) 2897/2021 में याचीगण के वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि कर दर में कमी लागू होने के बाद किए गए अनुबंध में, पक्षकारगण किसी भी कीमत पर सहमत होने के लिए स्वतंत्र हैं। अपनी प्रस्तुति के समर्थन में, उन्होंने वस्तु विक्रय अधिनियम की धारा 64-क पर भरोसा किया, जो इस प्रकार है:-

“64ए. विक्रय के संविदा में, बढ़े हुए या कम किए गए करों की राशि को जोड़ा या घटाया जाना है -

(1) जब तक कि संविदा के निबंधनों से कोई अलग आशय प्रकट नहीं होता है, तब तक उप-धारा (2) में वर्णित प्रकृति का कोई कर लगाए जाने, बढ़ाए जाने, घटाने या किसी माल के संबंध में प्रेषित किए जाने की स्थिति में ऐसी वस्तुओं की बिक्री या खरीद के लिए कोई संविदा, जिसमें कर के भुगतान के बारे में कोई शर्त न हो, जहां संविदा करने के समय कर प्रभार्य नहीं था, या ऐसी वस्तुओं की बिक्री या खरीद के लिए कर-भुगतान जहां उस समय कर प्रभार्य था, -

(क) यदि ऐसा अधिरोपण या वृद्धि इस प्रकार प्रभावी होती है कि, यथास्थिति, कर या बढ़े हुए कर का भुगतान किया जाता है या ऐसे कर का कोई हिस्सा देय होता है, तो विक्रेता संविदा मूल्य में इतना जोड़ सकता है जो ऐसे कर या कर की वृद्धि के संबंध में भुगतान की गई या देय राशि के बराबर होगा, और वह भुगतान किए जाने और ऐसे अतिरिक्त के लिए वाद दायर करने और वसूली करने का हकदार होगा; और

(ख) यदि ऐसी कमी या छूट इस प्रकार प्रभावी होती है कि केवल घटाया गया कर, या कोई कर, जैसा भी मामला हो, का भुगतान किया जाता है या देय नहीं है, तो खरीदार अनुबंध मूल्य से इतना घटा सकता है जो कर या प्रेषित कर में कमी के बराबर होगा, और वह ऐसी कटौती का भुगतान करने या उसके लिए या उसके संबंध में वाद चलाने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

(2) उप-धारा (1) के प्रावधान निम्नलिखित करों पर लागू होते हैं, अर्थात्:-

- (क) वस्तुओं पर कोई सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क;
 (ख) वस्तुओं के विक्रय या क्रय पर कोई कर।”

34. **रि.या.(सि.) 2785/2021** में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अधिनियम, 2017 की धारा 2(80) सहपठित धारा 171(2) के अनुसार, प्राधिकरण (यह जांचने के लिए सशक्त कि क्या मूल्य में उचित कमी हुई है) का गठन विधिवत राजपत्रित अधिसूचना द्वारा किया जाना चाहिए और अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अनुसार, ऐसी अधिसूचना संसद के समक्ष रखी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इन आवश्यकताओं के विपरीत, एन.ए.ए. का गठन 28 नवंबर, 2017 के एक प्रशासनिक आदेश सं. 343/2017 के द्वारा किया गया था। उन्होंने कहा कि नियमावली, 2017 के नियम 122 को अधिसूचना संख्या 10/2017-केंद्रीय कर दिनांक 28 जून, 2017 के द्वारा अधिसूचित और राजपत्रित किया गया है, जो पहले तो यह बताता है कि इसके तहत एन.ए.ए. का गठन किया गया था। हालांकि, करीब से विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट है कि उक्त नियम को एन.ए.ए. के गठन का स्रोत नहीं कहा जा सकता है क्योंकि नियम 122 अनिवार्य रूप से एन.ए.ए. के गठन के लिए

प्रावधान करता है न कि एन.ए.ए. के गठन के लिए, भले ही नियम का शीर्षक यह सुझाव देने के लिए जोड़ा गया हो कि यह स्पष्ट रूप से एन.ए.ए. का गठन करता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि यदि उक्त नियम (जिसे 28 जून, 2017 को अधिसूचित किया गया था) वास्तव में एन.ए.ए. के गठन का स्रोत था, यह 35वीं और 45वीं वस्तु और सेवा कर परिषद की बैठक के कार्यवृत्त के साथ-साथ राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के 09 सितंबर, 2019 के ज्ञापन में दर्ज प्रत्यर्थागण की समझ के खिलाफ जाएगा, जिसमें यह विशेष रूप से देखा गया है कि एन.ए.ए. का गठन 28 नवंबर, 2017 के एक कार्यालय आदेश के द्वारा किया गया था।

प्रत्यर्थागण की ओर से तर्क

35. प्रत्यर्था-प्राधिकरण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री जोहेब हुसैन ने अपनी दलीलों की शुरुआत करते हुए कहा कि संसद ने एक ही आपूर्ति प्रणाली पर लगाए गए करों की बहुलता को समाप्त करके देश में अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को सरल और सामंजस्यपूर्ण बनाने के लिए अधिनियम, 2017 पेश किया, जिसके परिणामस्वरूप व्यापक प्रभाव पड़ा है।

36. उनके अनुसार, वस्तु और सेवा कर व्यवस्था में "मुनाफाखोरी-रोधी" उपायों को इसलिए शुरू किया गया था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इनपुट टैक्स क्रेडिट और वस्तु एवं सेवा कर की दरों में कमी का पूरा लाभ उन उपभोक्ताओं को मिले जो कर का बोझ उठाते हैं और आपूर्तिकर्ताओं को इन

लाभों को अपने लिए हड़पने से रोका जा सके। उन्होंने तर्क दिया कि अधिनियम, 2017 और नियम, 2017 के तहत मुनाफाखोरी-रोधी प्रावधान उपभोक्ता कल्याण के हित में लागू किए गए हैं और इसलिए इसकी कोई भी व्याख्या उपभोक्ता के पक्ष में होनी चाहिए।

37. उन्होंने कहा कि प्रावधान अनिवार्य रूप से आपूर्तिकर्ताओं पर वस्तु और सेवा कर व्यवस्था के लाभों को हड़पने से रोकने के लिए मौलिक प्रतिबंध लगाते हैं जो या तो वस्तु और सेवा कर परिषद के निर्णय के अनुसार प्रभावित कर दर में कमी के रूप में हो सकता है या इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ जो पहले की व्यवस्था के तहत उपलब्ध नहीं था। उन्होंने कहा कि तदनु रूप दरों में कमी और इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ प्राप्त करने के लिए उपभोक्ताओं के पक्ष में एक महत्वपूर्ण अधिकार बनाया गया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रावधान के संवैधानिक अधिकारों पर विचार करते हुए, इस प्रावधान से प्राप्त होने वाले व्यापक लोक कल्याण को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन्होंने **पायनियर अर्बन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम भारत संघ, (2019) 8 एस.सी.सी. 416,** के मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है। जिसमें उच्चतम न्यायालय ने दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 में संशोधनों को चुनौती देने की जांच की। उन्होंने कहा कि उपरोक्त मामले में यह तथ्य कि आक्षेपित प्रावधान लाभकारी कानून का हिस्सा थे, प्रावधानों को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में माना गया था।

38. उन्होंने आगे कहा कि अधिनियम, 2017 की धारा 171 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 38, 39 (ख) और 39 (ग) में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निहित पुनर्वितरण न्याय के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए अधिनियमित किया गया है। अनुच्छेद 38, 39 (ख) और 39 (ग) के प्रासंगिक भाग को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

“अनुच्छेद 38 - राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करेगा

(1) राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित और संरक्षित करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को सूचित करेगा।

अनुच्छेद 39 - राज्य द्वारा अपनाई जाने वाली नीति के कुछ सिद्धांत राज्य, विशेष रूप से, अपनी नीति को सुरक्षित करने की दिशा में निर्देशित करेगा --

(ख) कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस तरह से वितरित किया जाए कि वह सर्वजन हिताय हो;

(ग) कि आर्थिक प्रणाली के संचालन के परिणामस्वरूप धन और उत्पादन के साधनों का संकेन्द्रण आम जनता के लिए हानिकारक न हो;”

(जोर दिया गया)

39. उन्होंने प्रस्तुत किया कि राज वित्तीय परिनियम में न्यायिक पुनर्विचार का दायरा काफी सीमित है जैसा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा **मध्य प्रदेश राज्य बनाम राकेश कोहली, (2012) 6 एस.सी.सी. 312** और **आर. के. गर्ग बनाम**

भारत संघ, 1981 (4) एस.सी.सी. 675 जैसे कई निर्णयों में निर्धारित किया गया है।

40. उन्होंने आगे कहा कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 246क विधायिका को वस्तु और सेवा कर के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है।

संविधान का अनुच्छेद 246क इस प्रकार है:-

“246क. वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में विशेष प्रावधान -

(1) अनुच्छेद 246 और 254 में कुछ भी निहित होने के बावजूद, संसद और, खंड (2) के अधीन, प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को संघ या ऐसे राज्य द्वारा लगाए गए वस्तु और सेवा कर के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है।

(2) संसद के पास वस्तु और सेवा कर के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्ति है जहां वस्तु, या सेवाओं, या दोनों की आपूर्ति अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान होती है।

स्पष्टीकरण - इस अनुच्छेद के प्रावधान, अनुच्छेद 279क के खंड (5) में निर्दिष्ट वस्तु और सेवा कर के संबंध में, वस्तु और सेवा कर परिषद द्वारा अनुशंसित तिथि से प्रभावी होंगे।”

41. उन्होंने प्रस्तुत किया कि अधिनियम, 2017 की आक्षेपित धारा 171 भारत के संविधान के अनुच्छेद 246क का उल्लंघन नहीं करती है क्योंकि उक्त धारा कर लगाने का प्रावधान नहीं करती है, बल्कि इसका उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना है कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा उपभोक्ता के कल्याण के लिए कर राजस्व का त्याग आपूर्तिकर्ता द्वारा उन्हें दिया जाए।

42. उन्होंने कहा कि कर के बोझ को कम करना और करों के व्यापक प्रभाव को समाप्त करना वस्तु और सेवा कर को शुरू करने के पीछे महत्वपूर्ण उद्देश्य थे और इसलिए अधिनियम, 2017 की आक्षेपित धारा 171 वस्तु और सेवा कर के संबंध में एक प्रावधान है और इसलिए, अधिनियम, 2017 की धारा 171 संसद और राज्य विधानसभाओं की कानून बनाने की शक्तियों के दायरे में आती है। उन्होंने आगे कहा कि यह सुस्थापित सिद्धांत कि कराधान के क्षेत्र में, विधायिका को वर्गीकरण के लिए अधिक स्वतंत्रता प्राप्त है जैसा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न मामलों में नोट किया गया है [देखें: **स्टीलवर्थ लिमिटेड बनाम असम राज्य [1962] पूरक (2) एस.सी.आर. 589]; गोपाल नारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [ए.आई.आर. 1964 एस.सी. 370]; गंगा शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(1980) 1 एस.सी.सी. 223]**

43. याचीगण की दलीलों का विरोध करते हुए कि अधिनियम, 2017 की धारा 171 अत्यधिक प्रत्यायोजन से ग्रस्त है, विद्वान अधिवक्ता श्री जोहेब हुसैन ने प्रस्तुत किया कि विधायिका द्वारा अधिनियम, 2017 की धारा 171 के द्वारा एन.ए.ए. को कोई आवश्यक विधायी कार्य नहीं सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि अधिनियम, 2017 की धारा 171 बहुत स्पष्ट है जब इसमें कहा गया है कि कर की दर में कोई कमी या इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ प्राप्तकर्ता को कीमतों में आनुपातिक कमी के रूप में दिया जाना चाहिए, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति जो वस्तुओं या सेवाओं का प्राप्तकर्ता है, उसे लाभ मिलना चाहिए।

उन्होंने आगे कहा कि यह नहीं कहा जा सकता है कि अधिनियम, 2017 की धारा 171 मुनाफाखोरी निर्धारित करने के लिए विधि और प्रक्रिया प्रदान नहीं करती है क्योंकि यह स्पष्ट रूप से निर्धारित करती है कि 'वस्तुओं या सेवाओं की किसी भी आपूर्ति' पर कर की दर में 'कोई कमी' या इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ 'कीमतों में आनुपातिक कमी' के द्वारा प्राप्तकर्ता को दिया जाएगा।

44. उन्होंने इस बात से दृढ़ता से इनकार किया कि अधिनियम, 2017 की धारा 171 में प्रयोग किए गए 'आनुपातिक' शब्द का कोई स्पष्ट और निश्चित अर्थ नहीं है। उन्होंने कैम्ब्रिज शब्दकोश का उल्लेख किया जहां 'आनुपातिक' शब्द को 'किसी और चीज़ की तुलना में सही और उपयुक्त राशि में; किसी और चीज़ की तुलना में मात्रा या गुणवत्ता में उपयुक्त; परिमाण में बराबर' के रूप में परिभाषित किया गया है। इस प्रकार, उनके अनुसार, धारा 171 एक स्पष्ट विधायी नीति निर्धारित करती है और इसलिए, कोई आवश्यक विधायी कार्य प्रत्यायोजित नहीं किया गया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि न्यायालयों ने लगातार माना है कि व्यापक विधायी नीति निर्धारित करने के बाद, छोटी-छोटी बातों को हमेशा अधीनस्थ कानून के द्वारा तय करने के लिए छोड़ा जा सकता है (देखें -*लोहिया मशीन्स लिमिटेड बनाम भारत संघ, (1985) 2 एस.सी.सी. 197, पंडित बनारसी दास भनोत बनाम मध्य प्रदेश राज्य, ए.आई.आर. 1958 एस.सी. 909, सीता राम बिशम्बर दयाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1972) 4 एस.सी.सी. 485*)। उन्होंने आगे कहा कि यह सुस्थापित है कि यह प्रश्न कि

क्या कोई विशेष कानून अत्यधिक प्रत्यायोजन से ग्रस्त है, न्यायालय द्वारा विषय-वस्तु, स्कीम, इसकी प्रस्तावना सहित परिनियम के प्रावधानों और उस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाना चाहिए जिस पर परिनियम अधिनियमित किया गया है। अपनी दलीलों के समर्थन में, उन्होंने **भटनागर एंड कंपनी लिमिटेड बनाम भारत संघ, ए.आई.आर. 1957 एस.सी. 478** और **मोहम्मदल्ली और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, ए.आई.आर. 1964 एस.सी. 980** के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है।

45. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि प्रक्रिया और कार्यप्रणाली निर्धारित करने की एन.ए.ए. की शक्ति अधिनियम, 2017 की धारा 171 से ही आती है, जो प्राधिकरण को यह जांचने का अधिकार देती है कि क्या किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट या वस्तुओं या सेवाओं पर कर दर में कमी के परिणामस्वरूप वास्तव में ऐसी वस्तुओं या सेवाओं की कीमत में आनुपातिक कमी आई है। उन्होंने कहा कि अधिनियम, 2017 की धारा 171 की उप-धारा (2) के साथ-साथ अधिनियम, 2017 की धारा 164 में निर्धारित केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्तियां केंद्र सरकार को प्राधिकरण की शक्तियों और कार्यों को निर्धारित करने के साथ-साथ प्राधिकरण को कार्यप्रणाली निर्धारित करने की शक्ति प्रदान करने के लिए नियम निर्धारित करने का अधिकार देती हैं कि वस्तु और सेवा कर दर में कटौती और इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभों को

पारित किया गया है या नहीं। उनके अनुसार, यह इस पृष्ठभूमि में है कि एन.ए.ए. की शक्तियों और कार्यों को निर्धारित करने की शक्ति धारा द्वारा केंद्रीय सरकार को सौंप दी गई थी। इसलिए, उन्होंने प्रस्तुत किया कि सिद्धांत *प्रत्यायोजित शक्ति का और आगे प्रत्यायोजन नहीं हो सकता* वर्तमान मामलों के समूह पर लागू नहीं होता है।

46. उन्होंने कहा कि अधिनियम, 2017 की धारा 171(3) में विधिवत प्रावधान है कि प्राधिकरण विहित किए शक्तियों का प्रयोग करेगा और विहित किए कार्यों का निर्वहन करेगा। तदनुसार, उन्होंने कहा कि वस्तु और सेवा कर परिषद, जो एक संघीय, संवैधानिक निकाय है, जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी वित्त मंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री शामिल हैं, ने अपने विवेकाधिकार से नियम 127 और 133 बनाए हैं जो प्राधिकरण के कार्यों और शक्तियों को निर्धारित करते हैं। उन्होंने बताया कि ये नियम अधिनियम, 2017 की धारा 164 के प्रावधानों के तहत बनाए गए हैं, जिसे संसद और राज्य विधानसभाओं की भी मंजूरी है। इसलिए, चूंकि प्राधिकरण द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कार्यों और शक्तियों को सक्षम विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित किया गया है, इसलिए वे याचीगण के लिए कानूनी और बाध्यकारी हैं। अपनी दलीलों के समर्थन में, उन्होंने *एम.के. पापिया बनाम आबकारी आयुक्त (1975) 1 एस.सी.सी. 492*, के मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है।

47. विद्वान अधिवक्ता श्री जोहेब हुसैन ने कहा कि भले ही याचीगण के इस तर्क को स्वीकार किया जाए कि मुनाफाखोरी की राशि की गणना के लिए कोई कार्यप्रणाली निर्धारित नहीं की गई थी, फिर भी उक्त धारा को असंवैधानिक नहीं माना जाएगा क्योंकि नियमावली, 2017 के नियम 126 के अनुसार, एन.ए.ए. को उक्त कार्यप्रणाली निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है। उन्होंने कहा कि नियम यह निर्धारित नहीं करता है कि एन.ए.ए. को मुनाफाखोरी की गणना करने के लिए कार्यप्रणाली और प्रक्रिया निर्धारित करनी ही चाहिए क्योंकि यह केवल यह निर्धारित करता है कि प्राधिकरण इस तरह की गणना के लिए कार्यप्रणाली और प्रक्रिया निर्धारित कर सकता है। उन्होंने कहा कि अधिनियम, 2017 की धारा 171 का मूल प्रावधान एन.ए.ए. को प्रत्येक मामले के विशिष्ट तथ्यों और उद्योग की प्रकृति के आधार पर मामले के आधार पर कार्यप्रणाली निर्धारित करने के लिए पर्याप्त मार्गदर्शन प्रदान करता है।

48. इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि कोई भी एकसमान गणना विधि निर्धारित नहीं की जा सकती है क्योंकि कीमतों में आनुपातिक कमी की गणना विशुद्ध रूप से एक गणितीय कार्य है और यह एस.के.यू.-दर-एस.के.यू. या इकाई-दर-इकाई या सेवा-दर-सेवा भिन्न-भिन्न होगी और इसलिए लाभ की मात्रा निर्धारित करने के लिए प्रत्येक मामले की प्रकृति और तथ्यों के आधार पर उपयुक्त विधि को अपनाकर मामले-दर-मामले के आधार पर मुनाफाखोरी की

सीमा तय किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि एन.ए.ए. ने केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर के नियम 126 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "राष्ट्रीय मुनाफाखोरी-रोधी प्राधिकरण" को अधिसूचित किया है: कार्यप्रणाली और प्रक्रिया, 2018" दिनांक 28 मार्च, 2018 जिसमें यह निर्धारित करने के लिए कार्यप्रणाली और प्रक्रिया शामिल है कि क्या वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति पर कर की दर में कमी या इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्तकर्ता को कीमतों में आनुपातिक कमी के रूप में दिया गया है।

49. भू-संपदा क्षेत्र के संदर्भ में, उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में जहां 1 जुलाई, 2017 से पहले पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया था और डेवलपर द्वारा सेवा की आपूर्ति 1 जुलाई, 2017 से जारी रही, आपूर्तिकर्ता को वस्तु और सेवा कर व्यवस्था के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ मिला। इस मामले में, कोई कारण नहीं है कि किसी आपूर्तिकर्ता को शेष आपूर्ति के संबंध में वस्तु और सेवा कर व्यवस्था के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ देने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। उनके अनुसार, अधिनियम, 2017 की धारा 171 पठन से ऐसे डेवलपर्स को इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ देना होगा।

50. उन्होंने कहा कि अधिनियम, 2017 की धारा 171 जब 'कोई भी आपूर्ति' शब्द का प्रयोग करती है, तो यह प्रत्येक प्राप्तकर्ता को की गई प्रत्येक कर योग्य आपूर्ति को संदर्भित करती है, जिससे स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि किसी भी आपूर्तिकर्ता को कर में कमी का लाभ उठाने की अनुमति नहीं है।

इसलिए, उनके अनुसार, इस लाभ की गणना प्रत्येक उत्पाद के एस.के.यू. के लिए की जानी चाहिए और ऐसे एस.के.यू. के प्रत्येक खरीदार को दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इन लाभों को इकाई/संगठन/शाखा/बीजक/उत्पाद/व्यवसाय ऊर्ध्वाधर स्तर पर पारित नहीं किया जा सकता है क्योंकि उन्हें प्रत्येक एस.के.यू./इकाई/सेवा स्तर पर प्रत्येक खरीदार को समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, उन्होंने कहा कि आक्षेपित प्रावधानों की भाषा कर दर में कमी और इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभ के हस्तांतरण के लिए किसी अन्य तरीके को अपनाने के लिए लचीलापन प्रदान नहीं करती है। इस प्रकार, उन्होंने कहा कि लाभों को प्रदान करने और मुनाफाखोरी राशि की गणना के लिए कार्यप्रणाली और प्रक्रिया अधिनियम, 2017 की धारा 171 में ही विधिवत निर्धारित की गई है और इसलिए, इसे अलग से निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है।

51. उन्होंने कहा कि कर की दर में कमी के मामले में, लाभ की मात्रा उत्पाद के पूर्व-कटौती के आधार मूल्य पर निर्भर करेगी, जिसे दर में कमी के बाद की अवधि के दौरान बनाए रखने की आवश्यकता होती है, जिस पर कर की कम दर वसूल करने की आवश्यकता होती है, जिसके परिणामस्वरूप कीमत में कमी आएगी। उनके अनुसार, नए एम.आर.पी. को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 16 नवंबर, 2017 को जारी

किए गए पत्र संख्या डब्ल्यू.एम./10(31)/2017 के अनुसार अतिरिक्त स्टिकर या स्टैम्पिंग या ऑनलाइन प्रिंटिंग द्वारा घोषित करना आवश्यक है।

52. याचीगण के इस तर्क पर विचार करते हुए कि एफ.एम.सी.जी. उद्योग में कम कीमत वाले उत्पादों के मामलों में कर की दर में कमी का लाभ देना विधिक रूप से असंभव है, विद्वान अधिवक्ता हुसैन ने कहा कि विधिक माप-पद्धति (डिब्बाबंद वस्तुएं) नियम, 2011 (समय-समय पर संशोधित) के नियम 2(घ) और 6(1)(ड) आपूर्तिकर्ताओं को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं कि उत्पादों के एम.आर.पी. को कैसे पूर्णांकित किया जाना है। उपरोक्त नियमों के प्रासंगिक भाग को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

“1 अप्रैल, 2011 से अधिनियमित विधिक माप-पद्धति (डिब्बाबंद वस्तुएं) नियम, 2011 दिनांक 7 मार्च, 2011:

“2. परिभाषाएँ:-

.....

(ड) “खुदरा विक्रय मूल्य” का अर्थ है अधिकतम मूल्य जिस पर उपभोक्ता को डिब्बाबंद रूप में वस्तु बेची जा सकती है और मूल्य नीचे दिए गए तरीके से पैकेज पर मुद्रित किया जाएगा; 'अधिकतम या अधिकतम खुदरा मूल्य रु..... / सभी करों सहित या एम.आर.पी. रु.../ सभी करों सहित, सभी करों को ध्यान में रखते हुए पचास पैसे से कम को पूर्ववर्ती रुपये में पूर्णांकित करने के पश्चात और 50 पैसे से अधिक और 95 पैसे तक को पचास पैसे में पूर्णांकित करने के पश्चात;

XXX

XXX

XXX

6. प्रत्येक पैकेज पर घोषणाएं की जानी चाहिए-

(1) प्रत्येक पैकेज पर या उस पर सुरक्षित रूप से चिपकाए गए लेबल पर, इस अध्याय के प्रावधानों के अनुसार की गई एक निश्चित, स्पष्ट और विशिष्ट घोषणा होगी, जैसे -

....

(ड) पैकेज का खुदरा विक्रय मूल्य; बशर्ते कि मादक पेय या मादक शराब वाले पैकेजों के लिए, राज्य उत्पाद शुल्क कानून और उसके तहत बनाए गए नियम उस राज्य के भीतर लागू होंगे जहाँ इसका निर्माण किया जाता है और जहाँ राज्य उत्पाद शुल्क कानून और उसके तहत बनाए गए नियम खुदरा विक्रय मूल्य की घोषणा के लिए प्रावधान नहीं करते हैं, इन नियमों के प्रावधान लागू होंगे।”

विधिक माप-पद्धति (डिब्बाबंद वस्तुएं) नियम, 2011, विधिक माप-पद्धति (डिब्बाबंद वस्तुएं) संशोधन नियम, 2017 द्वारा संशोधित, 1 जनवरी, 2018 से प्रभावी:

2. परिभाषाएँ:-

‘(ड) “खुदरा विक्रय मूल्य” का अर्थ है अधिकतम मूल्य जिस पर डिब्बाबंद रूप में वस्तु को सभी करों सहित उपभोक्ता को बेचा जा सकता है;’;

XXX

XXX

XXX

4. उक्त नियमों में, नियम 6 में,-

(घ) खंड (ड) में, "पैकेज का खुदरा विक्रय मूल्य" शब्दों के बाद, निम्नलिखित शब्द और राशि जोड़े जाएंगे, अर्थात्:- "यह स्पष्ट रूप से इंगित करेगा कि यह सभी करों सहित अधिकतम खुदरा मूल्य है और रुपये और पैसे में मूल्य को निकटतम रुपये या 50 पैसे तक पूर्णांकित किया जाएगा;"

53. उन्होंने याचीगण के इस तर्क से सहमति जताई की कि कुछ मामलों में, कर की दर में कमी या निवेश कर क्रेडिट के लाभ की उपलब्धता के बावजूद वाणिज्यिक कारकों के कारण कीमत में वृद्धि की आवश्यकता हो सकती है।

हालांकि, उन्होंने कहा कि याचीगण को मिलने वाले कम कर दर या अतिरिक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभ को हड़पने के लिए कीमतों में वृद्धि नहीं की जानी चाहिए। उनके अनुसार, यदि आपूर्तिकर्ता ऐसी वस्तुओं या सेवाओं के आधार मूल्य में वृद्धि करके वस्तुओं या सेवाओं की कीमतों में आनुपातिक कमी के रूप में इस तरह की कम कर दर या इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ कभी नहीं दिया है, तो वह प्राप्तकर्ताओं को कर दरों में कमी या इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभों से वंचित कर रहा होगा। इसलिए, उन्होंने कहा कि यदि आपूर्तिकर्ता वस्तुओं या सेवाओं के आधार मूल्यों में वृद्धि करते समय कर की दरों में कमी या इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभ के परिणामस्वरूप कीमतों में (आनुपातिक) कमी के लिए जिम्मेदार नहीं है, तो आपूर्तिकर्ता को अधिनियम, 2017 की धारा 171 के तहत मुनाफाखोरी करने वाला कहा जाएगा। हालाँकि, उन्होंने कहा कि एन.ए.ए. के साथ-साथ इस न्यायालय को अन्य वाणिज्यिक कारकों की आड़ में कर की दरों में कमी या इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभों के साथ आधार कीमतों में संदिग्ध वृद्धि को सही ठहराने के लिए संस्थाओं के प्रयासों से सावधान रहना चाहिए। उनके अनुसार, न्यायालयों और कार्यान्वयन प्राधिकारियों को परिवर्जन के लिए बनाए गए युक्तियों के बारे में सतर्क रहना चाहिए और उन प्रावधानों की व्याख्याओं को अपनाने की कोशिश करनी चाहिए जिसके परिणामस्वरूप परिवर्जन की संभावना कम से कम हो। उन्होंने **मैकडॉवेल एंड कंपनी लिमिटेड बनाम सी.टी.ओ., (1985) 3 एस.सी.सी. 230** के मामले में फैसले का उल्लेख किया। जहाँ यह अभिनिर्धारित किया गया है कि “कर से

बचने के लिए युक्ति पर विचार करते समय कर कानून का अर्थ लगाने का उचित तरीका यह पूछना नहीं है कि क्या प्रावधानों का शाब्दिक या उदारता से अर्थ लगाया जाना चाहिए, या क्या लेनदेन अवास्तविक नहीं है और विधि द्वारा निषिद्ध नहीं है, बल्कि यह पूछना है कि क्या लेनदेन कर से बचने का एक युक्ति है, और क्या लेनदेन ऐसा है कि न्यायिक प्रक्रिया इसे अपनी मंजूरी दे सकती है" और यह कि "यह न्यायालय पर निर्भर है कि वह कर से बचने के लिए नए और परिष्कृत विधिक युक्तियों की प्रकृति का निर्धारण करे और इस बात पर विचार करे कि युक्तियों द्वारा बनाई गई स्थिति व्याख्या की "उभरती" तकनीकों की सहायता से मौजूदा कानून से संबंधित हो सकती है या नहीं।" उन्होंने प्रस्तुत किया कि यद्यपि उपरोक्त निष्कर्ष कर परिहार के संदर्भ में दिए गए थे, वे किसी भी लाभकारी कानून के संदर्भ में समान बल के साथ लागू होंगे।

54. अधिवक्ता श्री जोहेब हुसैन ने आगे कहा कि याचीगण द्वारा अन्य कानूनों और कुछ विदेशी कानूनों के तहत दिशानिर्देशों के लिए दिया गया संदर्भ, अधिनियम, 2017 की धारा 171 की संवैधानिक वैधता के मुद्दे के लिए अप्रासंगिक है क्योंकि वैधता को इसके गुणागुण के आधार पर निर्धारित किया जाना है।

55. उन्होंने आगे कहा कि याचीगण की अपनी प्रस्तुतियों के अनुसार ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया में पेश किए गए मुनाफाखोरी-रोधी प्रावधान अनिवार्य

रूप से मूल्य नियंत्रण तंत्र थे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में अधिनियमित कानून का उद्देश्य 'मूल्य शोषण' को प्रतिबंधित करना था और मलेशिया में अधिनियमित अधिनियम का उद्देश्य निर्माताओं को 'अनुचित रूप से उच्च लाभ कमाने' से रोकना था।

56. उन्होंने कहा कि अधिनियम, 2017 की धारा 171 मूल्य निर्धारण का प्रावधान नहीं है जैसा कि याचीगण द्वारा दावा किया गया था। उन्होंने कहा कि अधिनियम, 2017 की धारा 171 केवल वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के अप्रत्यक्ष-कर घटक से संबंधित है और प्रासंगिक वाणिज्यिक और आर्थिक कारकों को ध्यान में रखते हुए आपूर्तिकर्ताओं की अपनी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें तय करने की स्वतंत्रता में बाधा नहीं डालती है। उन्होंने कहा कि तत्व और सार में आक्षेपित धारा वस्तु और सेवा कर से संबंधित एक प्रावधान है और इसके अधिनियमन के द्वारा संसद ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि व्यवसाय कर दर में कमी और इनपुट टैक्स क्रेडिट की उपलब्धता के संदर्भ में सरकार द्वारा दिए गए लाभों को उपभोक्ताओं को दें और उस कीमत को तय करके व्यापार के अधिकार में हस्तक्षेप न करें जिस पर वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि वस्तु या सेवाओं की कीमत के बावजूद आक्षेपित प्रावधान लागू होता है। उन्होंने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता है कि एक कानून जो वस्तुओं और सेवाओं पर लागू दर से अधिक दर पर वस्तु और सेवा कर की वसूली पर रोक लगाता है और जो

आपूर्तिकर्ताओं को उन प्राप्तकर्ताओं से इनपुट करों की वसूली करने से रोकता है जहां ऐसे इनपुट करों पर क्रेडिट प्राप्त किया जाता है, वह मूल्य नियंत्रण या मूल्य निर्धारण के बराबर है।

57. उन्होंने आगे कहा कि भले ही अधिनियम, 2017 की धारा 171 को मूल्य निर्धारण कानून माना जाता है, लेकिन यह धारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(छ) का उल्लंघन नहीं करेगा। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उच्चतम न्यायालय ने कई मामलों में जैसे कि *दीवान जनरल और शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ, ए.आई.आर. (1959) एस.सी. 626; भारत संघ बनाम साइनामाइड इंडिया लिमिटेड, (1987) 2 एस.सी.सी. 720* जहां मूल्य निर्धारण आदेशों को चुनौती दी गई थी, ने इस बात की जांच करके इस तरह के आदेशों को बरकरार रखा था कि क्या आदेश प्रासंगिक कारकों/विचारों को ध्यान में रखते हैं।

58. उन्होंने कहा कि ऐसा कोई विधिक सिद्धांत नहीं है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता यह तर्क दे सकें कि कम कीमतों को बनाए रखने के लिए समय अवधि की अनुपस्थिति मात्र से प्रावधान असंवैधानिक हो जाएगा।

59. उन्होंने प्रस्तुत किया कि हाल ही में, *मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ और अन्य, (2021) एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 463* मामले में उच्चतम न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने अधिकरण सुधार (युक्तिकरण और सेवा की शर्तें) अध्यादेश, 2021 और वित्त अधिनियम, 2017

की धारा 184 और 186(2) को अधिकरण सुधार (युक्तिकरण और सेवा की शर्तों) अध्यादेश, 2021 द्वारा संशोधित करने की चुनौती पर विचार करते हुए कहा कि "विधिक प्रावधान के दुरुपयोग की आशंका किसी विधि के प्रावधानों को अमान्य घोषित करने का आधार नहीं है।"

60. अधिवक्ता श्री जोहेब हुसैन ने प्रस्तुत किया कि किसी अपील को पोषणीय होने के लिए, इसकी उत्पत्ति विधि के प्राधिकार में होनी चाहिए [देखें: **एम. रामनारायण (पी) लिमिटेड बनाम भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड** [(1983) 3 एस.सी.सी. 75 और **गुजरात एगो इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड बनाम अहमदाबाद शहर नगर निगम** (1999) 4 एस.सी.सी. 468]। उन्होंने प्रस्तुत किया कि "अपील करना एक कानूनी अधिकार है और किसी भी पक्षकार को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही अपील दायर करने का अधिकार है" का सिद्धांत सुस्थापित है जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने **सी.सी.आई. बनाम एस.ए.आई.एल., (2010) 10 एस.सी.सी. 744** में अभिनिर्धारित किया था। उनके अनुसार, अपील करने का अधिकार एक ऐसा अधिकार नहीं है जिसे तार्किक विश्लेषण द्वारा ग्रहण किया जा सके, न कि अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र के प्रयोग द्वारा। यह अनिवार्य रूप से प्रवृत्त विधि द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए। किसी पक्षकार को अपील दायर करने का अधिकार प्रदान करने वाले किसी विशिष्ट प्रावधान के अभाव में, ऐसे अधिकार को न तो पक्षकार के पक्ष में माना जा सकता है और न ही उसका अनुमान लगाया जा सकता है।

61. उन्होंने कहा कि अधिनियम, 2017 की धारा 171(2) एन.ए.ए. की भूमिका को निर्धारित करती है जो यह जांचने के लिए है कि क्या किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया गया है और/या कर दरों में कमी के परिणामस्वरूप वास्तव में उसके द्वारा आपूर्ति की गई वस्तुओं या सेवाओं की कीमत में आनुपातिक कमी आई है और एन.ए.ए. के कर्तव्यों को नियमावली, 2017 के नियम 127 में और विस्तार से बताया गया है। उन्होंने आगे कहा कि उपरोक्त प्रावधान के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि एन.ए.ए. के कार्य तथ्य-खोज प्रकृति का है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि भले ही यह माना जाता है कि प्राधिकरण एक ऐसा कार्य करता है जो अधिनियम के तहत पंजीकृत व्यक्तियों के अधिकारों और देनदारियों को निर्धारित करता है, याचीगण का यह तर्क कि एन.ए.ए. में न्यायिक सदस्य की अनुपस्थिति प्राधिकरण को असंवैधानिक बनाती है, मान्य नहीं है क्योंकि ऐसा कोई सार्वभौमिक सिद्धांत नहीं है कि प्रत्येक स्तर पर प्रत्येक न्यायिककल्प प्राधिकरण में न्यायिक सदस्य होना चाहिए। उनके अनुसार, इस तरह की आवश्यकता न केवल पूरी तरह से अव्यावहारिक होगी बल्कि विधिक रूप से भी संदिग्ध होगी। उन्होंने कहा कि याचीगण द्वारा जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया है, वे एकसमान सिद्धांत का पालन करते हैं कि जब भी किसी न्यायिक अधिकरण का आशय न्यायिक शक्ति के संबंध में उच्च न्यायालय को प्रतिस्थापित करना या उसका स्थान लेना है, जो अब तक न्यायालयों में निहित थी या उनके द्वारा प्रयोग की जाती थी, तो ऐसे अधिकरणों में तकनीकी

सदस्यों के अलावा न्यायिक सदस्य भी होने चाहिए, जिनके पास किसी दिए गए क्षेत्र में विशेष ज्ञान या विशेषज्ञता हो। अपनी दलीलों के समर्थन में, उन्होंने **भारत संघ बनाम आर. गांधी, (2010) 11 एस.सी.सी. 1, रोजर मैथ्यूज बनाम साउथ इंडियन बैंक, (2019) एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 1456**, में उच्चतम न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया। उन्होंने कहा: (क) एन.ए.ए. ने ऐसे किसी भी ऐसे कार्य को प्रतिस्थापित नहीं किया जिसका प्रयोग न्यायालय अब तक कर रहे थे; (ख) यह न्यायिककल्प का कार्य करता है लेकिन इसे न्यायिक अधिकरण के बराबर नहीं माना जा सकता है; (ग) यह अधिनियम के अनुसार निष्पक्ष और उचित तरीके से अपना कार्य करता है लेकिन यह न्यायालय का प्रतीकात्मक नहीं हैं और (घ) न्यायिक सदस्य की अनुपस्थिति में एन.ए.ए. के गठन को असंवैधानिक या विधिक रूप से अमान्य नहीं बनाती है।

62. उन्होंने आगे कहा कि कई कानूनी निकाय हैं जो न्यायिककल्प कार्यों को करते हैं, लेकिन उन्हें न्यायिक सदस्यों की आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरण के लिए, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 4 (1), जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ('सेबी') की संरचना का प्रावधान करती है, आवश्यक रूप से सेबी में न्यायिक सदस्यों की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होती है। उन्होंने बताया कि इस तथ्य को कि सेबी अन्य बातों के साथ-साथ न्यायिक कार्य करता है, **क्लैरियंट इंटरनेशनल लिमिटेड और अन्य बनाम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (2004) 8 एस.सी.सी. 524**, के

मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा मान्यता दी गई है। इसी तरह, उन्होंने कहा कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, भारतीय चिकित्सा परिषद, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान और आयकर अधिनियम के तहत निर्धारण अधिकारी, सी.आई.टी. (अपील), विवाद समाधान पैनल न्यायिककल्प कार्य करते हैं, लेकिन इस बात की कोई आवश्यकता नहीं है कि ऐसे सदस्यों के पास कानून की डिग्री होनी चाहिए या उनके पास न्यायिक अनुभव होना चाहिए।

63. उन्होंने प्रस्तुत किया कि अध्यक्ष के हाथों में निर्णायक मत देना बराबर मतों के मामले में निर्णय लेने का एक निष्पक्ष और उचित तरीका है और आमतौर पर कई कानूनों में इसका प्रावधान है।

64. उन्होंने कहा कि एन.ए.ए. का गठन नियमावली, 2017 के नियम 122 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है। नियम 122 सहित नियम, 2017 को वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा अधिसूचना संख्या 3/2017, 19 जून, 2017 के द्वारा विधिवत अधिसूचित किया गया है और उसी तारीख को जी.एस.आर. संख्या 610(ड) के द्वारा भारत के राजपत्र में- असाधारण रूप से प्रकाशित किया गया है और इसलिए अधिनियम, 2017 की धारा 171(2) के तहत आवश्यक अधिसूचना द्वारा एन.ए.ए. का विधिवत गठन किया गया है। दिनांक 19 जून, 2017 की उपरोक्त अधिसूचना को अधिनियम की धारा 166 के अनुसार 11 अगस्त,

2017 को लोकसभा के समक्ष और 08 अगस्त, 2017 को राज्य सभा के समक्ष रखी गई थी।

65. उन्होंने प्रस्तुत किया कि इस आशय के एक स्पष्ट प्रावधान की अनुपस्थिति में कि यदि समय-सीमा का सख्ती से पालन नहीं किया जाता है तो मुनाफाखोरी-रोधी कार्यवाही समाप्त हो जाएगी और यदि समय-सीमा को अनिवार्य माना जाता है, तो इसके परिणामस्वरूप उन उपभोक्ताओं के साथ घोर अन्याय होगा जिनकी कोई गलती न होने के कारण वे बिना उपचार के रह जाएँगे।

66. इसके अलावा, संशोधन या संशोधित प्रावधान में किसी भी विपरीत बात के नहीं होने पर, प्रावधान को पढ़ने पर, आदेश पारित करने के लिए संशोधित/विस्तारित समय-अवधि एन.ए.ए. के समक्ष सभी लंबित और भविष्य की कार्यवाही पर लागू होगी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि मुनाफाखोरी-रोधी प्रावधानों में प्रदान की गई समय-सीमा केवल प्रकृति में निर्देशिका है और अनिवार्य नहीं है।

67. अधिवक्ता श्री जोहेब हुसैन ने कहा कि अधिनियम, 2017 की धारा 171 व्यापक रूप से लिखी गई है और जाँच का दायरा केवल उन वस्तुओं और सेवाओं तक सीमित नहीं है जिसके संबंध में अधिकारियों को शिकायत प्राप्त होती है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि नियमावली, 2017 का नियम 129, जो डी.जी.ए.पी. की शक्तियों के दायरे का प्रावधान करता है, में 'वस्तुओं या सेवाओं

की किसी भी आपूर्ति' शब्दों का प्रयोग करती हैं और इसलिए डी.जी.ए.पी. की शक्तियों का दायरा बहुत व्यापक है।

68. उन्होंने कहा कि याचीगण का यह तर्क कि अधिनियम, 2017 की धारा 171 के तहत कथित मुनाफाखोरी की राशि की वसूली के लिए कोई तंत्र नहीं है, अधिनियम, 2017 की धारा 171(3) के तहत निर्धारित नियमावली, 2017 के नियम 133(3)(ख) की अनदेखी करता है, जो एन.ए.ए. को आपूर्तिकर्ता को प्राप्तकर्ता को वापस करने का आदेश देने का अधिकार देता है, जो उस राशि के बराबर है जो कीमतों में आनुपातिक कमी के रूप में नहीं दी गई राशि के बराबर राशि, उच्च राशि के संग्रह करने की तारीख से अठारह प्रतिशत [18%] की दर से ब्याज के साथ, ऐसी राशि की वापसी की तारीख तक या ब्याज सहित वापस नहीं की गई राशि की वसूली, जैसा भी मामला हो।

69. विद्वान अधिवक्ता श्री जोहेब हुसैन ने प्रस्तुत किया कि **इंडियन कार्बन लिमिटेड बनाम असम राज्य (1997) 6 एस.सी.सी. 479** और **श्री भगवती स्टील रोलिंग मिल्स बनाम सी.सी.ई. (2016) 3 एस.सी.सी. 643** आदि में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर याचीगण द्वारा इस प्रश्न पर विचार करने के संदर्भ में भरोसा किया गया था कि क्या कर के विलंबित भुगतान के लिए ब्याज लगाया जा सकता है और क्या किसी नियम के तहत जहां कानून अधिकृत नहीं करता है कर का भुगतान न करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है।

70. उन्होंने प्रस्तुत किया कि नियमावली, 2017 के नियम 133(3)(घ) के आधार पर, एन.ए.ए. को धारा 171(3क) के लागू होने से पहले ही जुर्माना लगाने की शक्तियां प्राप्त थीं। उनके अनुसार, अधिनियम, 2017 की धारा 171(3क) केवल स्पष्टीकरणात्मक प्रकृति की है। उन्होंने आगे कहा कि जुर्माना लगाने की शक्ति की अनुपस्थिति में, आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अधिनियम, 2017 की धारा 171(1) के उल्लंघन से कोई परिणाम नहीं निकलेगा और इसके परिणामस्वरूप, गैर-अनुपालन के खिलाफ कोई प्रतिरोध नहीं होगा।

71. अन्यथा भी, उन्होंने कहा कि अधिनियम, 2017 की धारा 171(3क) के लागू होने से पहले धारा 171(1) के उल्लंघन के संबंध में दंड की कार्यवाही शुरू करने के कारण बताओ नोटिस एन.ए.ए. द्वारा वापस ले लिए गए हैं और ऐसे सभी मामलों में दंड की कार्यवाही पर जोर नहीं दिया जा रहा है और इसलिए यह मुद्दा निष्फल हो गया है। जहां तक ब्याज लगाने के संबंध में आपत्ति का सवाल है, उन्होंने प्रस्तुत किया कि अधिनियम, 2017 की धारा 171 में प्रदान किए गए मुनाफाखोरी-रोधी उपायों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट या कर दर में कमी के परिणामस्वरूप उसके द्वारा आपूर्ति की गई वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की कीमत में आनुपातिक कमी हो और इसके परिणामस्वरूप, इसका लाभ प्राप्तकर्ताओं को दिया जाए। उन्होंने कहा कि मुनाफाखोरी की गई राशि में करों या निवेश कर क्रेडिट में कमी का लाभ शामिल है, जिसे कीमतों में कमी के

साथ-साथ उस पर कर के रूप में पारित करने की आवश्यकता थी, जिसे उपभोक्ता अधिनियम, 2017 की धारा 171(1) के तहत आवश्यक कीमतों में कमी न करने के परिणामस्वरूप भुगतान करने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यदि आपूर्तिकर्ता कर दरों में कमी या इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ कीमतों में कमी के रूप में देता है, तो उपभोक्ता को अतिरिक्त वस्तु और सेवा कर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती।

72. श्री जोहेब हुसैन ने प्रस्तुत किया कि इस तथ्य पर पूर्वाग्रह के बिना कि एन.ए.ए. का प्रत्येक अधिनियम तर्कपूर्ण और न्यायसंगत है और जब भी मामले के आधार पर इस पर विचार किया जाएगा, तो इस न्यायालय की संतुष्टि के लिए इसका बचाव किया जा सकता है, तो याचीगण के मामले-विशिष्ट प्रस्तुतियों का अधिनियम, 2017 की धारा 171 के संवैधानिक अधिकार और नियम, 2017 के अध्याय XV में निहित नियमों पर विचार करते समय कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

विद्वान न्याय-मित्र की ओर से तर्क

73. विद्वान न्याय-मित्र श्री अमर दवे ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर लागू करने का मुख्य उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ एक कुशल और मजबूत अप्रत्यक्ष कर प्रणाली सुनिश्चित करना था।

74. उन्होंने तर्क दिया कि वस्तु और सेवा कर व्यवस्था की शुरुआत से पहले की रिपोर्टों और चर्चाओं के अवलोकन से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों पर प्रभाव को वस्तु और सेवा कर व्यवस्था में बदलाव के एक आवश्यक परिणाम के रूप में देखा गया था।

75. उन्होंने बताया कि जून, 2010 की भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ('सी.ए.जी.') की रिपोर्ट में भारत में मूल्य वर्धित कर ('वी.ए.टी.') को लागू करने के तरीके पर प्रकाश डाला गया था और तदनुसार वस्तु और सेवा कर में परिवर्तन के विषय पर प्रकाश डाला गया था। उक्त रिपोर्ट में शामिल तत्वों में से एक वस्तु की कीमतों पर वी.ए.टी. का प्रभाव था। रिपोर्ट में पाया गया कि वी.ए.टी. की शुरुआत के समय श्वेत पत्र में कहा गया था कि वी.ए.टी. के कार्यान्वयन से कर दरों को तर्कसंगत बनाने और पुरानी प्रणालियों में कर के व्यापक प्रभाव को उन्मूलन करने के कारण वस्तुओं की कीमतों में कमी आएगी। हालांकि, एक छोटे से डेटा सर्वेक्षण की जांच और विश्लेषण करने पर, सी.ए.जी. ने पाया कि निर्माताओं ने वी.ए.टी. लागू होने के बाद भी अधिकतम खुदरा कीमतों में कमी नहीं की, जबकि कर दरों में पर्याप्त कमी की गई थी। इसलिए, यह पाया गया कि वी.ए.टी. की शुरुआत और कर दरों में कमी के बावजूद, इस तरह की कमी से होने वाले लाभ निर्माताओं द्वारा उपभोक्ताओं को नहीं दिए गए और वी.ए.टी. श्रृंखला में डीलर नेटवर्क ने आम आदमी की कीमत पर खुद को समृद्ध किया। रिपोर्ट में इन पहलुओं पर प्रकाश डाला गया

है, जिसे वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था में बदलाव पर विचार करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए और कर युक्तिकरण के लाभ को अंतिम आम आदमी तक पहुंचाने के प्रयोजनों के लिए तंत्र सुनिश्चित करना चाहिए।

76. उन्होंने कहा कि इसी तरह, वस्तु और सेवा कर पर कार्यदल की एक और रिपोर्ट यानी 15 दिसंबर, 2009 की 13वीं वित्त आयोग की रिपोर्ट में विचार किए गए वस्तु और सेवा कर पारिस्थितिकी तंत्र के सूक्ष्म पहलुओं और इस तरह के बदलाव के विभिन्न तत्वों पर व्यापक रूप से चर्चा की गई है। अपनी शुरुआत में, रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ विचार किया गया कि केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर प्रचलित अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में उच्च आयात शुल्क, उत्पाद शुल्क और घरेलू वस्तुओं और सेवाओं पर पण्यवर्त कर शामिल हैं, जिसके व्यापक प्रभाव हैं, जिससे उत्पादन, उपभोग और निर्यात की संरचना विकृत हो जाती है और इस समस्या का प्रभावी ढंग से समाधान कर के बोझ को उत्पादन और व्यापार से अंतिम उपभोग पर स्थानांतरित करके किया जा सकता है। रिपोर्ट में वस्तु और सेवा कर में बदलाव के प्रभावों और इस तरह के बदलाव से होने वाले लाभों पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने बताया कि उक्त रिपोर्ट के पैरा 7.22 में विशेष रूप से दर्ज किया गया है कि वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन से गरीबों को दो स्रोतों से लाभ होगा, पहला आय स्तर में वृद्धि और दूसरा उनके द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की कीमतों में कमी। यह विशेष रूप से देखा गया कि त्रुटिहीन वस्तु और सेवा कर प्रणाली में

प्रस्तावित बदलाव को एक गरीब समर्थक प्रणाली के रूप में देखा जाना चाहिए न कि प्रतिगामी के रूप में। रिपोर्ट में आगे वस्तुओं की कीमतों सहित विशेष रूप से विभिन्न उत्पादों और क्षेत्रों में वस्तु और सेवा कर में प्रस्तावित बदलाव के प्रभावों का उल्लेख किया गया है।

77. उन्होंने आगे कहा कि प्रवर समिति की रिपोर्ट (22 जुलाई, 2015 को राज्य सभा में प्रस्तुत) में वस्तु एवं सेवा कर में परिवर्तन के मुद्दों पर चर्चा की गई थी तथा इसमें अन्य बातों के साथ-साथ उपभोक्ता लाभ के मुद्दों पर भी विचार किया गया है जो परिवर्तन और संबंधित पहलुओं के कारण उत्पन्न होंगे।

78. विद्वान न्यायमित्र ने तर्क दिया कि अधिनियम, 2017 की धारा 171 के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा में वस्तु एवं सेवा कर विधेयक पेश किए जाने के समय हुई चर्चाओं में इस बात में कोई संदेह नहीं छोड़ा कि उक्त उपाय को उपभोक्ता लाभ उपाय के रूप में पेश किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विधिक तंत्र की कमी के कारण कर में कटौती के लाभ को बनाए रखने वाले हितधारकों के पिछले अनुभवों को वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था में बदलाव के समय दोहराया न जाए।

79. उन्होंने प्रस्तुत किया कि अधिनियम, 2017 की धारा 171 एक स्वतंत्र प्रावधान है और इसमें उन सभी मापदंडों के लिए प्रावधान है जो उक्त प्रावधान को लागू करते समय दिशा-निर्देशन साधन के रूप में कार्य करते हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि प्रावधान को लागू करने के लिए पूर्व-आवश्यकताएं उसमें

विशेष रूप से प्रदान की गई हैं और धारा के परिणाम के लिए भी विशेष रूप से प्रावधान किया गया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि प्रावधान के तहत प्रदान किए गए सुविचारित लाभ का लाभार्थी स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट है, और इसलिए, इसकी प्रयोज्यता और व्यवहार्यता के सभी महत्वपूर्ण पहलू इसी धारा में ही अंतर्निहित हैं।

80. विद्वान न्यायमित्र ने कहा अधिनियम, 2017 की धारा 171 अपनी प्रकृति से ही, एक अंतर्निहित धारणा प्रदान करती है कि वस्तु और सेवा कर तंत्र के तहत कर दर में कमी या इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभ के लिए विशेष रूप से, इसके परिणामस्वरूप, कीमत में आनुपातिक कमी की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि यह तर्क कि अधिनियम, 2017 की धारा 171 मूल्य विनियमन के बराबर है, सही नहीं है क्योंकि प्रावधान को विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए जोड़ा गया है कि कर दर का परिणामी प्रभाव उपभोक्ता के लाभ के लिए सुनिश्चित होना चाहिए। इसका मूल आधार इस अवधारणा पर आधारित है कि जब वस्तु और सेवा कर व्यवस्था के तहत कर की दर में कमी की जाती है, तो यह स्पष्ट रूप से मूल्य में कमी में परिवर्तित होना चाहिए। उन्होंने प्रस्तुत किया कि यदि अन्य कारकों में कोई भिन्नता है (जिसे आपूर्तिकर्ता द्वारा उचित ठहराया जा सकता है) जैसे कि किसी भी लागत के कारण कीमत में ऐसी कमी को समायोजित करना आवश्यक है, तो अंतर्निहित धारणा एक खंडनीय धारणा है।

81. उन्होंने प्रस्तुत किया कि अधिनियम, 2017 की धारा 171 की अवधारणा उपभोक्ता कल्याण और समानता पर आधारित है। उन्होंने तर्क दिया कि यह संवैधानिक प्रावधानों की भावना भी है कि किसी भी संस्था को विधि के प्राधिकार के अलावा कोई भी कर (किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से या उस प्रभाव के लिए किसी भी निहित प्रतिनिधित्व द्वारा) संग्रह करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसलिए, जब लागू कर दर में कमी के बावजूद, वास्तविक मूल्य में परिणामी कमी नहीं होती है और राशि आपूर्तिकर्ता द्वारा रखा जाता है, तो यह प्राप्तकर्ता की कीमत पर अन्यायपूर्ण संवर्धन के रूप में योग्य होगा जो कर दर में कमी का अन्यथा लाभार्थी है।

82. उन्होंने कहा कि 'दिवाली धमाका' या प्रति-सहायकीकरण जैसे लाभ को प्रदान करने का कोई भी अप्रत्यक्ष तरीका प्राप्तकर्ता के प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त करने के अधिकार में हस्तक्षेप करेगा। उनके अनुसार, लाभ प्रदान करने के लिए इस तरह के अप्रत्यक्ष तरीके पर स्पष्ट प्रावधानों के तहत विचार नहीं किया गया है और यह प्राप्तकर्ता के कर दर में परिवर्तन का वास्तविक लाभ प्राप्त करने के अधिकार के साथ भी मेल नहीं खाता है। उन्होंने कहा कि लाभ देने का ऐसा कोई अप्रत्यक्ष तरीका का प्रावधान नहीं किया जा सकता है जब इसके लिए जानबूझकर प्रावधान नहीं किया गया है जिससे प्राप्तकर्ता/उपभोक्ता के मूल्य में समान कमी करके लाभ प्राप्त करने के अधिकार को स्थापित/मजबूत किया जा सके।

83. विद्वान न्यायमित्र ने प्रस्तुत किया कि अधिनियम, 2017 की स्कीम के तहत, यह विचार किया गया है कि वस्तु और सेवा कर परिषद (भारत के संविधान के अनुच्छेद 279क के प्रावधानों के तहत गठित एक संवैधानिक निकाय) की सिफारिशों पर केंद्र सरकार एक प्राधिकरण का गठन कर सकती है या किसी भी विधि के तहत गठित एक मौजूदा प्राधिकरण को यह जांचने के उद्देश्य से सशक्त बना सकती है कि क्या वास्तव में अधिनियम, 2017 की धारा 171 के तहत प्राप्तकर्ताओं को लाभ दिया गया है या नहीं। उन्होंने बताया कि नियमों का अध्याय XV मुनाफाखोरी-रोधी विषय से संबंधित है और अन्य बातों के साथ-साथ तथ्य-खोज जांच की विभिन्न परतें प्रदान करता है जिसे अधिनियम, 2017 की धारा 171 के तहत विचारित लाभ के वास्तविक हस्तांतरित कर देने के संबंध में किया जाना है। उनके अनुसार, उक्त नियमों से यह स्पष्ट है कि यह विभिन्न स्तरों पर स्थायी समिति और जांच समिति के गठन पर विचार करता है। इसके अलावा, नियमों की स्कीम के तहत, यह प्रावधान किया गया है कि स्थायी समिति उसमें निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद एक निर्धारित समय-सीमा के भीतर यह निर्धारित करेगी कि क्या आवेदक के इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई प्रथम दृष्टया सबूत है कि कर की दर में कमी या इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ या इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ वास्तव में प्राप्तकर्ता को नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि इसलिए नियमों के स्कीम में विचार किया गया है कि हितबद्ध पक्षकारगण के ऐसे आवेदनों की पहले राज्य स्तरीय जांच समिति द्वारा जांच की जाएगी यदि वे

स्थानीय प्रकृति के मुद्दों से संबंधित हैं और बाद में कार्रवाई के लिए स्थायी समिति को भेजे जाएंगे। इसके अलावा, जब स्थायी समिति प्रथम दृष्टया किसी निष्कर्ष पर पहुंचती है, तो वह मामले को विस्तृत जांच के लिए डी.जी.ए.पी. को भेजेगी। नियमावली, 2017 के नियम 129 में एक व्यापक तंत्र का प्रावधान है जिसका पालन डी.जी.ए.पी. को एक बार मामला उसके पास भेजे जाने के बाद करना आवश्यक है। एक बार डी.जी.ए.पी. की रिपोर्ट प्राधिकरण को भेजे जाने के बाद, नियम उस तंत्र का प्रावधान करते हैं जिसमें प्राधिकरण को आगे के विचार करने और अपने अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने का कार्य करना होता है। इस प्रकार, उनके अनुसार, नियमावली, 2017 के तहत उक्त योजना का अवलोकन स्पष्ट रूप से विभिन्न स्तरों पर एक तथ्य-खोज तंत्र स्थापित करता है जो प्राधिकरण द्वारा मामले के अंतिम निर्धारण में परिणत होता है।

84. उन्होंने प्रस्तुत किया कि अभ्यास की विशुद्ध रूप से तथ्य-आधारित प्रकृति और नियमों के अंतर्गत ऐसे निष्कर्षों की प्राप्ति के लिए विचार किए गए विभिन्न स्तरों को देखते हुए यह तर्क कि वस्तु और सेवा कर की संरचना में मुनाफाखोरी रोधी उपायों की योजना के तहत उचित निवारण उपायों की कमी है, इसे स्पष्ट रूप से नकार दिया गया है।

85. विद्वान न्यायमित्र ने प्रस्तुत किया कि प्राधिकरण को किसी भी अनावश्यक शक्तियों के प्रदान किए जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है, जिसे उक्त प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व सौंपा गया है क्योंकि मूल

प्रावधान से ही पर्याप्त मार्गदर्शन प्राप्त होता है। उन्होंने तर्क दिया कि किसी विषय-वस्तु पर विचार करते समय सभी कारकों पर विचार किया जाना चाहिए, जैसे कि किए जाने वाले अभ्यास की प्रकृति; उक्त अभ्यास द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य; सभी महत्वपूर्ण तत्वों का समावेश जो स्वयं अनुभाग में किसी भी ऐसे अभ्यास का मार्गदर्शन करेंगे; कार्य करने के लिए विचारित और नियुक्त प्राधिकरण की प्रकृति; वस्तु एवं सेवा कर परिषद द्वारा इसकी निगरानी की अवधि आदि।

न्यायालय का तर्क

किसी भी निर्माण की संवैधानिकता को समायोजित करने के लिए सिद्धांत

86. इस न्यायालय का विचार है कि किसी अधिनियम की संवैधानिकता पर निर्णय लेने के लिए सिद्धांत अच्छी तरह से तय किए गए हैं। हालाँकि उन्हें कई निर्णयों में संक्षिप्त रूप से निर्धारित किया गया है, फिर भी यह न्यायालय उन्हें दोहराना उचित समझता है।

87. किसी अधिनियम को केवल तभी असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है जब याचिकाकर्ता यह मामला बनाते हैं कि विधानमंडल के पास ऐसा अधिनियम पारित करने की विधायी क्षमता नहीं थी या अधिनियम के प्रावधान मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। भारत के संविधान के भाग-III के तहत गारंटी दी गई है या कि संबंधित विधायिका ने अपने आवश्यक विधायी कार्य का त्याग कर दिया है जो विवादित प्रावधान किसी भी तरह से मनमाना, अनुचित या

अस्पष्ट है। डी. डी. बसु ने भारत के संक्षिप्त संविधान (16वीं संस्करण, 2021) में उन आधारों की गणना की है जिनके आधार पर किसी कानून को असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है:-

- (i) संविधान के भाग III में निर्दिष्ट किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन।
- (ii) किसी ऐसे विषय पर विधान बनाना जो सातवीं अनुसूची द्वारा बनाई गई शक्तियों के वितरण द्वारा संबंधित विधायिका को सौंपा नहीं गया है, जिसे संबंधित अनुच्छेदों के साथ पढ़ा जाए।
- (iii) संविधान के किसी भी अनिवार्य प्रावधान का उल्लंघन जो विधायिका की शक्तियों पर सीमाएं लगाता है जैसे कि अनुच्छेद 301।
- (iv) राज्य कानून के मामले में, यह अमान्य होगा क्योंकि यह राज्य की सीमाओं से परे काम करना चाहता है।
- (v) कि संबंधित विधायिका ने संविधान द्वारा उसे सौंपे गए अपने आवश्यक विधायी कार्य का त्याग कर दिया है या उस शक्ति का अत्यधिक हस्तांतरण किसी अन्य निकाय को कर दिया है।

88. यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि किसी अधिनियम की संवैधानिकता के पक्ष में हमेशा एक धारणा होती है और यह दिखाने का बोझ उस व्यक्ति पर है जो इस तरह के अधिनियम पर हमला करता है कि संवैधानिक सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है। जब भी किसी प्रावधान की संवैधानिकता को इस आधार पर चुनौती दी जाती है कि यह किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, तो कानून के प्रत्यक्ष और अपरिहार्य प्रभाव/परिणाम को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने *नमित*

शर्मा बनाम भारत संघ, (2013) 1 एस. सी. सी. 745 मामले में निम्नलिखित

निर्णय दिया है:-

“20. हिंसा विरोधक संघ बनाम मिर्जापुर मोती कुरेश जमात [(2008) 5 एस. सी. सी. 33] में बूचड़खानों को बंद करने के मामले पर विचार करते हुए, न्यायालय ने आंध्रप्रदेश सरकार बनाम पी. लक्ष्मी देवी [(2008) 4 एस. सी. सी. 720] के अपने पहले के फैसले में इस तरह के अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के लिए एक नियम पेश किया जिसमें कहा गया था कि न्यायालय को अधिनियम या यहां तक कि एक प्रत्यायोजित कानून की संवैधानिक वैधता का न्याय करते समय न्यायिक संयम का प्रयोग करना चाहिए और यह केवल तभी होता है जब किसी कानून का स्पष्ट उल्लंघन होता है। संवैधानिक प्रावधान उचित संदेह से परे है कि अदालत को इस प्रावधान को असंवैधानिक घोषित करना चाहिए।....”

(जोर दिया गया)

कर या आर्थिक कानूनों के साथ व्यवहार करते हुए न्यायालय का दृष्टिकोण

89. इसके अलावा, न्यायालयों ने लगातार माना है कि आर्थिक गतिविधियों से संबंधित कानूनों को नागरिक अधिकारों को छूने वाले कानूनों की तुलना में अधिक स्वतंत्रता के साथ देखा जाना चाहिए और विधानमंडल को कुछ हद तक इसमें शामिल होने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि उसे जटिल समस्याओं से निपटना होता है। उच्चतम न्यायालय ने **भारत संघ बनाम वीकेसी फुटस्टेप्स इंडिया (पी) लिमिटेड, 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 706** में अपने हालिया फैसले में उस दृष्टिकोण को दोहराया है जिसे कर या आर्थिक विनियमन से

निपटने के दौरान न्यायालयों को अपनाना होगा। उक्त निर्णय का प्रासंगिक हिस्सा नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

“135. जबकि हम सूत्र की विसंगतियों के प्रति सजग हैं, एक विसंगति के परिणाम द्वारा एक राजकोषीय नियम को अमान्य नहीं किया जा सकता है जिसे प्रत्यायोजित विधान की शक्ति का प्रयोग करते हुए बनाया गया है। आर. के. गैरी [आर. के. गर्ग बनाम भारत संघ, (1981) 4 एस. सी. सी. 675:1982 एस. सी. सी. (कर) 30], न्या.पी. एन. भगवती (तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के रूप में) ने संविधान पीठ की ओर से बोलते हुए नागरिक अधिकारों को छूने वाले कानूनों की तुलना में आर्थिक गतिविधियों से संबंधित कानूनों को अधिक झुकाव के साथ देखने के लिए उस तर्क के महत्व को रेखांकित किया। न्यायालय ने कहा:(एस. सी. पी.पी. 690-91, पैरा 8)

“8. समान रूप से महत्वपूर्ण एक अन्य नियम यह है कि आर्थिक गतिविधियों से संबंधित कानूनों को नागरिक अधिकारों जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म आदि से संबंधित कानूनों की तुलना में अधिक स्वतंत्रता के साथ देखा जाना चाहिए। होम्स, जे. के अलावा किसी व्यक्ति ने यह नहीं कहा है कि विधायिका को कुछ हद तक काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि उसे जटिल समस्याओं से निपटना होता है, जिनका समाधान किसी सिद्धांत या कठोर फार्मूले से संभव नहीं है और यह आर्थिक मामलों से संबंधित कानून के मामले में विशेष रूप से सत्य है, जहां, जिन समस्याओं से निपटना आवश्यक है, उनकी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, विधायिका को अधिक से अधिक काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए।। अदालत को अन्य क्षेत्रों की तुलना में आर्थिक विनियमन के क्षेत्र में विधायी निर्णय को न्यायिक सम्मान देने के लिए अधिक झुकाव महसूस करना चाहिए जहां मौलिक मानवाधिकार शामिल हैं। इस चेतावनी को मोरे बनाम डाउड [मोरे बनाम डाउड, 1957 एस. सी. सी. ऑनलाइन यू. एस. एस. सी. 105 1 एल एड 2 डी 1485 से अधिक सम्मानपूर्वक कहीं भी व्यक्त नहीं किया गया है:354 यू. एस. 457 (1957)] जहाँ फ्रैंकफर्टर, जे. ने अपने न्यायालय में कहा था

अनिश्चितता, त्रुटि के लिए दायित्व, विशेषज्ञों के विस्मयकारी संघर्ष और घटनाओं-आत्म-सीमा द्वारा न्यायाधीशों को कितनी बार खारिज किया

गया है, इसे न्यायिक ज्ञान और संस्थागत प्रतिष्ठा और स्थिरता का मार्ग माना जा सकता है।

न्यायालय को हमेशा यह याद रखना चाहिए कि 'कानून व्यावहारिक समस्याओं के लिए निर्देशित है, जो आर्थिक तंत्र अत्यधिक संवेदनशील और जटिल है, वे कई समस्याएं जो अकेले और आकस्मिक हैं, जिसका कानूनन संक्षिप्त सार प्रस्ताव नहीं हैं और संक्षिप्त सार इकाइयों से संबंधित नहीं हैं और इन्हें संक्षिप्त सार समरूपता द्वारा मापा नहीं जाना चाहिए'; 'जो सटीक ज्ञान और उपचार का अच्छा अनुकूलन हमेशा संभव नहीं होता है' और 'निर्णय काफी हद तक अल्प और अस्पष्ट अनुभव पर आधारित एक भविष्यवाणी है'। विशेष रूप से आर्थिक मामलों में प्रत्येक कानून अनिवार्य रूप से अनुभवजन्य है और यह प्रयोग पर आधारित है या जिसे कोई परीक्षण और त्रुटि विधि कह सकता है और इसलिए यह सभी संभावित स्थितियों के लिए प्रदान नहीं कर सकता है या सभी संभावित दुरुपयोगों का अनुमान नहीं लगा सकता है। जटिल प्रयोगात्मक आर्थिक विधान में कठोरता और असमानताएँ हो सकती हैं, लेकिन केवल इसी कारण से इसे अमान्य नहीं माना जा सकता है। न्यायालय ऐसा नहीं कर सकतीं, जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने [कोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्रेटरी बनाम सेन्टरल रॉयंग रिफाइनिंग कंपनी 1950 एस. सी. सी. ऑनलाइन यू. एस. एस. सी. 14:94 एल एड 381:338 यू. एस. 604 (1950)] में बताया है ऐसी कुरूपताओं और असमानताओं से राहत के लिए न्यायाधिकरणों में परिवर्तित किया जाना चाहिए। दुरुपयोग की संभावनाएँ भी हो सकती हैं, लेकिन वह भी अपने आप में कानून को अमान्य करने का आधार नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी विधायिका के लिए यह संभव नहीं है कि वह किसी दैवीय पूर्वज्ञान की तरह अपने कानून में विकृतियों और दुरुपयोगों का पूर्वानुमान लगा सके, जो उसके प्रावधानों के अधीन लोगों द्वारा किए जा सकते हैं और ऐसी विकृतियों और दुरुपयोगों के विरुद्ध प्रावधान कर सके। वास्तव में, इसके निर्माण पर चाहे कितनी भी बड़ी सावधानी बरती गई हो, ऐसे कानून की कल्पना करना कठिन है जिसका विकृत मानवीय सरलता द्वारा दुरुपयोग न किया जा सके। इसलिए न्यायालय को ऐसे विधान की संवैधानिकता का निर्णय अपने प्रावधानों की व्यापकता के आधार पर करना चाहिए, न कि इसकी खामियों या असमानताओं या इसके किसी भी प्रावधान के दुरुपयोग की संभावनाओं के आधार पर। यदि कोई लापरवाही, असमानता या दुरुपयोग की संभावनाएँ सामने आती हैं, तो विधायिका हमेशा कदम उठा सकती है और उपयुक्त संशोधनकारी कानून

बना सकती है। यही प्रयोगात्मक उपागम का सार है जिससे विधायिका को जटिल आर्थिक मुद्दों से निपटने में मार्गदर्शन और प्रेरणा लेनी चाहिए।”

(जोर दिया गया)

अधिनियम, 2017 अप्रत्यक्ष कर के क्षेत्र में एक विशिष्ट बदलाव को चिह्नित करता है।

90. इस न्यायालय का विचार है कि अधिनियम, 2017 न केवल देश में अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को सरल और सामंजस्यपूर्ण बनाता है, बल्कि यह भारत में उन्हें लागू करने, लगाने और एकत्र करने के तरीके में एक आदर्श बदलाव का भी प्रतीक है।

91. अधिनियम, 2017 का उद्देश्य मुख्य रूप से वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक साझा राष्ट्रीय बाजार प्रदान करना है जैसा कि इसके आदर्श वाक्य 'एक राष्ट्र एक कर' में परिलक्षित होता है। यह एक उपभोक्ता केंद्रित अधिनियम है, क्योंकि यह कई करों को समाप्त करता है, किसी भी व्यापक कर प्रभाव से बचाता है, विकृतियों को दूर करके ऋण तंत्र को सुव्यवस्थित करता है आपूर्ति श्रृंखलाओं में और कर लगाने के लिए एक सुचारू पारित और पारदर्शी तंत्र सुनिश्चित करता है। यह अधिनियम, 2017 के उद्देश्यों और कारणों के विवरण से स्पष्ट है। उसी को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

“वर्तमान में, केंद्र सरकार केंद्रीय उत्पाद शुल्क के रूप में कुछ वस्तुओं के निर्माण, सेवा कर के रूप में कुछ सेवाओं का प्रावधान, केंद्रीय बिक्री कर के रूप में वस्तुओं की अंतर-राज्यीय बिक्री पर कर लगाती है। इसी तरह, राज्य सरकारें मूल्य वर्धित कर, प्रवेश कर, विलासिता कर और खरीद कर आदि

के रूप में राज्य में वस्तुओं के प्रवेश के रूप में खुदरा बिक्री पर और उस पर कर लगाती हैं। तदनुसार, एक ही आपूर्ति श्रृंखला पर कई प्रकार के कर लगाए जा रहे हैं।

2. वस्तुओं और सेवाओं पर वर्तमान कर प्रणाली को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है जैसे -

(i) करों की संख्या लगातार बढ़ रही है क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए कर राज्य सरकारों द्वारा लगाए जा रहे करों के बदले उपलब्ध नहीं हैं।

(ii) राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए कुछ करों को उनके द्वारा लगाए जा रहे अन्य करों के भुगतान के लिए छूट के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है।

(iii) भिन्न कर दरों और भिन्न कर प्रथाओं के साथ देश में मूल्य वर्धित कर कानूनों की विविधता देश को अलग-अलग आर्थिक क्षेत्रों में विभाजित करती है; और

(iv) शुल्क और गैर-शुल्क बाधाओं जैसे चुंगी, प्रवेश कर, चेक पोस्ट आदि का निर्माण पूरे देश में व्यापार के मुक्त प्रवाह में बाधा डालता है। इसके अलावा, बड़ी संख्या में करों से करदाताओं के लिए रिटर्न, भुगतान आदि के रूप में उच्च अनुपालन लागत पैदा होती है।

3. उपरोक्त कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त सभी करों को माल और सेवा कर नामक एक ही कर में शामिल करने का प्रस्ताव है जो माल या सेवाओं की आपूर्ति या दोनों पर आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक चरण में विनिर्माण या आयात से शुरू होकर अंतिम खुदरा स्तर तक लगाया जाएगा। इसलिए, कोई भी कर जो वर्तमान में केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जा रहा है, उसे वस्तु और सेवा कर में परिवर्तित किया जा रहा है जो एक दोहरा कर प्रस्तावित है जहां केंद्र सरकार केंद्रीय वस्तु और सेवा कर के रूप में कर लगाएगी और एकत्र करेगी और राज्य सरकार वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की अंतर-राज्य आपूर्ति पर राज्य वस्तु और सेवा कर के रूप में कर लगाएगी और एकत्र करेगी।

4. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर विधेयक, 2017 नामक एक केंद्रीय कानून बनाना आवश्यक हो गया है। प्रस्तावित कानून केंद्र सरकार को किसी राज्य के भीतर होने वाली वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर वस्तु और सेवा कर लगाने का अधिकार प्रदान करेगा। प्रस्तावित कानून देश में अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को सरल और सामंजस्यपूर्ण बनाएगा। इससे अर्थव्यवस्था में उत्पादन लागत और मुद्रास्फीति में कमी आने की उम्मीद है, जिससे भारतीय व्यापार और उद्योग घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे। जसवंत सिंह रावत द्वारा डिजिटल रूप से सत्यापित नहीं किए गए एक हस्ताक्षर से इनपुट टैक्स क्रेडिट के निर्बाध मूल्यवर्धन की श्रृंखला में एक चरण से दूसरे चरण में, वस्तु और सेवा कर की रूपरेखा में एक अंतर्निहित तंत्र है जो करदाताओं द्वारा कर अनुपालन को प्रोत्साहित करेगा। प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर आधार को व्यापक बनाएगा और इसके परिणामस्वरूप एक मजबूत सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना के कारण कर अनुपालन बेहतर होगा।

5. केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर विधेयक, 2017 में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं—

(क) मानव उपभोग के लिए मादक शराब की आपूर्ति को छोड़कर वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की सभी अंतर-राज्य आपूर्ति पर बीस प्रतिशत से अधिक दर पर कर लगाना। वस्तु और सेवा कर परिषद (परिषद) द्वारा अनुशंसित;

(ख) निवेश कर क्रेडिट को व्यापक आधार बनाने के लिए इसे माल या सेवाओं की किसी भी आपूर्ति पर भुगतान किए गए करों के संबंध में उपलब्ध कराना या दोनों का उपयोग या व्यवसाय पाठ्यक्रम या आगे बढ़ाने में उपयोग करने का इरादा;

(ग) इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक पर एक प्रतिशत से अधिक की दर से स्रोत पर कर एकत्र करने का दायित्व अधिरोपित करना। अपने पोर्टल द्वारा

वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति करने वाले आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान दावर कर योग्य आपूर्ति का शुद्ध मूल्य;

(घ) पंजीकृत व्यक्ति द्वारा देय करों के स्व-मूल्यांकन का प्रावधान करना;

(ङ) अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन को सत्यापित आदेश के लिए पंजीकृत व्यक्तियों के लेखा परीक्षा के संचालन का प्रावधान करना;

(च) चूक करने वाले कर योग्य व्यक्ति की वस्तुओं, चल और अचल संपत्ति को हिरासत में लेने और बेचने सहित विभिन्न तरीकों का उपयोग करके कर के अवशिष्ट की वसूली का प्रावधान करना;

(छ) अधिकारियों को निरीक्षण, तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी की शक्तियों का प्रावधान करना;

(ज) अपीलीय प्राधिकरण या पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपीलों की सुनवाई के लिए केंद्र सरकार द्वारा वस्तु और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना करना;

(झ) प्रस्तावित विधान के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान करना;

(ञ) मुनाफाखोरी विरोधी धारा का प्रावधान करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि व्यवसाय वस्तुओं या सेवाओं या दोनों पर कर में कमी का लाभ उपभोक्ताओं को दे सके; तथा

(ट) मुनाफाखोरी विरोधी धारा का प्रावधान करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि व्यवसाय वस्तुओं या सेवाओं या दोनों पर कर में कमी का लाभ उपभोक्ताओं को दे सके; तथा

6. खंडों पर टिप्पणियाँ केंद्रीय वस्तु और सेवा कर विधेयक, 2017 में निहित विभिन्न प्रावधानों की विस्तार से व्याख्या करती हैं।

7. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है।”

92. उपरोक्त से, यह स्पष्ट है कि अधिनियम, 2017 पर एकल कर लगाया गया है। आपूर्ति के प्रत्येक चरण में मूल्यवर्धन पर वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति कच्चे माल की खरीद, उत्पाद या आयात के निर्माण से लेकर तैयार वस्तु उपभोक्ता के हाथों तक पहुँचती है। यह सबसे अच्छी तरह से चित्रित किया गया है निम्नलिखित उदाहरण लें:-

चरण	क्रियाएँ	मूल्य+कर= लागत	लागत / जोड़	कुल	केवल अतिरिक्त राशि पर 10% कर	कुल कीमत
प्रथम	निर्माता द्वारा कच्चे माल की खरीदारी		2000	2000	200	2200
द्वितीय	थोक विक्रेता को तैयार माल बेचा गया (कच्चा माल से तैयार माल)	2000+200=2200	500	2700	50	2750
तृतीय	तैयार माल का व्यापारी के द्वारा क्रय	2700+50=2750	400	3150	40	3190
चतुर्थ	तैयार माल का वास्तविक उपभोक्ता द्वारा क्रय	3150+40=3190	300	3490	30	3520
	कुल		3200		320	3520

93. वस्तु एवं सेवा कर एक गंतव्य-आधारित कर है और उपभोग के बिंदु पर लगाया जाता है। तदनुसार, कर मूल कीमत के साथ जमा हो जाते हैं और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रभाव के कारण, कर पर कर यानी कैस्केडिंग प्रभाव हटा दिया जाता है। इसे निम्नलिखित उदाहरण द्वारा सबसे अच्छे ढंग से दर्शाया गया है:-

पुरानी प्रणाली	वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली
कार विनिर्माण पर लागत 250,000	कार विनिर्माण पर लागत 250,000
जोड़: 20% की दर से लाभ 50,000	जोड़: 20 % की दर से लाभ 50,000
कुल लागत 300,000	कुल लागत 300,000
जोड़: असाधारण कर्तव्य 10% की दर 30,000	जोड़: उत्पाद शुल्क 10% की दर पर मान्य नहीं 0
कर के बाद की लागत 3,30,000	कर के बाद की लागत 3,00,000
जोड़: वैट 10 % की दर 33,000	जोड़: वैट 10 % की दर मान्य नहीं 0
ग्राहक की लागत 3,63,000	ग्राहक के लिए लागत 3,60,000
	जोड़: वस्तु और सेवा कर 20 % की दर 60,000
	ग्राहक के लिए लागत 3,60,000

94. नतीजतन, अधिनियम, 2017 का उद्देश्य एक आम राष्ट्रीय व्यवस्था प्रदान करना, बाजार, उत्पादकता को बढ़ावा देना, प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, कर आधार को व्यापक बनाना और भारत को विनिर्माण केंद्र बनाना है ।

धारा 171 में प्रावधान है कि त्यागे गये कर को आनुपातिक कटौती के मूल्य के रूप में पारित किया जाना चाहिए ।

95. जैसा कि विद्वान न्यायमित्र ने सही ही बताया है, वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली की शुरुआत से पहले विभिन्न समितियों द्वारा इस विषय की व्यापक जांच की गई थी और वस्तु एवं सेवा कर की रूपरेखा को अंतिम रूप देते समय ऐसी समितियों की रिपोर्टों को ध्यान में रखा गया था।

96. उक्त रिपोर्टों में चिंता का विषय यह बताया गया कि करों की बहुलता और करों के क्रमिक वितरण को समाप्त करने से वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें कम हो जाएंगी, फिर भी क्या यह लाभ, यदि कोई हो, निर्माताओं और विक्रेताओं द्वारा उपभोक्ताओं को दिया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाभ उपभोक्ताओं को दिया जाए, अधिनियम, 2017 की धारा 171 के रूप में मुनाफाखोरी विरोधी प्रावधान पेश किया गया।

97. अधिनियम, 2017 की धारा 171 में कहा गया है कि आपूर्तिकर्ता वस्तु और सेवा कर या निवेश कर क्रेडिट की दर में कमी का लाभ प्राप्तकर्ता को कीमतों में अनुरूप कमी के माध्यम से देंगे। धारा 171 उन राशियों से संबंधित है जो केन्द्र और राज्य सरकारों ने उपभोक्ताओं के पक्ष में सरकारी खजाने से छोड़ दी हैं। इस न्यायालय का विचार है कि उपभोक्ताओं के पक्ष में सरकारी खजाने से पूर्वनिर्धारित राशि को निर्माताओं, व्यापारियों, वितरकों आदि द्वारा विनियोजित नहीं किया जा सकता है। उन्हें ऐसा करने की अनुमति देना

अन्यायपूर्ण संवर्धन के बराबर होगा। नतीजतन, जब वस्तु और सेवा कर की दर कम हो जाती है या इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ एक आवश्यक परिणाम के रूप में उपलब्ध हो जाता है, तो प्राप्तकर्ता द्वारा भुगतान की गई अंतिम कीमत को स्पष्ट रूप से कम करने की आवश्यकता होती है। इस तरह के मुनाफाखोरी विरोधी प्रावधानों की अनुपस्थिति में, वस्तु और सेवा कर व्यवस्था का लाभ देने का कोई कानूनी दायित्व नहीं होगा और इसके परिणामस्वरूप, समग्र कर दरों को कम करने और व्यापक प्रभाव को कम करने के इच्छित उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सकेगा।

98. अधिनियम, 2017 की धारा 171 के स्पष्टीकरण में 'मुनाफाखोर' शब्द को परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है 'वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर कर की दर में कमी का लाभ या वस्तु या सेवाओं या दोनों की कीमत में समान कमी के माध्यम से प्राप्तकर्ता को इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं देने के कारण निर्धारित राशि'। कोलिन्स इंग्लिश डिक्शनरी-कम्प्लीट एंड अनएब्रिज्ड, 12वें संस्करण 2014 के अनुसार, 'अनुरूप' शब्द का अर्थ है "1. समान सीमा या अवधि होना; 2. डिग्री, राशि या आकार के अनुरूप; समानुपातिक; 3. एक सामान्य मानक द्वारा मापे जाने में समर्थ है; तुलनीय"। अनुरूप' शब्द का उपयोग सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णयों में विभिन्न संदर्भों में मापदंड निर्धारित करने के लिए किया गया है, जिसमें एक लोक सेवक की नियुक्ति का अधिकार निर्धारित करने से लेकर आपराधिक सजा की शुद्धता का

आकलन करना और रखरखाव राशि की गणना करना शामिल है। यह दर्शाता है कि न्यायालयों को भी इस शब्द की स्पष्ट और निश्चित समझ है। [देखिए: *पी. के. चिन्नासामी बनाम तमिलनाडु सरकार (1987) 4 एससीसी 601; पी. आई. एल. केंद्र बनाम आवास और शहरी विकास निगम/लिमिटेड, (2017) 3 एस. सी. सी. 605; दिनेश बनाम राजस्थान राज्य, (2006) 3 एस. सी. सी. 771; विमला (के.) बनाम वीरस्वामी (के.), (1991) 2 एस. सी. सी. 375।*

99. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, कीमतों में "अनुरूप" कमी को प्रभावी करने/बनाने का दायित्व माल और सेवा कर व्यवस्था के अंतर्निहित उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है, जो यह सुनिश्चित करना है कि आपूर्तिकर्ता कर की दर और इनपुट टैक्स क्रेडिट में कमी का लाभ उपभोक्ताओं को दें, खासकर इसलिए कि माल और सेवा कर एक उपभोग-आधारित कर है (जैसा कि भारत में अपनाया गया है) और प्राप्तकर्ता (उपभोक्ता) व्यावहारिक रूप से उन करों का भुगतान करता है जो अंतिम मूल्य में शामिल होते हैं। इसलिए, अधिनियम, 2017 की धारा 171 को मूल्य नियंत्रण उपाय के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे माल और सेवा कर व्यवस्था के उद्देश्यों से सीधे जुड़ा हुआ देखा जाना चाहिए। परिणामस्वरूप, अधिनियम, 2017 की धारा 171 में 'अनुरूप' शब्द का अर्थ है कि कर की दरों में कमी या रुपये और पैसे के संदर्भ में इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभ के कारण जो भी वास्तविक बचत होती है, वह मूल्य में बराबर या लगभग कमी के रूप में परिलक्षित होनी चाहिए। दूसरे शब्दों

में, अधिकारियों द्वारा छोड़े गए कर का बोझ कीमत में उचित कमी के रूप में उपभोक्ता तक पहुंचाया जाना चाहिए।

100. तदनुसार, अधिनियम, 2017 की धारा 171 को लोक हित में लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आपूर्तिकर्ता इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उपभोक्ताओं को दें और वस्तु एवं सेवा कर की दर में कमी करें। यह धारा सबसे पहले उप-धारा (1) के तहत एक ठोस दायित्व पैदा करके ऐसा करती है जिसमें निर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं को इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ देने और/या प्राप्तकर्ताओं को कीमतों में अनुरूप कमी करके कर की दर में कमी करने की आवश्यकता होती है। उक्त धारा आगे एक प्राधिकरण की स्थापना यह निर्धारित करने के लिए सक्षम बनाता है कि क्या आपूर्तिकर्ताओं ने इनपुट टैक्स क्रेडिट और कर दरों में कमी के लाभों को पारित किया है, और ऐसी अन्य शक्तियाँ और कार्यों का प्रयोग करने के लिए जो निर्धारित किए जा सकते हैं।

101. यह न्यायालय प्रत्यर्थियों की इस दलील से सहमत है कि धारा 171 के पीछे का उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद 38 (1) में निहित राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों से सीधे संबंधित है, जिसमें राज्य को एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था हासिल करने का प्रयास करने की आवश्यकता है जिसमें न्यायाधीश, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को सूचित करेगा और संविधान के अनुच्छेद 39 (ख) और (ग) में राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी नीति निर्देशित करने की आवश्यकता है कि

समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और आदेश इस तरह से वितरित किया जाए ताकि आम भलाई को कम किया जा सके और आर्थिक प्रणाली का संचालन हो सके। धन और उत्पादन के साधनों के केंद्रीकरण से आम नुकसान नहीं होता है।

102. संक्षेप में, अधिनियम, 2017 की धारा 171 में यह अनिवार्य किया गया है कि कर में जो भी बचत की जाती है, उसकी कीमत कम की जानी चाहिए। अधिनियम, 2017 की धारा 171 में अन्यायपूर्ण संवर्धन के सिद्धांत को शामिल किया गया है। तदनुसार, इसमें उपभोक्ता कल्याण विनियामक उपाय का ज़ायका है, क्योंकि यह वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था के पीछे प्राथमिक उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है, अर्थात् अप्रत्यक्ष करों के व्यापक प्रभाव को दूर करता है और अंतिम उपभोक्ता पर कर का बोझ कम करता है। परिणामस्वरूप, *अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण* (पूर्वोक्त), *इंडियन कार्बन लिमिटेड* (पूर्वोक्त), *वी.वी.एस. शुगर्स* (पूर्वोक्त) और *श्री भगवती स्टील रोलिंग मिल्स बनाम सीसीई* (पूर्वोक्त) के निर्णय, जिन पर याचिकाकर्ताओं ने भरोसा किया है, लागू नहीं होते हैं क्योंकि वे कर/शुल्क लगाने या कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज वसूलने वाले प्रत्यायोजित प्राधिकरण की वैधता से संबंधित हैं, जो कि कानून में सख्त प्रावधान के अभाव में है।

अनुच्छेद 246क के अंतर्गत धारा 171 संसद के कानून बनाने की शक्ति के तहत आती है

103. भारत के संविधान का अनुच्छेद 246क संविधान की सातवीं अनुसूची को संदर्भित करने की आवश्यकता को समाप्त करते हुए शक्ति के स्रोत के साथ-साथ कानून के क्षेत्र (वस्तु और सेवा कर के संबंध में) को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 246क संसद और राज्य विधानमंडलों दोनों के लिए उपलब्ध है। उक्त अनुच्छेद एक साथ शुल्क लगाने के संवैधानिक सिद्धांत का प्रतीक है जो सहमति के सिद्धांत से अलग है। हालाँकि, संसद के पास वस्तु और सेवा कर कानून बनाने की विशेष शक्ति है जहाँ वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान होती है। **भारत संघ बनाम वी. के. सी. फुटस्टेप्स इंडिया (पी) लिमिटेड** (पूर्वोक्त) मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा है, 'संविधान का एक सौ एक संशोधन सहकारी संघवाद के विकास में एक मिल का पत्थर है।'

104. भारत के संविधान का अनुच्छेद 246क संसद और विधानमंडलों को वस्तु और सेवा कर 'के संबंध में' कानून बनाने का अधिकार देता है। यह अभिव्यक्ति अनुच्छेद 246 में उपयोग की गई अभिव्यक्ति के समान है जो संसद और राज्य विधानमंडलों को सातवीं अनुसूची में उल्लिखित विभिन्न विषयों 'के संबंध में' कानून बनाने का अधिकार देती है। उच्चतम न्यायालय ने लगातार यह अभिनिर्धारित किया है कि 'के संबंध में' अभिव्यक्ति का विस्तार व्यापक है और इस प्रकार, वस्तु और सेवा कर के संबंध में कानून बनाने की शक्ति में सभी सहायक, आनुषंगिक और आवश्यक मामले शामिल हैं। **वेलफेयर एसोसिएशन,**

वार्षिक नवीनकरण कार्यक्रम, महाराष्ट्र बनाम रंजीत पी. गोहिल, (2003) 9

एस. सी. सी. 358 में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया है:-

“28. संसद या राज्य विधानमंडलों द्वारा प्रयोग की जाने वाली विधायी शक्ति का मुख्य स्रोत अनुसूची 7 नहीं है; स्रोत अनुच्छेद 246 और संविधान के अन्य प्रावधान हैं। सातवीं अनुसूची में तीन सूचियों का कार्य केवल संसद और राज्यों के बीच विधायी क्षेत्रों का सीमांकन करना है न कि किसी विधायी शक्ति को प्रदान करना। तीन सूचियों में उल्लिखित कई प्रविष्टियाँ कानून बनाने के क्षेत्र हैं। संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर किसी विशेषीकरण की कोशिश किए बिना सामान्य और व्यापक महत्व के शब्दों का इस्तेमाल किया, जिनका विस्तृत अर्थ था। इस तरह के निर्माण को सूचियों में प्रविष्टियों पर रखा जाना चाहिए जो उन्हें प्रभावी बनाता है; किसी भी निर्माण से बचा जाना चाहिए जिसके परिणामस्वरूप किसी भी प्रविष्टि को व्यर्थ या अनुचित बना दिया जाएगा। संवैधानिक न्यायविदों ने हमेशा उस व्याख्या का समर्थन किया है, जो हर प्रविष्टि में इस्तेमाल किए गए शब्दों को यथासंभव व्यापक आयाम देता है। प्रविष्टियों में प्रयुक्त प्रत्येक सामान्य शब्द का विस्तृत अर्थ निहित है, ताकि प्रविष्टि के अर्थ के अंतर्गत सभी सहायक और गौण विषयों को समझा जा सके, जब तक कि उसे निष्पक्ष रूप से समायोजित किया जा सके, बशर्ते कि समय सीमा यह हो कि न्यायालय किसी प्रविष्टि के क्षेत्र को इस सीमा तक विस्तारित नहीं कर सकते कि परिणामस्वरूप ऐसे विषय भी प्रविष्टि के दायरे में आ जाएं, जिन्हें संविधान निर्माताओं ने कभी शामिल करने का इरादा नहीं किया था, या जिससे वे किसी अन्य सूची में रखी गई किसी अन्य प्रविष्टि के क्षेत्र में अतिक्रमण कर जाएं।

29. प्रत्येक मामले में जहां किसी विशेष अधिनियम के संबंध में विधायिका की विधायी क्षमता को विभिन्न सूचियों में प्रविष्टियों के संदर्भ में चुनौती दी जाती है, वहां अधिनियम के अर्थ और सार की जांच करना और यह पता लगाना आवश्यक है कि क्या मामला सूची में किसी मद के भीतर आता है। किसी प्रविष्टि में प्रयुक्त स्पष्ट शब्दों में अनिवार्य रूप से आनुषंगिक और

सहायक मामले शामिल होंगे ताकि कानून को प्रभावी बनाया जा सके। जाँच के अधीन अधिनियम की योजना, इसके उद्देश्य और प्रयोजन, इसकी वास्तविक प्रकृति और चरित्र और कानून के अर्थ और सार पर ध्यान केंद्रित किया जाना है। यह संवैधानिक कानून का एक मौलिक सिद्धांत है कि शक्ति के प्रयोग के लिए आवश्यक सब कुछ शक्ति प्रदान करने में शामिल है (चतुर्भुज एम. पटेल बनाम भारत संघ [ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 424: संविधान पीठ के फैसले को देखें।(1960) 2 एससीआर 362])।"

(जोर दिया गया)

105. आर. एस. जोशी अन्य बिक्री कर अधिकारी और अन्य बनाम गुजरात अजीत मिल्स लिमिटेड और अन्य, (1977) 4 एस. सी. सी. 98, उच्चतम न्यायालय की सात-न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया कि कल्पित अधिनियम में कर के रूप में अन्यायपूर्ण रूप से रखी गई राशियों के पहलुओं से निपटने के उपायों का प्रावधान करना कराधान के विषय से जुड़े आवश्यक/सहायक पहलू थे। उक्त निर्णय के प्रासंगिक भाग को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

"13. प्रतिद्वंद्वी विवादों के सर्वोत्कृष्ट पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, आइए हम रुकें और समीक्षा करें। मामले के तथ्य स्पष्ट हैं। मामले का घोषित उद्देश्य स्पष्ट है। विधायिका का उद्देश्य किसी अधिनियम किसी और रंग में रंग कर उस पर दोष आरोपित करना अप्रासंगिक है। सार्वजनिक शरारत पर प्रतिबंध और किसी कानून के क्रियान्वयन में संभावित, यद्यपि, अनजाने या "अतिरिक्त रूप से" ज्यादातियों के विरुद्ध उपभोक्ता हितों का बीमा न केवल एक सहायक शक्ति है, बल्कि निश्चित रूप से एक सामाजिक कल्याणकारी राज्य का एक आवश्यक दायित्व है। इस परिणति के लिए एक शक्तिशाली निषेधात्मक प्रक्रिया व्यापारी को दंडित करना है, जिसमें उसे बिना किसी गलती के या पूर्ण दायित्व के राज्य को "कर के रूप

में" उसके द्वारा हड़पी गई और रखी गई कुल "अन्यायपूर्ण" आय को "चुकाने" का दायित्व दिया जाता है, जहाँ कर उससे देय नहीं है, इसके अलावा अन्य दंडात्मक अधिरोपण व्यापारियों को रोकने और शांत करने के लिए होते हैं, जिनकी ग्राहकों के साथ व्यवहार करने की कला में "थोड़ा-थोड़ा करके बहुत कुछ बनता है" शामिल हो सकता है। यदि तर्क में ये कदम प्रविष्टि 54 सूची II के तहत कर लगाने की शक्ति के साथ आवश्यक संबंध रखते हैं, तो यह किसी की समझ से परे है कि विवादित कानून को विधायी क्षमता से परे या "रंगीन उपकरण" या "संपूरक है अनुपूरक नहीं" इनकी अनुबंधों के रूप में कैसे निंदा की जा सकती है। लेकिन यह वही है जो उच्च न्यायालय ने किया है, इस न्यायालय के निर्णयों से लिए गए अंशों को सहायता के लिए बुलाते हुए और उसी न्यायालय के पहले के खंडन्याय पीठ के निर्णय को विचित्र रूप से अलग करते हुए - एक प्रक्रिया जो, संयमित रूप से व्यक्त की गई, शिष्टाचार, अनुशासन और कानून के शासन के अनुरूप नहीं है। पहली यह है कि कानून को वस्तुनिष्ठ बनाने के लिए प्रशिक्षित दिमाग कैसे उग्र रूप से विरोधी निष्कर्षों पर पहुंच सकते हैं।

XXX

XXX

XXX

24. एक विकासशील देश में, अशिक्षित और गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के साथ, और अधिकांश संबंधित वस्तुएं उनकी दैनिक आवश्यकताओं का गठन करती हैं, हम खरीदारों को गैरकानूनी बोझ के अधीन होने से बचाने के लिए कर की शक्ति और आकस्मिक शक्ति के बीच पर्याप्त संबंध देखते हैं। कर प्रावधानों के साथ अभिन्न रूप से जुड़े सामाजिक न्यायाधीश के कारणों को केवल एक उपकरण या आकस्मिकता में अभाव के रूप में नहीं देखा जा सकता है। न ही हम इस विवाद से प्रभावित हैं कि विक्रेता राज्य का एजेंट है (या नहीं) और न ही बिक्री कर; और राज्य को संदेह क्यों होना चाहिए जब वह खरीदारों को पैसे वापस करने के लिए खुद को बाध्य करता है? हमें नहीं लगता कि सामान्य खरीदारों के लिए सरकार की तुलना में सामान्य विक्रेताओं के सामान्य संचालन से छोटी राशि की वसूली करना अधिक संभव है। हम उम्मीद करते हैं कि एक संवेदनशील सरकार धोखा नहीं देगी बल्कि उसे वापस सौंप देगी। इसलिए, हम अशोक से काफी हद तक

असहमत हैं जबकि हम आम तौर पर अब्दुल कादर से सहमत हैं। हमें यह उल्लेख करना चाहिए कि यह सवाल अशोक में विचार के लिए नहीं उठाया गया था कि क्या अवैध रूप से बिक्री कर के रूप में एकत्र की गई राशि को जब्त किया जा सकता है।

25. हम इस विचार के साथ निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि संसद और राज्य विधानसभाएं लागत और देरी में कटौती करने वाली व्यवहार्य जनहित याचिका प्रक्रियाओं का उद्घाटन करने के लिए जल्दबाजी करेंगी। आखिरकार, अधिकारों की वास्तविकता नागरिकों द्वारा उनका वास्तविक आनंद है, न कि शानदार अनुदानों का एक सैद्धांतिक समूह। " मैकाले ने कहा, "मिडिलसेक्स में एक एकड़ जमीन, यूटोपिया में एक रियासत से बेहतर है।" प्रो. श्वार्ट्ज ने आगे कहा: "एक कानूनी प्रणाली जो समुदाय की सेवा के लिए काम करती है, वह जनता की जरूरतों के प्रति अनुत्तरदायी प्लेटोनिक अभिभावकों के एक समूह की अकादमिक अवधारणाओं से बेहतर है।"

(जोर दिया गया)

106. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का यह विचार है कि अधिनियम, 2017 की धारा 171 में शामिल मुनाफाखोरी विरोधी तंत्र, एक सामाजिक कल्याण उपाय होने के अलावा, माल और सेवा कर के सहायक और आवश्यक पहलुओं/मामलों पर कानून बनाने के लिए संसद की शक्ति का प्रयोग है क्योंकि यह झूठे प्रतिनिधित्व के माध्यम से उपभोक्ताओं से धन एकत्र करने के लिए व्यक्तियों पर रोक लगाने की पुरानी अवधारणा को बढ़ाता और विस्तारित करता है।

107. परिणामस्वरूप, इस न्यायालय का विचार है कि अधिनियम, 2017 की धारा 171 वस्तु और सेवा कर के सहायक और आवश्यक पहलुओं से निपटने

वाले संविधान के अनुच्छेद 246 'क' के तहत संसद की कानून बनाने की शक्ति के भीतर आती है और संसद की विधायी क्षमता से परे नहीं है।

धारा 171 एक स्पष्ट विधायी नीति तैयार करती है और किसी भी आवश्यक विधायी कार्य का प्रतिनिधित्व नहीं करती है।

108. इस न्यायालय का विचार है कि अधिनियम 2017 की धारा 171 अपने आप में एक पूर्ण संहिता है और यह किसी भी अस्पष्टता या मनमानेपन से ग्रस्त नहीं है। अधिनियम 2017 की धारा 171 मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण के कार्य, कर्तव्य, जिम्मेदारी और शक्ति को सटीक रूप से निर्धारित करती है। यह निर्धारित करता है कि प्रावधान की प्रयोज्यता के लिए पूर्व शर्तें या तो कर की दर में कमी या इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभ की उपलब्धता (जिसके परिणामस्वरूप ऐसी कमी होती है) हैं। एक बार जब उक्त पूर्व-आवश्यकताएं/शर्तें मौजूद हो जाती हैं, तो विचार किए गए प्रत्यक्ष परिणाम यानी कीमत में कमी का पालन करना चाहिए। इसलिए, यदि करों की दर में इस तरह की कमी या इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभ से पहले, संबंधित समय पर लागू कर सहित प्राप्तकर्ता द्वारा भुगतान की गई कीमत एक विशेष राशि थी, तो कर दर में कमी या इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभ के कारण, विषय मूल्य में कमी करनी होगी। इसके अलावा, कर की दर में कमी या इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ, जिसे प्राप्तकर्ता को दिया जाना अनिवार्य है, प्राप्तकर्ता के अधिकार का मामला है और परिणामस्वरूप, मूल्य में कमी ऐसे लाभ के अनुरूप होनी चाहिए।

उदाहरण के लिए, जब 100 रुपये की सेवा पर वस्तु एवं सेवा कर की दर 28% है, तो उपभोक्ता को बेची जाने वाली सेवा की एमआरपी 128 रुपये है। जब सरकार द्वारा वस्तु एवं सेवा कर की दर 28% से घटाकर 18% कर दी जाती है, तो प्रावधान के अनुसार वस्तु एवं सेवा कर की दर में यह कमी सेवा की कीमत में दिखाई देनी चाहिए और कर की दर में इस तरह की कमी का लाभ कीमत में समान कमी के माध्यम से उपभोक्ताओं को दिया जाना चाहिए। नतीजतन, सेवा की नई एमआरपी 118 रुपये होनी चाहिए।

109. *रे दिल्ली कानून अधिनियम ए. आई. आर. (1951) एस. सी. 332* में, इस प्रश्न का जवाब देते हुए कि एक आवश्यक विधायी कार्य क्या है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि "आवश्यक विधायी कार्य विधायी नीति के निर्धारण या चयन में शामिल है और औपचारिक रूप से उस नीति को आचरण के बाध्यकारी नियम में अधिनियमित करना है। विधायिका के लिए यह खुला है कि वह नीति को व्यापक रूप से और कम से कम या अधिक विवरणों के साथ तैयार करे जो वह उचित समझती है और वह शेष विधायी कार्य को एक अधीनस्थ प्राधिकरण को सौंप सकती है जो उस नीति के ढांचे के भीतर विवरण तैयार करेगा।"

110. कानून के उपरोक्त आदेश को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि अधिनियम, 2017 की धारा 171 एक स्पष्ट विधायी नीति प्रस्तुत करती है। इस न्यायालय का विचार है कि किसी भी प्राधिकरण को इसकी कार्यशीलता सुनिश्चित करने के लिए मार्गदर्शन करने के लिए आवश्यक दिशा सूचक

उपकरण, दिशा-निर्देश और साथ ही जाँच और संतुलन को प्रावधान में ही शामिल किया गया है। नतीजतन, अधिनियम 2017 की धारा 171 न तो कोई आवश्यक विधायी कार्य सौंपती है और न ही भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है।

111. धारा 171 (2) के अनुसार, केंद्र सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, यह जांचने के लिए एक प्राधिकरण का गठन कर सकती है कि क्या किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट या कर दर में कमी के परिणामस्वरूप वास्तव में वस्तुओं या सेवाओं की कीमत में अनुरूप कमी आई है। अधिनियम, 2017 की धारा 171 (3) में कहा गया है कि प्राधिकरण यानी मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण के ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कार्य का निर्वहन करेगा जो निर्धारित किए जाएं। इस शक्ति का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार ने नियम, 2017 के नियम 126 को लागू किया है, जो मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण को यह निर्धारित करने के लिए कार्यप्रणाली और प्रक्रिया निर्धारित करने का अधिकार देता है कि क्या लाभ, प्राप्तकर्ता को कीमतों में उचित कमी कर दिया गया है। परिणामस्वरूप, अधिनियम, 2017 की धारा 171 (2) और 171 (3) को एक साथ पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि केंद्र सरकार द्वारा नियम, 2017 के नियम 126 के तहत मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण को प्रदान की गई शक्तियों का उद्देश्य विधायिका द्वारा स्वयं मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण द्वारा प्रयोग किया जाना था। वास्तव में, नियम,

2017 के नियम 126 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण ने 'राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण' जारी किया है: जिसकी कार्यप्रणाली और प्रक्रिया 2018 , 28 मार्च, 2018 दिनांकित है ।

112. उच्चतम न्यायालय ने *साहनी सिल्क मिल्स (पी) लिमिटेड बनाम.ई. एस. आई. निगम, (1994) 5 एस. सी. सी. 346* ने गैरप्रत्यायोजन युक्त प्रत्यायोजित शक्ति के सिद्धांत पर चर्चा करते हुए कहा है कि, "उपरोक्त सिद्धांत के पीछे मूल सिद्धांत यह है कि" अधिनियम द्वारा प्रदत्त विवेकाधिकार का उपयोग प्रथमदृष्टया उस प्राधिकरण द्वारा किया जाना है जिस पर अधिनियम द्वारा इसे प्रदान किया गया है और किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा नहीं, लेकिन इस इरादे को अधिनियम की भाषा, सीमा या उद्देश्य में पाए जाने वाले किसी भी विपरीत संकेतों प्रतिनिधि किसी और को प्रतिनिधि नहीं नियुक्त कर सकता है। "(देखें जॉन विलिस, " डेलीगेट नॉन पोटेस्त डेलीगेर, (1943)21 कर सकते हैं. बार स. 257, 259) "। इसलिए गैरप्रत्यायोजन युक्त प्रत्यायोजित शक्ति का सिद्धांत वर्तमान मामलों पर लागू नहीं होता है।

113. इसके अलावा, अधिनियम, 2017 की धारा 166 में प्रावधान है कि अधिनियम, 2017 की धारा 164 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार द्वारा बनाए गए प्रत्येक नियम को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष

रखा जाएगा और यदि दोनों सदन नियम में कोई संशोधन करने के लिए सहमत होते हैं या दोनों सदन इस बात पर सहमत होते हैं कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो नियम उसके बाद केवल ऐसे संशोधित रूप में प्रभावी होगा या जैसा भी मामला हो, कोई प्रभाव नहीं होगा।

114. सर्वोच्च न्यायालय ने **डी. एस. ग्रेवाल बनाम पंजाब राज्य 1958 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 9** में अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 में इसी तरह के प्रावधान के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणी की है:

“साथ ही संसद ने इस बात का ध्यान रखा कि इन नियमों को लागू होने से पहले चौदह दिनों के लिए संसद के सामने प्रस्तुत किया गया था और वे संशोधन के अधीन थे, चाहे संसद द्वारा सत्र के दौरान किए गए प्रस्ताव पर निरसन या संशोधन के माध्यम से, जिसमें वे रखे गए हैं। इससे यह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि संसद ने किसी भी तरह से अपने अधिकार का त्याग नहीं किया है, बल्कि अपने प्रतिनिधियों पर कड़ी निगरानी और नियंत्रण रख रही है।”

(जोर दिया गया)

115. परिणामतः कार्यपालिका ने नियम, 2017 के नियम 126 को तैयार करके किसी भी तरह से संसद के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं किया है। याचिकाकर्ताओं ने मामले की सुनवाई के दौरान बार-बार बताया है कि मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण ने समान परिस्थितियों में समान उत्पादों से निपटने वाली संस्थाओं के संबंध में विभिन्न दृष्टिकोण अपनाए हैं। यदि ऐसा है, तो यह मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों को गलत ठहरा

सकता है, लेकिन धारा 171 या उसके तहत बनाए गए नियमों को अमान्य नहीं करेगा। इसके अलावा, चूंकि धारा 171(1) के तहत मूल अधिदेश स्वयं नियमों के निर्माण और एनएए के कामकाज के लिए एक ठोस मार्गदर्शक सिद्धांत है, इसलिए यह तर्क कि नियम 126 अत्यधिक प्रत्यायोजन से ग्रस्त है, कानून में अस्वीकार्य है।

आक्षेपित प्रावधान मूल्य निर्धारण तंत्र नहीं हैं। वे संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (छ) या अनुच्छेद 300क का नहीं करते हैं।

116. अधिनियम, 2017 की धारा 171 भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (छ) का उल्लंघन नहीं करती है, क्योंकि यह मूल्य निर्धारण तंत्र नहीं है। जैसा कि प्रत्यर्थियों के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा सही बताया गया है, अधिनियम, 2017 की धारा 171 केवल वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के अप्रत्यक्ष-कर प्रासंगिक वाणिज्यिक और आर्थिक कारकों से संबंधित है और आपूर्तिकर्ताओं की अपनी कीमतें तय करने की स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए इसे बाधित नहीं करती है। यह न्यायालय विद्वान न्यायमित्र से सहमत है कि अधिनियम, 2017 की धारा 171 पूरी तरह से यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित है कि सरकार द्वारा कर की दर में कमी का परिणामी लाभ प्राप्तकर्ता तक पहुंचे।

117. याचिकाकर्ताओं का यह तर्क कि धारा 171 के तहत मौलिक धारणा कि प्रत्येक कर में कमी के परिणामस्वरूप 'मूल्य कमी' होनी चाहिए, सही नहीं है।

अधिनियम, 2017 की धारा 171 में 'होगा' अभिव्यक्ति के उपयोग का अर्थ है कि आपूर्तिकर्ता को घटाई गई कर दर और इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ देना आवश्यक है, और इस तरह का भुगतान केवल वस्तुओं या सेवाओं की कीमत में अनुरूप कमी के माध्यम से किया जाना है। तदनुसार, लागत और बाजार से संबंधित कारक मुनाफारोधी प्राधिकरण के लिए अप्रासंगिक हैं, क्योंकि यह केवल इस बात की जांच करने की आवश्यकता है कि क्या कर दर में कोई कमी हुई है या इनपुट टैक्स क्रेडिट अर्जित करने के लाभ में कोई कमी हुई है या नहीं और यदि ऐसा है तो क्या इसे कीमतों में समान कमी के माध्यम से पारित किया गया है। मुनाफारोधी प्राधिकरण का किसी आपूर्तिकर्ता द्वारा किसी विशेष वस्तु या सेवा की आपूर्ति के लिए निर्धारित मूल्य से कोई सरोकार नहीं है, जिसमें जीएसटी या इनपुट टैक्स क्रेडिट घटक शामिल नहीं है। आपूर्तिकर्ता अपने आधार मूल्य निर्धारित करने और उन्हें प्रासंगिक वाणिज्यिक और आर्थिक कारकों या किसी भी लागू कानूनों के अनुसार बदलने के लिए स्वतंत्र है। परिणामस्वरूप, मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण को केवल यह सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य किया गया है कि करों और इनपुट टैक्स क्रेडिट की कम दरों का लाभ दिया जाए। मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण याचिकाकर्ताओं को कम कीमतों पर अपनी वस्तुओं या सेवाओं को बेचने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है।

118. इस न्यायालय का विचार है कि कर की दर में कमी या इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभ के बावजूद निर्माता/आपूर्तिकर्ता वाणिज्यिक कारकों के आधार पर

कीमतें बढ़ा सकते हैं, जब तक कि यह दिखावा नहीं है। सुनवाई के दौरान, अधिवक्ता श्री जोहेब हुसैन ने स्वीकार किया (जैसा कि पहले दर्ज किया गया है) कि कुछ मामलों में, कर की दर में कमी या इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभ की उपलब्धता में वृद्धि के बावजूद वाणिज्यिक कारकों के कारण कीमत में वृद्धि की आवश्यकता हो सकती है।

119. यह न्यायालय, विद्वान न्यायमित्र के इस कथन से सहमत है कि यदि अन्य कारकों के कारण कोई भिन्नता है, जैसे कि मूल्य में ऐसी कमी को समायोजित करने के लिए आवश्यक कोई लागत, तो आपूर्तिकर्ता द्वारा उसे उचित ठहराया जाना चाहिए। अंतर्निहित धारणा कि ये अनिवार्य रूप से वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में कमी होनी चाहिए, एक खंडनीय धारणा है। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि आपूर्तिकर्ता को कमी को समायोजित करने के लिए कारणों का दावा करना है, तो उसे इसे ठोस आधार पर स्थापित करना चाहिए और इसे केवल अधिनियम, 2017 की धारा 171 के तहत परिकल्पित कीमतों को कम करने के वैधानिक दायित्व को दरकिनार करने के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए।

120. इस न्यायालय का आगे यह विचार है कि मामलों का वर्तमान समूह किससे संबंधित है ऐसी राशि जो राजस्व ने उपभोक्ताओं के पक्ष में पहले ही छोड़ दी थी हालाँकि याचिकाकर्ताओं/आपूर्तिकर्ताओं द्वारा या तो गलत तरीके से विनियोजित किया गया था और/या उनके व्यवसाय में उपयोग किया जाता है

और/या क्रॉस-सब्सिडी के लिए उपयोग किया जाता है और/या पारित कर दिया जाता है विक्रेता या उपभोक्ता के लिए एक विशेष छूट के रूप में। इसलिए ऐसा नहीं हो सकता है। आपूर्तिकर्ताओं का स्वामित्व हित ऐसी राशि में जो सरकार के पास है। करों में कमी के माध्यम से उपभोक्ताओं के पक्ष में और कोई कानूनी या इसके तहत संवैधानिक अधिकार का दावा किया जा सकता है।

121. स्पष्ट रूप से, अधिनियम, 2017 की धारा 171 को एक ऐसी रूपरेखा बनाने के इरादे से शामिल किया गया है जो यह सुनिश्चित करती है कि लाभ अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचे। निर्माता/आपूर्तिकर्ता/वितरक के साथ कर की दर में कमी या इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभ के अन्यायपूर्ण प्रतिधारण की अनुमति देने के लिए कोई गुंजाइश नहीं हो सकती है। याचिकाकर्ताओं द्वारा **सीआईटी बनाम बीसी श्रीनिवास सेट्टी (1981) 2 एससीसी 460 और सीसीई बनाम लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड (2016) 1 एससीसी 170** के फैसले पर भरोसा करना पूरी तरह से गलत है क्योंकि ये दोनों फैसले विशेष रूप से कर लगाने के संदर्भ में पारित किए गए थे। जैसा कि ऊपर कहा गया है, अधिनियम, 2017 की धारा 171 आपूर्ति पर कोई कर नहीं लगाती है और इसलिए ये फैसले मामलों के वर्तमान समूह पर लागू नहीं होते हैं। परिणामस्वरूप, आरोपित प्रावधान मूल्य निर्धारण तंत्र नहीं हैं और वे भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(छ) या अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 300क का उल्लंघन नहीं करते हैं।

ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया के मुनाफाखोरी-रोधी प्रावधानों का संदर्भ गलत है

122. याचिकाकर्ताओं द्वारा ऑस्ट्रेलियाई व्यापार व्यवहार अधिनियम के तहत मुनाफाखोरी रोधी प्रावधानों का संदर्भ गलत है जैसा कि प्रत्यर्थियों के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया है और याचिकाकर्ता के अपनी प्रस्तुतियों के अनुसार, ऑस्ट्रेलियाई अधिनियम नई कर प्रणाली के संबंध में 'मूल्य शोषण' को प्रतिबंधित करता है यानी कि अधिनियम अपनी प्रकृति से कीमतों को नियंत्रित करता है। यह अधिनियम, 2017 की धारा 171 से अलग है, जिसमें केवल आपूर्तिकर्ताओं को कर में कमी और इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ वस्तुओं और सेवाओं के प्राप्तकर्ताओं को देने की आवश्यकता होती है। 'मूल्य' संबंधी पहलू अधिनियम, 2017 की धारा 171 के संदर्भ में तभी लागू होता है जब यह बात आती है कि उपरोक्त लाभों को पारित करने के प्रमुख दायित्व को यानी किस तरह से कीमतों में अनुरूप कमी के माध्यम से पूरा किया जाना है। परिणामतः धारा 171 के मामले में, याचिकाकर्ताओं द्वारा निर्दिष्ट ऑस्ट्रेलियाई व्यापार व्यवहार अधिनियम के मामले की तरह 'मूल्य शोषण' पर किसी भी ओवर-राइडिंग विनियमन का कोई इरादा नहीं है।

123. इसी तरह, याचिकाकर्ताओं द्वारा मलेशियाई मूल्य नियंत्रण और मुनाफाखोरी-रोधी अधिनियम, 2011 के लिए किया गया संदर्भ भी गलत है क्योंकि याचिकाकर्ता की अपनी प्रस्तुति के अनुसार, उक्त अधिनियम आपूर्तिकर्ताओं को 'अनुचित उच्च लाभ' कमाने से रोकता है। अपनी प्रकृति में, मलेशियाई अधिनियम, अधिनियम, 2017 की धारा 171 के विपरीत मूल्य

निर्धारण को नियंत्रित करता है जो वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य निर्धारण या आपूर्तिकर्ताओं के लाभ को विनियमित करने का प्रयास नहीं करता है। परिणामतः ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया के मुनाफाखोरी विरोधी प्रावधानों का संदर्भ गलत है।

मुनाफाखोरी का निर्धारण करने के लिए कोई निश्चित/एकरूप विधि या गणितीय सूत्र निर्धारित नहीं किये जा सकते।

124. इस न्यायालय का विचार है कि मुनाफाखोरी का निर्धारण करने के लिए कोई निश्चित/समरूप विधि या गणितीय सूत्र निर्धारित नहीं किया जा सकता है क्योंकि प्रत्येक मामले और प्रत्येक उधम के तथ्य अलग-अलग हो सकते हैं। मुनाफाखोरी संबंधित राशि के निर्धारण की गणना प्रत्येक मामले के प्रासंगिक और विशिष्ट तथ्यों को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए। 'कोई एक आकार नहीं जो सभी के लिए उपयुक्त हो' सूत्र या विधि है जिसे मामलों के वर्तमान समूह में निर्धारित किया जा सकता है। परिणामतः मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण को प्रत्येक मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मामले-दर-मामले के आधार पर उपयुक्त कार्यप्रणाली निर्धारित करनी होगी।

125. यह भी अच्छी तरह से स्थापित है कि जहां कोई प्रक्रिया निर्धारित करने की शक्ति मौजूद है और ऐसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है, वहां कार्यान्वयन करने वाले अधिकारियों को ऐसी प्रक्रिया निर्धारित करने और अपनाने की स्वतंत्रता है जो वे उचित समझते हैं, बशर्ते वह निष्पक्ष और उचित

हो। **धनजीभाई रामजीभाई बनाम गुजरात राज्य (1985) 2 एस. सी. सी. 5** में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, "... केवल इसलिए कि प्रक्रियात्मक नियम नहीं बनाए गए हैं, इसका अर्थ शक्ति का निषेध नहीं है। ऐसे नियमों की अनुपस्थिति में, यह पर्याप्त है कि शक्ति का प्रयोग निष्पक्ष और यथोचित रूप से किया जाए, उस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए जिसमें शक्ति प्रदान की गई है।" **अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, बी. पी. एल. लिमिटेड बनाम एस. पी. गुरुराजा और अन्य, (2003) 8 एस. सी. सी. 567**, सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है। अधिनियम या उसके तहत बनाए गए विनियमों के तहत, इस तरह के परामर्श आयोजित करने के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई थी। उस स्थिति में सक्षम अधिकारियों के लिए अपनी प्रक्रिया विकसित कर सके इसका विकल्प था। विचार-विमर्श के बाद निर्णय लेने की ऐसी प्रक्रिया भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है।"

126. परिणामस्वरूप, नियम 126, 2017 के नियम 126 के अनुसार, यह मुनाफाखोरी रोधी प्रणाली को कार्यप्रणाली और प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए लचीलापन प्रदान करता है, ताकि यह तय किया जा सके कि कर की दर में कमी या इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ प्राप्तकर्ता को दिया गया है या नहीं, यह उचित और कानूनी है। इसके अलावा, नियम 126 के अनुसार मुनाफारोधी प्राधिकरण कार्यप्रणाली को 'निर्धारित' कर सकता है, लेकिन बाध्य नहीं कर सकता है। अधिनियम, 2017 की धारा 171 यानी मूल प्रावधान, प्रत्येक मामले

के विशिष्ट तथ्यों और उद्योग की प्रकृति और इसकी विशिष्टताओं के आधार पर केस दर केस आधार पर कार्यप्रणाली निर्धारित करने के लिए को पर्याप्त मार्गदर्शन प्रदान करता है। परिणामस्वरूप, जब तक मुनाफरोधी प्राधिकरण द्वारा निर्धारित कार्यप्रणाली निष्पक्ष और उचित है, याचिकाकर्ता यह आपत्ति नहीं उठा सकते कि अपनाई गई कार्यप्रणाली की विशिष्टताएं निर्धारित नहीं हैं।

।मूल प्रावधान अर्थात् अधिनियम, 2017 की धारा 171 स्वयं मुनाफरोधी प्राधिकरण को प्रत्येक मामले के विशिष्ट तथ्यों और उद्योग की प्रकृति और इसकी विशिष्टताओं के आधार पर मामले के आधार पर कार्यप्रणाली निर्धारित करने के लिए पर्याप्त मार्गदर्शन प्रदान करती है। परिणामतः जब तक मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण द्वारा निर्धारित कार्यप्रणाली निष्पक्ष और उचित है, याचिकाकर्ता इस बात पर आपत्ति नहीं उठा सकते कि अपनाई गई कार्यप्रणाली की विशिष्टताएं निर्धारित नहीं हैं।

127. चूंकि याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अचल संपत्ति उद्योग में अनुरूप कमी निर्धारित करने के लिए मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली पर काफी जोर दिया गया था, इसलिए यह न्यायालय कुछ समय तक इससे निपटना उचित समझता है। वस्तु और सेवा कर योजना/व्यवस्था की शुरुआत के साथ, निर्माण में उपयोग की जाने वाली विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के खिलाफ इनपुट टैक्स क्रेडिट की उपलब्धता बढ़ी है या अधिक वस्तुओं और सेवाओं के खिलाफ इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध

था, इससे पहले इसके परिणामस्वरूप बिल्डरों की लागत में कमी आई क्योंकि अब उनके पास पहले की तुलना में वस्तु और सेवा कर व्यवस्था में उनके द्वारा भुगतान किए गए वस्तु और सेवा कर के खिलाफ अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध था और इसे उपभोक्ताओं से एकत्र करने की आवश्यकता नहीं थी।

128. निम्नलिखित चार परिदृश्यों में अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली के संबंध में कोई विवाद नहीं है:-

क. यदि फ्लैट का निर्माण पूर्ण रूप से माल एवं सेवा कर से पूर्व अवधि में अर्थात् 01 जुलाई, 2017 से पहले हुआ था और यदि इसे माल एवं सेवा कर से पूर्व अवधि में संपूर्ण कीमत का अग्रिम भुगतान करके खरीदा गया था, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का कोई लाभ नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि कीमत में उन करों की लागत शामिल होगी, जिन पर माल एवं सेवा कर से पूर्व अवधि में इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध नहीं था, जैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क, प्रवेश कर आदि।

ख. यदि फ्लैट का निर्माण माल और सेवा कर से पहले की अवधि में शुरू हुआ था और माल और सेवा कर के बाद की अवधि में जारी/पूरा हुआ था और एक खरीदार ने माल और सेवा कर के बाद की अवधि में पूरा अग्रिम भुगतान करके फ्लैट खरीदा था,

तो वह उस सामग्री पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ पाने का हकदार है जो माल और सेवा कर के बाद की अवधि के दौरान इस फ्लैट के संबंध में खरीदी गई है और जिस पर बिल्डर द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया गया है। बिल्डर को समान रूप से कीमत कम करनी होगी और लाभ देना होगा।

ग. यदि फ्लैट का निर्माण माल एवं सेवा कर से पूर्व की अवधि में शुरू किया गया है और इसका निर्माण माल एवं सेवा कर के बाद की अवधि में जारी रखा गया है और इसे उपभोक्ता द्वारा माल एवं सेवा कर से पूर्व की अवधि में कीमत की पूरी राशि का अग्रिम भुगतान करके खरीदा गया है, तो खरीदार माल एवं सेवा कर के बाद की अवधि में बिल्डर द्वारा खरीदी गई निर्माण सामग्री पर चुकाए गए करों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेने का हकदार है, जिसके दौरान उसे उन करों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ दिया गया है जिन पर माल एवं सेवा कर से पूर्व में इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध नहीं था और ऐसे करों की लागत बिल्डर द्वारा फ्लैट की कीमत में जोड़ दी गई है।

घ. यदि फ्लैट का निर्माण माल एवं सेवा कर के पश्चात की अवधि में किया गया है और इसे निर्माण पूरा होने के बाद पूरी कीमत का अग्रिम भुगतान करके खरीदा गया है, तो इनपुट

टैक्स क्रेडिट का कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि फ्लैट की कीमत इनपुट टैक्स क्रेडिट को ध्यान में रखते हुए तय की गई होगी, जो माल एवं सेवा कर के पश्चात की अवधि में बिल्डर को उपलब्ध हो गई है और जो माल एवं सेवा कर से पूर्व की अवधि में उसे उपलब्ध नहीं थी।

129. हालांकि, इस न्यायालय ने पाया कि अचल संपत्ति उद्योग की मुनाफाखोरी राशि पर पहुंचने के लिए मुनाफरोधी प्राधिकरण और मुनाफाखोरी रोधी महानिदेशालय द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली आम तौर पर वस्तु और सेवा के उत्पादन से पूर्व कर और वस्तु और सेवा और कर के बाद की अवधि के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट और ट्यूमर के अनुपात के बीच के अंतर पर आधारित थी। यह न्यायालय रियल एस्टेट कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील की इस दलील से सहमत है कि मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि रियल एस्टेट क्षेत्र में टर्नओवर और किसी विशेष अवधि के लिए प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। एक अचल संपत्ति परियोजना में खर्च परियोजना के पूरे जीवन चक्र में समान नहीं होते हैं और ऋण की पात्रता विशेष अवधि के दौरान की गई निर्माण गतिविधि की प्रकृति पर निर्भर करती है। चूंकि यह एक स्वीकृत स्थिति है कि न तो अग्रिम प्राप्ति और न ही निर्माण गतिविधि परियोजना के पूरे निर्माण चक्र में समान होती है, इसलिए इनपुट टैक्स क्रेडिट

का संचय खरीदारों से एकत्र की गई राशि से संबंधित नहीं है । यह न्यायालय याचिकाकर्ताओं विद्वान् अधिवक्ता से सहमत है कि प्रत्येक परियोजना के लिए वस्तु और सेवा और कर की शुरुआत के कारण कुल बचत की गणना करने की आवश्यकता है और फिर प्रत्येक फ्लैट खरीदार को दिए जाने वाले प्रति वर्ग फुट लाभ पर पहुंचने के लिए इसे कुल क्षेत्र से विभाजित करने की आवश्यकता है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि समान वर्ग फुट क्षेत्र वाले फ्लैट खरीदारों को समान लाभ मिले। न्यायालय, गुण-दोष पर मामलों के वर्तमान समूह की सुनवाई करते समय, उपरोक्त निर्देश/व्याख्या को ध्यान में रखेगा।

यह तय करना विधायिका का विशेषाधिकार है कि लाभ उपभोक्ताओं तक कैसे पहुंचाया जाए।

130. यह स्थापित कानून है कि यह तय करना विधानमंडल का विशेषाधिकार है कि कर की दर में कमी या इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उपभोक्ता को कैसे दिया जाए। *डॉ. अश्वनी कुमार बनाम भारत संघ, (2020) 13 एस. सी. सी. 585* में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया है:-

“11. एक निर्वाचित और प्रतिनिधि निकाय के रूप में विधायिका लोगों की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को प्रभावी बनाने और उन्हें पूरा करने के लिए कानून बनाती है। लागू की गई प्रक्रियाएं विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक समूहों के व्यापक और अलग-अलग हितों, आवाजों और सभी प्रकार की राय पर सावधानीपूर्वक विचार और चिंतन के लिए बनाई गई हैं। विधानमंडल एक विचारशील और प्रतिनिधि निकाय के रूप में कार्य करता है। यह इस देश के मतदाताओं और नागरिकों के प्रति सीधे तौर पर

जवाबदेह और जिम्मेदार है। यह प्रतिनिधित्व और जवाबदेहीता का सिद्धांत संसद या राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए विधानों और कानूनों को वैधता प्रदान करता है। संविधान का अनुच्छेद 245 संसद और राज्य विधानमंडलों को संसद/राज्य विधानसभा में उचित बहस और चर्चा के बाद क्रमशः पूरे या भारत के क्षेत्र के एक हिस्से के लिए और पूरे या राज्य के एक हिस्से के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है।”

(जोर दिया गया)

131. वर्तमान उदाहरण में, विधायी अधिदेश यह है कि कर दर में कमी या इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ न केवल कीमतों में कमी में परिलक्षित होना चाहिए, बल्कि यह माल या सेवाओं के प्राप्तकर्ता तक भी पहुंचना चाहिए। आपूर्तिकर्ता द्वारा वास्तविक मूल्य में कमी के रूप में लाभ को किसी अन्य रूप जैसे मात्रा या वजन में वृद्धि या अतिरिक्त या मुफ्त सामग्री की आपूर्ति या 'दिवाली धमाका' या क्रॉस-सब्सिडी जैसे त्योहार की छूट के साथ प्रतिस्थापित करके इस तरह के जनादेश के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है।

132. इसके अलावा, यह आवश्यकता कि दरों में कमी और इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ कीमतों में अनुरूप कमी द्वारा से 'हाथ में नगदी' द्वारा अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचे, स्पष्ट रूप से इसे मनमाना नहीं कहा जा सकता है। किसी भी याचिकाकर्ता के मौलिक या अन्य अधिकारों को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं किया जा रहा है। यह आवश्यक है कि कर दर या निवेश कर क्रेडिट में कमी का लाभ प्राप्तकर्ताओं को कीमतों में समान कमी के माध्यम से दिया जाए।

133. यह न्यायालय श्री जोहेब हुसैन के निवेदन से सहमत है, प्रत्यर्थियों के लिए विद्वान ने कहा कि कर में कमी का लाभ प्रत्येक क्रेता को स्टॉक कीपिंग यूनिट की प्रत्येक आपूर्ति के स्तर पर दिया जाना चाहिए और यदि इसे पारित नहीं किया जाता है, तो लाभ की राशि की गणना प्रत्येक स्टॉक कीपिंग यूनिट पर की जानी चाहिए।

134. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि कम कीमत वाले उत्पादों के मामले में वस्तुओं की कीमत कम करके लाभ पहुंचाना कानूनी रूप से असंभव है, कानून में अस्वीकार्य है। जैसा कि प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता श्री जोहेब हुसैन ने बताया, कानूनी माप विज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज़) नियम, 2011 के प्रावधान लागू हैं। 31 दिसंबर, 2017 से पहले की अवधि के मामलों में, कानूनी माप विज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज़) नियम, 2011 का पूर्ववर्ती नियम 2 (ड) लागू होगा, जिसमें एमआरपी को राउंड ऑफ करने के लिए विस्तृत निर्देश दिए गए थे। इसी प्रकार, 2017 में संशोधित उपरोक्त नियमों के नियम 6(1)(ड.) में 01 जनवरी, 2018 से 31 मार्च, 2022 तक प्रावधान है कि पैकेज के खुदरा मूल्य में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाएगा कि यह सभी करों सहित अधिकतम खुदरा मूल्य है और रुपये और पैसे में कीमत को निकटतम रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा या 50 पैसे लागू होंगे। परिणामतः ऐसे मामलों में भी अधिकतम खुदरा मूल्य को कम करने में कोई कानूनी असंभाव्यता नहीं होगी। धारा 171 में इस तरह के पूर्णांकन के साथ कुछ भी असंगत नहीं है। ।

अधिनियम 2017 में उचित रूप से कोई समय अवधि सुनिश्चित नहीं की गई है जिसके दौरान मूल्य में कटौती की पेशकश की जानी है ।

135. यह न्यायालय प्रत्यर्थियों और न्यायमित्र की इन दलीलों से सहमत है कि अधिनियम, 2017 की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, इसके आवेदन के लिए किसी विशिष्ट अवधि पर विचार करना उचित या व्यवहार्य नहीं है। कम की गई कीमत, क्योंकि यह तब तक प्रभावी होनी चाहिए जब तक कि कर दर में कमी या इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभ के बीच सीधा संबंध मौजूद है और इसे प्रभावित करने/प्रतिवाद करने वाला कोई अन्य कारक नहीं है। यदि, वैचारिक रूप से, कर की दर में कमी एक निर्दिष्ट तिथि पर हुई है और किसी विशेष अवधि के लिए कीमतों में इस तरह की कमी की भरपाई के लिए लागत मूल्य या अन्य कारकों में कोई उचित बदलाव नहीं है, तो स्पष्ट रूप से उस अवधि के लिए एक कम कीमत लेनदेन को नियंत्रित करती है। इस न्यायालय का विचार है कि प्रावधानों के संचालन के लिए एक विशेष अवधि का प्रावधान स्वतः अधिनियम, 2017 की योजना और इरादे के अनुरूप नहीं होगा।

माल विक्रय अधिनियम की धारा 64क धारा 171 के तहत बाध्य नहीं है ।

136. यह न्यायालय प्रत्यर्थियों के लिए विद्वान अधिवक्ता के प्रस्तुत करने के साथ सहमत है कि माल विक्रय अधिनियम, 1930 की धारा 64क अधिनियम, 2017 की धारा 171 के तहत दायित्व के लिए कोई प्रयोज्यता नहीं है क्योंकि पहली केवल खरीदार को अनुबंध मूल्य को करों में कमी की सीमा तक कम

करने का विवेक प्रदान करती है, जबकि धारा 171 आपूर्तिकर्ता पर एक सकारात्मक दायित्व लगाती है कि जब सरकार कर की दर को कम करती है तो कीमत में अनुरूप कमी करे। इसलिए दोनों कानूनों के बीच कोई विसंगति नहीं है।

137. इसके अलावा, सी. जी. एस. टी./एस. जी. एस. टी. अधिनियम, 2017 स्वतंत्र अधिनियम हैं और इन अधिनियमों के तहत कोई प्रावधान नहीं है कि इन अधिनियमों के तहत कर में कमी का आदेश माल विक्रय अधिनियम, 1930 या भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के प्रावधानों के अधीन होगा। कर कटौती कर द्वारा प्राप्त राजस्व को त्याग करके की जाती है और इसलिए सरकारें कानूनी रूप से आपूर्तिकर्ताओं को इसकी अधिसूचना के बाद उपभोक्ताओं को इस तरह की कर कटौती का लाभ देने का निर्देश देने में सक्षम हैं। लाभ देने की सार्वजनिक नीति का उल्लंघन करते हुए किया गया कोई भी अनुबंध अमान्य होगा। परिणामतः सभी अनुबंध (क) चाहे वे निष्पादित किए जाने के लिए लंबित हैं या (ख) कर में कमी के बाद निष्पादित किए गए हैं और/या (ग) कर में कमी से पहले ही समाप्त हो चुके हैं, अधिनियम, 2017 की धारा 171 में निहित जनादेश को ध्यान में रखते हुए लागू किए जाने हैं।

किसी वैधानिक प्रावधान को दुरुपयोग की संभावना के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता

138. सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने कई काल्पनिक स्थितियों को यह सुझाव देने के लिए आगे बढ़ाया कि अधिनियम, 2017 की धारा 171 के दुरुपयोग की संभावना है। हालांकि, यह तय कानून है कि अधिनियमों और उनके प्रावधानों को इस काल्पनिक सिद्धांत पर असंवैधानिक घोषित नहीं किया जाना चाहिए कि शक्ति का प्रयोग अवास्तविक तरीके से या निर्वात में या इस आधार पर किया जाएगा कि वैधानिक प्रावधान के दुरुपयोग या शक्ति के दुरुपयोग की संभावना है। यह माना जाना चाहिए, जब तक कि इसके विपरीत साबित नहीं हो जाता है, कि किसी विशेष कानून का प्रशासन और अनुप्रयोग "बुरी नजर और भेद-भाव वाले हाथ से नहीं" किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय के कुछ प्रासंगिक निर्णय नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:-

क. **मगनलाल छगनलाल (पी) लिमिटेड बनाम ग्रेटर बॉम्बे नगर निगम और अन्य, (1974) 2 एस. सी. सी. 402** यह निम्नानुसार आयोजित किया गया है:-

"15 हमारे समक्ष दो वर्गों के मामलों में अधिनियम स्वयं स्पष्ट रूप से उनके पीछे के उद्देश्य को निर्धारित करता है, अर्थात् निगम और सरकार से संबंधित परिसरों को उन पर कब्जा करने वाले अनधिकृत व्यक्तियों को बेदखल करने के मामले में त्वरित प्रक्रिया के अधीन होना चाहिए। यह उन अधिकारियों के लिए पर्याप्त मार्गदर्शन है जिन्हें शक्ति प्रदान की गई है। विधियों में स्पष्ट रूप से दिए गए इस तरह के संकेत के साथ कोई भी संबंधित अधिकारियों से अपेक्षा करता है कि वे अधिनियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं का लाभ उठाएंगे और सामान्य सिविल न्यायालय की विलंबकारी प्रक्रिया का सहारा नहीं

लेंगे। यहां तक कि आम तौर पर कोई भी एक अधिकारी के पास दो तरह की प्रक्रियाओं का विकल्प होने की कल्पना नहीं कर सकता है, एक जो उसे जल्दी से संपत्ति पर कब्जा करने में सक्षम बनाता है और दूसरा जो बाद वाले का सहारा लेने के लिए लंबे समय तक चलेगा। यह विचार करते समय कि क्या अधिकारी एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच भेदभाव करेंगे, हमें सामान्य मानवीय व्यवहार को ध्यान में रखना चाहिए न कि असामान्य व्यवहार को। भेदभाव की हर काल्पनिक संभावना नहीं बल्कि भेदभाव के वास्तविक जोखिम को ध्यान में रखना चाहिए। यह उन प्रत्येक आकर्षक मामलों में से एक नहीं है जहाँ भेदभाव कानून के मुख पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है। भेदभाव संभव हो सकता है लेकिन यह बहुत अवास्तविक है। और यदि वास्तविक व्यवहार में भेदभाव है तो यह न्यायालय शक्तिहीन नहीं है। इसके अलावा, यह तथ्य कि विधानमंडल ने माना कि सरकारी और निगम की संपत्ति के अनधिकृत कब्जाधारियों को बेदखल करने में सामान्य प्रक्रिया अपर्याप्त या अप्रभावी है और इसलिए एक विशेष त्वरित प्रक्रिया प्रदान की गई है, अनधिकृत कब्जाधारियों को बेदखल करने के कर्तव्य के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के लिए एक स्पष्ट मार्गदर्शन है। इसलिए हम खुद को उत्तर भारत कैंटरर्स मामले में बहुमत से सहमत होने में असमर्थ पाते हैं।

(जोर दिया गया)

ख. सीमा शुल्क कलेक्टर बनाम नथेल्ला सम्पाथु चेट्टी, 1962 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 30 में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:-

“34 इस न्यायालय ने कई फैसलों में यह अभिनिर्धारित किया है कि किसी भी अधिनियम में निहित प्रावधानों के तहत शक्तियों के दुरुपयोग की संभावना प्रावधान को अनुचित या शून्य घोषित करने का कोई आधार नहीं है।

किसी अधिनियम के दुरुपयोग की संभावना अन्यथा वैध होने से उसे अयोग्यता का कोई तत्व नहीं मिलता है। इसके विपरीत को यह भी पालन करना चाहिए कि एक अधिनियम जो अन्यथा अनुचित होने के रूप में अमान्य है, उसे उचित तरीके से प्रशासित करके बचाया नहीं जा सकता है। अधिनियम की संवैधानिक वैधता का निर्धारण इसके प्रावधानों के आधार पर और इसके संचालन के दायरे के आधार पर किया जाना चाहिए, जैसा कि उचित रूप से समझा जाता है। यदि ऐसा माना जाता है कि यह तर्कसंगतता की कसौटी पर खरा उतरता है, तो प्रदत्त शक्तियों के अनुचित तरीके से उपयोग की संभावना कानून को अमान्य घोषित करने के लिए कोई आधार नहीं है और इसी तरह यदि संविधान के भाग III में निर्धारित आवश्यकताओं के आलोक में ठीक से व्याख्या और परीक्षण किया गया कानून परीक्षण में उत्तीर्ण नहीं होता है, तो इसे केवल इसलिए वैध घोषित नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह इस तरह से प्रशासित है जो संवैधानिक आवश्यकताओं के साथ संघर्ष नहीं कर सकता है। यह कहते हुए हमें यह निर्धारित करने के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए कि एक कानून जो कठोरता से काम कर सकता है, लेकिन फिर भी संवैधानिक रूप से मान्य हो सकता है, उसे हमेशा कठोरता के साथ संचालित किया जाना चाहिए या यह कि तर्कसंगतता और न्यायपूर्णता ऐसे कानूनों के वास्तविक प्रशासन का मार्गदर्शन नहीं करनी चाहिए।”

(जोर दिया गया)

ग. **मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम भारत संघ, (1997) 5 एस. सी. सी. 536**, उच्चतम न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की पीठ ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क कानून (संशोधन) अधिनियम, 1991 के प्रावधानों की वैधता पर विचार करते हुए निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:-

“88 यह समान रूप से अच्छी तरह से तय किया गया है कि इसे प्रशासित करने के प्रभारी लोगों द्वारा किसी

प्रावधान के दुरुपयोग की केवल संभावना प्रावधान को प्रक्रियात्मक या मूल रूप से अनुचित ठहराने का आधार नहीं हो सकती है। सीमा शुल्क कलेक्टर बनाम नथेल्ला संपथु चेट्टी [(1962) 3 एस. सी. आर. 786:ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 316], क मामले में इस न्यायालय ने कहा: "किसी अधिनियम के दुरुपयोग की संभावना अन्यथा वैध होने पर उसे अयोग्यता का कोई तत्व प्रदान नहीं करती है। "यह राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ (1977) 3 एस. सी. सी. 592 में कहा गया था: (1978) 1 एस. सी. आर. 1] (पृष्ठ 77 पर एस. सी. आर.), "यह याद रखना चाहिए कि केवल इसलिए कि कभी-कभी शक्ति का दुरुपयोग किया जा सकता है, इस कारण से शक्ति के अस्तित्व को नकारने का कोई आधार नहीं है। मनुष्य की बुद्धिमत्ता अभी तक ऐसी सरकार की कल्पना करने में समर्थ नहीं हुई है जिसके पास अपनी सभी वैध जरूरतों का जवाब देने के लिए पर्याप्त शक्ति हो और साथ ही शरारत करने में असमर्थ हो। (कॉमआर को भी देखें), एच. आर. ई. वी. श्री शिरूर मठ के श्री लक्ष्मींद्र तीर्थ स्वामी [1954 एससीआर 1005:ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 282] (पी. 1030 पर एस. सी. आर.)"।

(जोर दिया गया)

अधिनियम, 2017 के लागू होने के बाद लगाए गए करों को अधिनियम के लागू होने से पहले लागू अलग-अलग अप्रत्यक्ष करों के समूह के साथ तुलना न करना अधिनियम, 2017 के इरादे और उद्देश्य के विरुद्ध होगा।

139. अधिनियम, 2017 के लागू होने से पहले, केंद्र सरकार (जैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, केंद्रीय बिक्री कर आदि) और राज्य सरकार (जैसे मूल्य वर्धित कर, विलासिता कर, खरीद कर आदि) द्वारा वस्तुओं और सेवाओं पर कई कर लगाए जाते थे। करों की बहुतायत थी क्योंकि वे एक ही आपूर्ति

प्रणाली पर लगाए जाते थे। इसका कास्केडिंग इफेक्ट पड़ा क्योंकि इसे शुरू करने का कोई प्रावधान नहीं था। वस्तु एवं सेवा कर के शुभारंभ के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री ने कहा, "यदि हम 29 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्र के 7 करों और राज्यों के 8 करों और विभिन्न वस्तुओं के लिए कई अलग-अलग करों को ध्यान में रखते हैं, तो करों की संख्या लगभग 500 आंकड़े तक पहुंच जाती है। आज उन सभी अलग अलग करों को हटाकर गंगानगर से ईटानगर और लेह से लक्षद्वीप तक वन नेशन, वन टैक्स कर दिया जाएगा।

140. इसके अतिरिक्त, चुंगी कर, प्रवेश कर, चेक पोस्ट आदि जैसे गैर-शुल्क बाधाओं की अधिकता ने पूरे देश में व्यापार के मुक्त प्रवाह में बाधा डाली और इससे करदाताओं के लिए उच्च अनुपालन लागत आई। अधिनियम, 2017 ने अप्रत्यक्ष करों (केंद्रीय और राज्य अप्रत्यक्ष कर) की पहले की श्रृंखला को शामिल कर लिया है, क्योंकि यह वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर एकल कर लगाता है। परिणामतः रि.या.(सि.) 1171/2020 में याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का यह प्रस्तुत करना कि अधिनियम, 2017 की धारा 171(1) अधिनियम, 2017 की शुरुआत के बाद लगाए गए करों की तुलना अधिनियम के संचालन से पहले वस्तुओं और सेवाओं पर लागू विभिन्न अप्रत्यक्ष करों की एक टोकरी के साथ नहीं करती है, अधिनियम, 2017 के मूल, इरादे और उद्देश्य के खिलाफ है।

यहाँ अपील का कोई निहित अधिकार नहीं है और अपील क़ानून का एक हिस्सा है

141. जैसा कि पहले चर्चा की गई है, नियम, 2017 का नियम 129 मुनाफ़ाखोरी विरोधी कार्यवाही शुरू करने और उसके संचालन के लिए एक व्यापक तंत्र प्रदान करता है। जाँच के विभिन्न स्तरों के लिए सचेत प्रावधान, जो कि विशुद्ध रूप से तथ्य-आधारित है, यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि लाभ-रोधी विषय पर नियम, 2017 के साथ पठित अधिनियम, 2017 के प्रावधान में उचित सावधानियों और निवारण उपायों किया गया है। परिणामतः यह तर्क देने का कोई आधार नहीं है कि प्राधिकरण को असंकलित शक्तियां दी गई हैं या योजना के तहत उचित निवारण तंत्र की कमी है।

142. किसी भी स्थिति में, यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि अपील का कोई निहित अधिकार नहीं है और अपील अधिनियम का एक हिस्सा है। अपील का अधिकार न तो एक स्वाभाविक अधिकार है और न ही एक पक्ष में निहित एक अंतर्निहित अधिकार है। यह एक मौलिक वैधानिक अधिकार है जिसे इसे बनाने वाले क़ानून द्वारा विनियमित किया जाता है। क़ानून के तहत अपील की व्यवस्था करना या न करना पूरी तरह से विधायी नीति का सवाल है (देखें: *कोंडिबा दगडू कदम बनाम सावित्रीबाई सोपान गुजर (1999) 3 एससीसी 722* और *कश्मीर सिंह बनाम हरनाम सिंह (2008) 12 एससीसी 796*)

143. यदि विधानमंडल प्राधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील करने के अधिकार का प्रावधान नहीं करता है तो यह स्वयं किसी अधिनियम को असंवैधानिक घोषित करने का आधार नहीं हो सकता है। यह न्यायालय *विंग कमांडर श्याम नैथानी बनाम भारत संघ और अन्य, रि.या.(सि.) 6483/2021 और संबंधित मामले, 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 769* मामले में निम्नानुसार माना है:

“40. हालाँकि, यह न्यायालय स्पष्ट करना चाहेगा कि अपील करने का अधिकार अधिनियम का निर्माण है और इसे अधिकार के मामले के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है। अपील करने का अधिकार होना चाहिए। इसे पक्षों की सहमति या न्यायालय के आदेश से नहीं बनाया जा सकता है। यह न तो एक प्राकृतिक अधिकार है और न ही एक अंतर्निहित अधिकार जो वादकारी के एक मूल, वैधानिक अधिकार होने से जुड़ा हुआ है। देखिए: यूनाइटेड कमर्शियल बैंक लिमिटेड बनाम उनके कर्मचारी, ए. आई. आर. 1951 एस. सी. 230; कौंडीबा दगडू कोडम बनाम सावित्रीबाई सोपान गुजर, ए. आई. आर. 1999 एस. सी. 2213; और यू. पी. पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम विरेन्द्र लाल, (2013) 10 एस. सी. सी. 39। अधिकार क्षेत्र को केवल स्वीकृति, सहमति, सहमति या किसी अन्य माध्यम से प्रदान नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह केवल विधायिका द्वारा प्रदान किया जा सकता है क्योंकि किसी न्यायालय या प्राधिकरण को अधिकार क्षेत्र प्रदान करना एक विधायी कार्य है।..”

144. इसके अलावा, राष्ट्रीय मुनाफारोधी प्राधिकरण के निर्णय अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालयों के समक्ष अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि राष्ट्रीय मुनाफारोधी प्राधिकरण के आदेशों को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं इस न्यायालय के समक्ष दायर की

गई हैं। इससे पता चलता है कि प्रभावित पक्ष राष्ट्रीय मुनाफारोधी प्राधिकरण के आदेशों के खिलाफ अनुच्छेद 226 के तहत उपचार लेने के अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं।

145. परिणामस्वरूप, अधिनियम, 2017 की धारा 171(1) के उल्लंघन की शिकायतों से निपटने के लिए संवैधानिक आवश्यकताओं के अनुरूप एक मजबूत तंत्र मौजूद है और इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय मुनाफारोधी प्राधिकरण के निर्णयों पर कोई न्यायिक निगरानी नहीं है [देखें: सीसीआई बनाम सेल (पूर्वोक्त), शिव शक्ति को-ऑप हाउसिंग सोसाइटी बनाम स्वराज डेवलपर्स, (2003) 6 एससीसी 659]।

राष्ट्रीय मुनाफारोधी प्राधिकरण में न्यायिक सदस्य की कोई आवश्यकता नहीं है

146. अपनी प्रकृति से, अधिनियम, 2017 की धारा 171 (1) स्पष्ट रूप से उन स्पष्ट मुद्दों को निर्धारित करती है जिनकी प्राधिकरण द्वारा जांच की जानी चाहिए और यह परीक्षा एक तथ्य-खोज अभ्यास की प्रकृति में है। इसलिए, प्राधिकरण का अधिदेश प्रकृति में बहुत विशिष्ट है और एक तथ्य-प्राप्ति अभ्यास के समान है। इस न्यायालय की राय है कि राष्ट्रीय मुनाफारोधी प्राधिकरण मुख्य रूप से एक तथ्य-प्राप्ति निकाय है जिसे यह जांच करने की आवश्यकता है कि क्या आपूर्तिकर्ताओं ने अधिनियम, 2017 की धारा 171 द्वारा अनिवार्य रूप से कम कीमतों के माध्यम से अपने प्राप्तकर्ताओं को लाभ दिया है। अधिनियम, 2017 की धारा 171 (2) और नियम, 2017 के नियम

127 के तहत राष्ट्रीय मुनाफारोधी प्राधिकरण की भूमिका और कर्तव्यों की जांच करने पर, यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय मुनाफारोधी प्राधिकरण कार्यों को करता है जो क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा किए जाने हैं।

147. अन्यथा भी राष्ट्रीय मुनाफारोधी प्राधिकरण ने ऐसा कोई अधिकार क्षेत्र ग्रहण नहीं किया है जिसका प्रयोग अब तक उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायिक निकाय द्वारा किया जा रहा था, और इसलिए, यह सिद्धांत कि अर्ध-न्यायिक संस्थाओं में एक न्यायिक सदस्य होना चाहिए जैसा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए निर्णयों में निर्धारित किया गया है, वर्तमान मामलों में लागू नहीं होता है। *नमित शर्मा बनाम भारत संघ (2013) 1 एस. सी. सी. 745* के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य करने और मुख्य सूचना आयुक्त की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए एक न्यायिक सदस्य की आवश्यकता के प्रश्न पर विचार किया। उच्चतम न्यायालय ने शुरू में कहा था कि *सूचना आयोग और केंद्रीय सूचना आयुक्त न्यायालय के आवश्यक गुणों और विशेषताओं वाले न्यायिक कार्य करते हैं और इसलिए, इसमें न्यायिक सदस्य होने चाहिए।* हालाँकि, भारत संघ द्वारा दायर समीक्षा याचिका पर निर्णय लेते समय, सर्वोच्च न्यायालय ने *भारत संघ बनाम नमित शर्मा (2013) 10 एस. सी. सी. 359* के रूप में रिपोर्ट किए गए अपने फैसले में कहा है कि *"शक्तियों का प्रयोग किया गया। अधिनियम के तहत सूचना आयोग पहले उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में निहित नहीं थे*

और किसी भी मामले में न्यायिक शक्तियां नहीं हैं और इसलिए विधायिका को सूचना आयोग में न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति के लिए प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है।"

149. इसी तरह, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया आदि जैसे वैधानिक निकाय अर्ध-न्यायिक कार्य करते हैं, लेकिन इनमें न्यायिक सदस्य नहीं होते हैं। इसके अलावा, आयकर अधिनियम, 1961 के तहत निर्धारण अधिकारी, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान (अपील) और विवाद समाधान पैनल सभी अर्ध-न्यायिक कार्य करते हैं, लेकिन इस बात की कोई आवश्यकता नहीं है कि ऐसे सदस्यों के पास कानून की डिग्री या न्यायिक अनुभव होना चाहिए। परिणामतः इस न्यायालय का विचार है कि राष्ट्रीय मुनाखोरीरोधी प्राधिकरण में न्यायिक सदस्य की कोई आवश्यकता नहीं है।

150. यद्यपि यह न्यायालय याचिकाकर्ताओं के इस निवेदन से सहमत है कि नियम, 2017 के नियम 134 (2) में दिए गए मतों की बराबरी/समानता की स्थिति में सभापति को दूसरा या मतदान करने का प्रावधान अस्वीकार्य है, फिर भी जैसा कि प्रत्यर्थियों ने कहा है कि उक्त प्रावधान का कभी उपयोग नहीं किया गया है, यह न्यायालय उसी पर विस्तृत चर्चा करना आवश्यक नहीं समझता है।

151. इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ताओं ने अधिनियम, 2017 की धारा 171 (2) के तहत कथित रूप से आवश्यक राजपत्र अधिसूचना की अनुपस्थिति में के कारण राष्ट्रीय मुनाफारोधी प्राधिकरण के गठन की वैधता को चुनौती दी है। इस न्यायालय की राय है कि यह मुद्दा आक्षेपित धारा की संवैधानिक वैधता को प्रभावित नहीं करता है जो वर्तमान में विचाराधीन है और इसलिए इस मुद्दे पर वर्तमान निर्णय में विचार नहीं किया जा रहा है।

नियम 124 अनुच्छेद 50 के अनुरूप है। राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण द्वारा किए गए कार्यों में सरकारी हस्तक्षेप के लिए कोई गुंजाइश नहीं है

152. इस न्यायालय का विचार है कि नियम, 2017 का नियम 124 संविधान के अनुच्छेद 50 के अनुरूप है, क्योंकि राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण के लिए चयन वस्तु और सेवा कर परिषद द्वारा गठित चयन समिति की सिफारिश पर किया जाता है जो एक संवैधानिक निकाय है। इसी तरह राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवाओं को वस्तु और सेवा कर परिषद के अध्यक्ष की मंजूरी के साथ ही समाप्त किया जा सकता है। परिणामस्वरूप, राष्ट्रीय मुनाफारोधी प्राधिकरण के सदस्य अपने कार्यों को पूरा करने के लिए स्वतंत्र हैं और राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी द्वारा किए जाने वाले कार्यों में किसी भी सरकारी हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है।

नियम 133 में ब्याज और जुर्माना लगाने का प्रावधान है, जो केन्द्रीय सरकार के नियम बनाने के अधिकार के अंतर्गत आता है।

153. इस न्यायालय का विचार है कि अधिनियम, 2017 की धारा 171 इतनी व्यापक है कि केंद्र सरकार को जुर्माना और ब्याज निर्धारित करने का अधिकार दे सकती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकार द्वारा करों को छोड़े जाने पर आपूर्तिकर्ताओं को उपभोक्ताओं के लिए बने लाभों को जेब में डालने से रोका जा सके। आपूर्तिकर्ता/पंजीकृत व्यक्ति द्वारा जेब में डाली गई राशि को वापस करने का निर्देश देने के लिए केवल राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण को सशक्त बनाने से विचलित व्यवहार पर पर्याप्त निवारक प्रभाव नहीं होगा जब तक कि ऐसी कार्यवाहियों को रोकने के लिए ब्याज और जुर्माना नहीं लगाया जाता है। धारा 171 की व्यापकता और विस्तार जिसके द्वारा प्राधिकरण को यह सुनिश्चित करने का अधिकार दिया गया है कि कर की दर में कमी या प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट के परिणामस्वरूप वस्तुओं या सेवाओं की कीमत में समानुपातिक कमी आए, इसमें स्पष्ट रूप से यह सुनिश्चित करने की शक्ति शामिल है कि ऐसा आचरण न हो जिससे मुनाफाखोरी हो।

154. अधिनियम, 2017 की धारा 164 सरकार को अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बनाने और विशेष रूप से जुर्माने का प्रावधान करने की शक्ति देती है। अधिनियम, 2017 की धारा 164 को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

“164. नियम बनाने की सरकार की शक्ति

(1) सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) उप-धारा (1) के प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सरकार उन सभी या किसी भी मामले के लिए नियम बना सकती है जो इस अधिनियम द्वारा अपेक्षित हैं या निर्धारित किए जा सकते हैं या जिनके संबंध में प्रावधान नियमों द्वारा किए जाने हैं या किए जा सकते हैं।

(3) इस धारा द्वारा प्रदत्त नियम बनाने की शक्ति में नियमों या उनमें से किसी को उस दिनांक से पूर्वव्यापी प्रभाव देने की शक्ति सम्मिलित होगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों के प्रवृत्त होने की तारीख से पूर्वतर नहीं होगी।

(4) उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के तहत बनाए गए किसी भी नियम में यह प्रावधान हो सकता है कि इसका उल्लंघन करने पर दस हजार रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया जाएगा।”

155. तदनुसार, नियम 133(3)(ख) और (घ), जो प्राधिकरण को उच्च राशि के संग्रह की तिथि से ऐसी राशि की वापसी की तिथि तक 18% की दर से ब्याज लगाने के साथ-साथ जुर्माना लगाने की शक्ति प्रदान करता है, वह आंतरिक है और केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति के अंतर्गत है।

156. इसके अलावा, जैसा कि श्री जोहेब हुसैन ने उल्लेख किया, धारा 171 (3क) के लागू होने से पहले धारा 171 (1) के उल्लंघन के संबंध में दंड की कार्यवाही शुरू करने के कारण बताए जाने वाले नोटिसों को राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण द्वारा वापस ले लिया गया है और ऐसे सभी मामलों में दंडात्मक कार्यवाही पर दबाव नहीं डाला जा रहा है। परिणामतः यह मुद्दा निष्फल हो गया है।

अतिरिक्त वसूली पर एकत्र किये गये वस्तु और सेवा कर को मुनाफाखोरी राशि में उचित रूप से शामिल किया गया है

157. केंद्र और राज्य सरकार दोनों का ही अधिक कीमत पर अतिरिक्त वस्तु एवं सेवा कर वसूलने का कोई इरादा नहीं था क्योंकि उन्होंने क्रेता के पक्ष में अपने राजस्व का त्याग कर दिया था। क्रेता को अधिक कीमत पर अतिरिक्त वस्तु और सेवा कर का भुगतान करने के लिए मजबूर करके, आपूर्तिकर्ता ने न केवल सरकारों के इरादे को विफल कर दिया है, बल्कि उपभोक्ता के हित के खिलाफ भी काम किया है और इसलिए, अतिरिक्त प्राप्ति पर उसके द्वारा एकत्र किए गए वस्तु और सेवा कर को लाभ की राशि में उचित रूप से शामिल किया गया है।

डी. जी. ए. पी. द्वारा रिपोर्ट तैयार करने के लिए समय सीमा निर्देशात्मक है न कि अनिवार्यता

158. कुछ मामलों में, याचिकाकर्ताओं ने बताया है कि नियम, 2017 में दी गई समय सीमा का पालन नहीं किया गया है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि इसके परिणामस्वरूप कार्यवाही दूषित हो जाती है। हालाँकि, यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि नियम, 2017 के तहत दी गई समय सीमा समाप्त होने की स्थिति में कोई परिणाम प्रदान नहीं करते हैं। जैसा कि पहले कहा गया था, अधिनियम, 2017 और नियम, 2017 में मुनाफाखोरी विरोधी प्रावधान एक लाभकारी विधान की प्रकृति में हैं क्योंकि वे उपभोक्ता कल्याण को बढ़ावा देते हैं। न्यायालयों ने लगातार यह माना है कि लाभकारी विधान को उदार निर्माण प्राप्त करना चाहिए

जो उपभोक्ता का पक्ष लेता है और अधिनियम के इरादे और उद्देश्य को बढ़ावा देता है। इस तरह के परिदृश्य में, यह नहीं कहा जा सकता कि डीजीएपी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय-सीमा समाप्त हो जाने पर पूरी कार्यवाही समाप्त हो जाएगी। **पी.टी. राजन बनाम टी.पी.एम. साहिर एवं अन्य (2003) 8 एससीसी 498** में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि "यह विधि की सुस्थापित सिद्धांत है कि जहां किसी वैधानिक पदाधिकारी को निर्धारित समय के भीतर वैधानिक कर्तव्य निभाने के लिए कहा जाता है, तो यह निर्देशात्मक होगा न कि अनिवार्य।" और यह कि "किसी विधि में ऐसा प्रावधान जो प्रकृति में प्रक्रियात्मक है, यद्यपि उसमें "करेगा" शब्द का प्रयोग किया गया है, उसे अनिवार्य नहीं माना जा सकता है, यदि इससे कोई पूर्वाग्रह उत्पन्न नहीं होता है।" परिणामस्वरूप, डीजीएपी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए प्रदान की गई समय सीमा निर्देशात्मक प्रकृति की है न कि अनिवार्य-।

शिकायत क्षेत्र की सीमा से बाहर जांच का विस्तार करना संविदात्मक दायरे से बाहर नहीं है।

159. अधिनियम, 2017 की धारा 171 व्यापक रूप से लिखी गई है और परीक्षण का दायरा केवल उन वस्तुओं और सेवाओं तक सीमित नहीं है जिनके संबंध में शिकायत प्राप्त होती है। डी. जी. ए. पी. की शक्तियों का दायरा नियम, 2017 के नियम 129 में प्रदान किया गया है। उक्त नियम को पढ़ने से, विशेष रूप से नियम 129 के उप-नियम (2) में उपयोग की गई 'वस्तुओं या

सेवाओं की कोई आपूर्ति' अभिव्यक्ति से, यह स्पष्ट है कि डी. जी. ए. पी. की शक्तियों का दायरा बहुत व्यापक है और उन वस्तुओं या सेवाओं तक सीमित नहीं है जिनके संबंध में शिकायत प्राप्त होती है। 'कोई भी' शब्द अपने दायरे में 'कुछ' के साथ-साथ 'सभी' भी शामिल करता है।

161. प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत महानिदेशक द्वारा प्रयोग की जाने वाली जांच की समान शक्तियों के संदर्भ में, **एक्सेल क्रॉप केयर लिमिटेड बनाम भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, (2017) 8 एससीसी 47** में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि शिकायत द्वारा या आयोग के संदर्भ आदेश द्वारा कवर नहीं किए गए मामलों की जांच और रिपोर्ट महानिदेशक की अपनी शक्तियों के भीतर होंगे और इसके विपरीत व्याख्या जांच के पूरे उद्देश्य को निरर्थक बना देगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने **कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड एवं अन्य बनाम सीसीआई एवं अन्य, (2018) एससीसीऑनलाइन डेल 11229** में एक्सेल क्रॉप केयर (पूर्वोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा है कि महानिदेशक द्वारा जांच का दायरा शिकायत में बताए गए मामले तक सीमित नहीं है और इसमें अन्य संबद्ध और साथ ही असंख्यांकित मामले भी शामिल हैं। परिवर्तन, शिकायत के दायरे से परे जांच या कार्यवाही का विस्तार संविदा के दायरे से बाहर नहीं है।

पावती

162. वर्तमान बैच के मामलों को निपटने से पूर्व , यह न्यायालय सभी विद्वान अधिवक्तागण द्वारा दी गई सहायता के लिए विशेष रूप से, श्री अमर दवे, विद्वान न्यायमित्र श्री वी. लक्ष्मीकुमारन और श्री जोहेब हुसैन की सराहना करता है, इन अधिवक्तागण ने न केवल कई लिखित प्रस्तुतियाँ दायर कीं, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि मामलों के वर्तमान बैच (100 से अधिक मामलों) में सुनवाई व्यवस्थित और उचित तरीके से की गई।

संक्षेप में

163. उपर्युक्त निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, अधिनियम, 2017 की धारा 171 तथा नियम 122, 124, 126, 127, 129, 133 तथा 134 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा जाता है। यह न्यायालय स्पष्ट करता है कि यह संभव है कि कार्यवाही के दायरे को अधिकार क्षेत्र से बाहर बढ़ाकर या अन्य कारकों जैसे लागत वृद्धि जिसके कारण कटौती की भरपाई हो जाती है, विषम इनपुट क्रेडिट स्थिति आदि में भिन्नता के वास्तविक आधार पर विचार न करने के कारण मुनाफाखोरी विरोधी तंत्र के तहत शक्ति के मनमाने प्रयोग के मामले हो सकते हैं। हालांकि, इसका उपाय यह है कि ऐसे आदेशों को गुण-दोष के आधार पर रद्द कर दिया जाए। ऐसे मामलों में जो चीज रद्द की जाएगी, वह स्वयं में ऐसा प्रावधान ही नहीं रह जाएगा जो संबंधित प्राधिकारी को ऐसी शक्ति प्रदान करता है, बल्कि शक्ति का गलत इस्तेमाल होगा।

164. 8 फरवरी, 2024 को उचित निर्देशों के लिए डिवीजन बेंच-1 के समक्ष मामलों को सूचीबद्ध करें।

कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश

न्या. दिनेश कुमार शर्मा

29 जनवरी, 2024

केए/एएस/जेएस/टीएस

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।